हिमाचल प्रदेश

का

आर्थिक सर्वेक्षण

2013–14

अर्थ एवम् सांख्यिकी विभाग

प्रस्तावना

आर्थिक सर्वेक्षण बजट प्रलेख है जो सरकार की मुख्य आर्थिक गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। वर्ष 2013–14 में हिमाचल प्रदेश अर्थ–व्यवस्था की स्थिति व प्रगति की समीक्षा प्रथम भाग में तथा सांख्यिकी तालिकायें भाग दो में दी गई हैं।

समय पर सूचना उपलब्ध करवाने के लिये मैं सभी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। इस सर्वेक्षण के लिये इतनी अधिक तथा विस्तृत सामग्री का एकत्रीकरण, संकलन और इसको संक्षेप में प्रस्तुत करने का कार्य अर्थ एवम् सांख्यिकी विभाग ने किया है। मैं विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए परिश्रम की प्रशंसा करता हूं।

डा0 श्रीकांत बाल्दी
प्रधान सचिव
(वित्त, योजना तथा अर्थ एवं सांख्यिकी)
हिमाचल प्रदे'ा सरकार।

विशय सूची

		पृष्ठ
1. सामान्य समीक्षा	..	1
2. राज्य आय एवम् लोक वित्त	..	11
3. संस्थागत् एवम् बैंक वित्त	..	16
4 आबकारी एवम् कराधान	..	32
5. भाव संचलन	..	35
6. खाद्य सुरक्षा एवम् नागरिक आपूर्ति	..	37
7. कृषि एवम् उद्यान	..	42
8. पशु तथा मत्स्य पालन	..	56
9. वन तथा पर्यावरण	..	66
10.जल स्त्रोत प्रबंधन	..	71
11. उद्योग एवम् खनन	..	74
12. श्रम और रोजगार	..	77
13. विद्युत	..	81
14. परिवहन एवम् संचार	..	112
15. पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	..	117
16. शिक्षा	..	121
17. स्वास्थ्य	..	136
18. समाज कल्याण कार्यक्रम	..	143
19. ग्रामीण विकास	..	155
20. आवास एवम् शहरी विकास	..	161
21. पंचायती राज	..	166
22. सूचना एवम् विज्ञान प्रौद्योगिकी	..	170

भाग–1

वर्ष 2013–14 की प्रगति की समीक्षा

----

1. सामान्य समीक्षा

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

1.1 गत दो वर्ष से देश की अर्थव्यवस्था इतनी उत्साहजनक नहीं रही है और देश विश्वव्यापी/भूमण्डलीय तेल, प्राकृतिक गैस, धातु तथा अन्य मदों के मूल्य के कारण वृद्धि के कठिन दौर से गुजर रहा है। परिणामस्वरुप हर क्षेत्र में मूल्यों/कीमतों में वृद्धि तथा निगमित लाभकारिता व असली प्रयोज्य आय में कमी के फलस्वरुप आर्थिक विकास वृद्धि दर वर्ष 2011–12 में 6.7 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2012–13 में 4.5 प्रतिशत रह गई।

1.2 आर्थिक विकास में सुधार के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये गए जैसे कि खुदरा व्यापार, उड्ड़यन, दूरसंचार तथा बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए उदारीकरण करना तथा घरेलू कम्पनियों द्वारा विदेशों से उधार लेने कि प्रकिया में कर की कमी के कारण राजस्व शेष में संतुलन तथा मुद्रास्फीति दर में गिरावट आने के कारण अर्थ–व्यवस्था में सुधार की ओर अग्रसर है। वर्ष 2013–14 के पहले व द्वितीय में आर्थिक वृद्धि दर क्मशः 4.4 व 4.8 प्रतिशत आंकी गई है।

1.3 ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 8.0 प्रतिशत आंकी गई है जोकि निर्धारित लक्ष्य 9.0 प्रतिशत से कम रही जो 10वीं पंचवर्षीय योजना की 7.8 प्रतिशत वृद्धि से अधिक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य 8 प्रतिशत रखा गया है।

1.4 नए आधार वर्ष 2004–05 के अनुसार स्थिर भावों पर वर्ष 2012–13 में कुल सकल घरेलू उत्पाद `54.80 लाख करोड़ आंका गया है जबकि 2011–12 में यह `52.50 लाख करोड़ आंका गया था। प्रचलित भावों सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2011–12 में `83.90 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2012–13 में लगभग `93.90 लाख करोड़ आंका गया है जोकि 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्थिर भाव (आधार 2004–05) में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2012–13 में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की। वर्ष 2012–13 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्वि मुख्यतः वित्त, बीमा, स्थावर सम्पदा व व्यवसायिक सेवाए (10.9 प्रतिशत) व यातायात व संचार में (6.0 प्रतिशत) के कारण रही।

1.5 प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में `61,855 थी जो वर्ष 2012–13 में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए यह `67,839 हो गई। स्थिर (2004–05) भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में `38,048 से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ` 38,856 हो गई जो कि 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

1.6 मुद्रा स्फीति दर थोक भाव सूचकांक से आंकी जाती है। प्रचलित वित्त

वर्ष 2012–13 में मुद्रास्फीति गत वर्ष में 8.96 के मुकाबले कम रही। थोक भाव सूचकांक के आधार पर दिसम्बर, 2013 में मुद्रा स्फीति की दर 6.2 प्रतिशत रही जो दिसम्बर, 2012 में 7.3 प्रतिशत के स्तर पर थी। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यह वृद्धि नवम्बर, 2013, में 11.5 प्रतिशत रही जबकि यह नवम्बर, 2012 में 9.6 प्रतिशत थी।

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति

1.7 हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में गतिशील परिर्वतन के कारण आज पिछड़े राज्यों की श्रेणी से निकलकर अग्रिम राज्य की श्रेणी में सम्मिलित है। इन परिर्वतनों के कारण प्रदेश पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में अग्रणी है। हिमाचल प्रदेश विद्युत और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए एक आर्दश गंतव्य के रूप में उभर रहा है। विषम आर्थिक परिस्थितियां तथा अनुकूल प्रशासन द्वारा अर्थ–व्यवस्था में अपनी वचनबद्वता, आधारभूत संरचना के कारण प्रदेश एक स्वस्थ अर्थ–व्यवस्था की ओर अग्रसर है। प्रचलित वर्ष में 6.2 प्रतिशत की विकास दर आने की संभावना है जोकि राष्ट्रीय वृद्धि से बेहतर है।

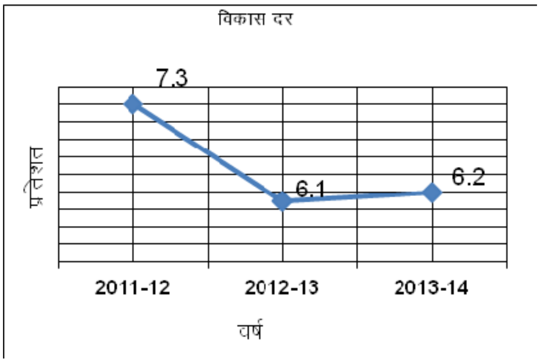

1.8 वर्ष 2011–12 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–2005) पर `41,908 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में `44,480 करोड़ हो जाने से इस वर्ष की आर्थिक विकास दर 6.1 प्रतिशत रही जबकि यह दर पिछले वर्ष 7.3 प्रतिशत थी। प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2011–12 में `64,957 करोड़ की तुलना में वर्तमान वर्ष 2012–13 में `73,710 करोड़ आंका गया है। यह 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

1.9 वर्ष 2011–12 में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय `75,185 से बढ़कर वर्ष 2012–13 अनुमानों के अनुसार `83,899 हो गई जो कि 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारण प्राथमिक क्षेत्र में 9.5 प्रतिशत, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं 10.0 प्रतिशत, यातायात व व्यापार क्षेत्र की 6.2 प्रतिशत, वित्त व स्थावर सम्पदा 4.8 प्रतिशत वृद्धि रही जबकि गौण क्षेत्र में केवल 3.4 प्रतिशत की वृद्धि रही है। खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2010–11 में 15.44 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2012–13 में 15.68 लाख मीट्रिक टन रहा और 2013–14 में

उत्पादन घटकर 15.16 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। फल उत्पादन में भी 49.1 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई। फल उत्पादन वर्ष 2011–12 में 3.73 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2012–13 में 5.56 लाख मीट्रिक टन तथा 2013–14 में (दिसम्बर,2013 तक) 8.28 लाख मीट्रिक टन हुआ।

सारणी–1.1

मुख्य सूचक

सूचक	2011–12	2012–13	2011–12	2012–13
	कुल पूर्ण मान		पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (`करोड़ में)				
प्रचलित भावों पर	64957	73710	14.0	13.5
स्थिर भावों पर	41908	44480	7.3	6.1
खाद्यान्न उत्पादन (लाख टन)	15.44	15.68	3.3	0.09
फलोत्पादन (लाख टन)	3.73	5.56	(–) 63.7	49.1
उद्योग क्षेत्र का घरेलू उत्पाद (`करोड़ में)*	12721	13440	14.9	5.7
विद्युत उत्पादन (मिलियन युनिट)	1906	1815	(–) 6.8	(–) 4.8
थोक भाव सूचकांक	156.1	167.6	8.9	7.4
श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (हि.प्र.)	175	193	7.4	10.3

*प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद

1.10 वर्ष 2013 में दिसम्बर माह तक आर्थिक स्थितियों के मध्यनज़र व अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रदेश की विकास दर वर्ष 2013–14 में लगभग 6.2 प्रतिशत होने की संभावना है।

1.11 प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था जोकि मुख्यतः कृषि व संबंधित क्षेत्रों पर ही निर्भर है में 1990 के दशक में विशेष उतार चढाव नहीं आए और विकास दर अधिकांशतः स्थिर ही रही। इस दशक में औसत वार्षिक विकास दर 5.7 प्रतिशत रही जोकि राष्ट्रीय स्तर के समरूप ही है। अर्थ व्यवस्था में कृषि क्षेत्र से उद्योग व सेवा क्षेत्रों के पक्ष में रूझान पाया गया क्योंकि कृषि क्षेत्र का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत योगदान जो वर्ष 1950–51 में 57.9 प्रतिशत था तथा घटकर 1967–68 में 55.5 प्रतिशत, 1990–91 में 26.5 प्रतिशत और 2012–13 में 14.42 प्रतिशत रह गया।

1.12 उद्योग व सेवा क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान 1950–51 में क्रमशः 1.1 व 5.9 प्रतिशत से बढ़कर 1967–68 में 5.6 तथा 12.4 प्रतिशत, 1990–91 में 9.4 तथा 19.8 प्रतिशत और 2012–13 में 18.23 तथा 41.9 प्रतिशत हो गया। शेष क्षेत्रों में

1950—51 के 35.1 प्रतिशत की तुलना में 2012—13 में 39.84 प्रतिशत का सकारात्मक सुधार हुआ है।

1.13 कृषि क्षेत्र के घट रहे अंशदान के बावजूद भी प्रदेश अर्थ—व्यवस्था में इस क्षेत्र की प्रभुता पर कोई अंतर नहीं पड़ा। अर्थ—व्यवस्था का विकास अधिकतर कृषि उत्पादन द्वारा ही निर्धारित होता रहा क्योंकि कुल घरेलू उत्पाद में इसका मुख्य योगदान है और अन्य क्षेत्रों में भी निवेश, रोजगार तथा आय सम्बधताओं के कारण इसका विशेष प्रभाव है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में हमारा कृषि उत्पादन अभी भी

अधिकांशतः सामयिक वर्षा व मौसम स्थिति पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

1.14 राज्य ने फलोत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विविध जलवायु तथा उपजाउ, गहन और उपयुक्त निकासी वाली भूमि तथा भू—स्थिति में भिन्नता तटीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए अन्य समशीतोष्ण फलों के उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। प्रदेश का क्षेत्र फलोत्पादन के अन्य सहायक व सम्बन्धी उत्पाद जैसे फूल, मशरूम, शहद और हॉप्स की पैदावार के लिए भी उपयुक्त है।

1.15 वर्ष 2013—14 में (दिसम्बर,2013 तक) 8.28 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ तथा 3,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र फलों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है जिसके विपरीत दिसम्बर,2013 तक 3,917 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है। दिसम्बर,2013 तक 9.48 लाख विभिन्न प्रजातियों के फलों के पौधों का वितरण किया गया। प्रदेश मे बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2012—13 में 13.98 लाख टन सब्जी उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2011—12 में 13.57 लाख टन का उत्पादन हुआ था जोकि 3.0 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है। वर्ष 2013—14 में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन 13.80 लाख टन होने का अनुमान है।

1.16 तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा राज्य के सम्पूर्ण विकास में जल विद्युत प्रभावशाली भूमिका निभा रही है। जल विद्युत सस्ती, प्रदुषण रहित तथा पर्यावरण मुक्त है। विद्युत नीति सभी मुद्दों जैसे कि क्षमता, विद्युत संरचना, उपलब्धता, दक्षता, पर्यावरण व हिमाचल के लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित करने पर जोर देती है। यद्यपि निजी क्षेत्रों के योगदान को यह प्रोत्साहित करती है, परन्तु हिमाचल के नियोजकों के लिए 2 मैगावाट की लघु परियोजनाओं को आरक्षित रखा गया है और 5 मैगावाट की परियोजनाओं तक उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

1.17 पर्यटन उद्योग जोकि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप के रूप में उभर रहा है को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए उपयुक्त व उचित सुविधाओं की सरंचना की जा रही है जिसमें नागरिक सुविधाएं, सड़क मार्ग,दूर संचार, विमानपतन, यातायात सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल में आने वाले पर्यटकों की सख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि पाई गई है जोकि सारणी 1.2 से स्पष्ट है:—

सारणी 1.2

आने वाले पर्यटक (लाखों में)

वर्ष	भारतीय	विदेशी	कुल
2005	69.28	2.08	71.36
2006	76.72	2.81	79.53
2007	84.82	3.39	88.21
2008	93.73	3.77	97.50
2009	110.37	4.01	114.38
2010	128.12	4.54	132.66
2011	146.05	4.84	150.89
2012	156.46	5.00	161.46

1.18 सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार सृजन व राजस्व अर्जन के व्यापक अवसर हैं। प्रशासन में प्रवीणता व पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार ने "एस.यू.जी.यू.एम", अस्पताल प्रबन्धन सूचना (एच.एम.आई.एस), सामुदायिक सेवा केन्द्र, राज्य डाटा सैंटर, ई–प्रक्योरमैंट, ई–समाधान, कृषि संसाधन सूचना तंत्र, हिम स्वान, प्रणालियां प्रदेश में शुरू की हैं।

1.19 हिमाचल प्रदेश राज्य ने ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को कम करने, मौसम परिवर्तन चक्र परिवर्तन में ठोस पग उठाते हुए अग्रिम भूमिका निभाई है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उचित प्रयोग हेतु तकनीकी प्रगति एवं जैविक तकनीक से हिमाचल राज्य को तकनीकी आयाम व ऊचांईयों तक पहुंचाएगी।

1.20 मुद्रा–स्फीति रोकना सरकार की प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2012–13 में नवम्बर, 2013 तक 11.2 प्रतिशत बढ़ा जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 11.5 प्रतिशत रहा। यह दर्शाता है कि सरकार का मूल्य वृद्धि पर पूर्ण नियंत्रण एवं सही व्यवस्था है।

1.21 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप `22,800.00 करोड़ रखा गया है जबकि वर्ष 2014–15 की योजना के लिए `4,400.00 करोड़ प्रस्तावित है जोकि वर्ष 2013–14 से 7.30 प्रतिशत अधिक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए प्रस्तावित क्षेत्रवार ब्यौरा निम्न हैः–

क्र. सं.	क्षेत्र	प्रस्तावित परिव्यय (`करोड़)	प्रतिशत भाग	प्राथ–मिकता
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	2,906.79	12.75	III
2	ग्रामीण विकास	1,276.73	5.60	VI
3	विशेष क्षेत्र	155.75	0.68	X
4	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,972.37	8.65	V
5	विद्युत	2,805.59	12.31	IV
6.	उद्योग एवं खनिज	224.42	0.98	IX
7	यातायात एवं संचार	4,709.88	20.66	II
8.	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	104.92	0.46	XI
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	596.59	2.62	VII
10	सामाजिक सेवाएं	7,674.22	33.66	I
11	सामान्य सेवाएं	372.74	1.63	VIII
	कुल	22,800.00	100.00	

1.22 भारत निर्माण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत ढांचों के विकास, जैसे सिंचाई, सड़कों से जोड़ना, ग्रामीण पेयजल योजना, आवास, ग्रामीण विद्युतिकरण और गांवों को दूरभाष द्वारा

जोड़ना, को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है।

1.23 जनता के प्रति बचनबद्धता को निभाने के लिए प्रत्येक सचालित लोक सेवा विभाग में माननीय मुख्यमन्त्री की प्रत्यक्ष देख–रेख में अलग से एक जन शिकायत निवारण विभाग की स्थापना की गई है। इसको अधिक व्यवहारिक बनाने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार देश में पहला प्रदेश है जिसने ई–समाधान के द्वारा जन शिकायतों के निवारण का प्रावधान किया है।

1.24 प्रगति और समृद्धि की कोई सीमा नही है। सरकार की प्राथमिकता हमेशा से ही सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की रही है। लोक सेवा प्रदान करने में दक्षता व गुणवता, में सुधार लाने हेतू एकताबद्ध प्रयास किये गये हैं।

सामाजिक आर्थिक पुनरूत्थान की राह में मुख्य उपलब्धियां निम्न हैः–

- पात्र शिक्षित बेरोजगार युवाओं को `1,000 कौशल विकास भत्ता दिया जा रहा है।
- योजना के अंतर्गत आयु की पात्रता 16 से 35 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है।
- समाजिक सुरक्षा पैंशन `450 से बढ़ाकर `500 प्रतिमाह की गई है।
- 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के वृद्ध जनों को `1,000 मासिक पैंशन दी जा रही है।
- सरकारी स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है।
- नवजात शिशुओं व उनकी माताओं को अस्पताल से घर जाने हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा दी गई।
- राज्य में कृषि सम्बन्धी अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य के कुल बजट का 12 प्रतिशत इस मुख्य क्षेत्र पर व्यय किया जा रहा है।
- विभिन्न बैंकों द्वारा सितम्बर,2013 तक 5,84,568 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए तथा `2,660.31 करोड़ की राशि आंवटित की गई।
- किसान काल सैंटर योजना के तहत कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 1800–180–1551 पर निःशुल्क कॉल की सुविधा दी जाती है।
- प्रदेश सरकार द्वारा मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत 41,333 किसान आवर्णित किए गए। कुल बीमित राशि पर देय प्रीमियम 50:25:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा।
- भारत सरकार द्वारा बागवानी तकनीक मिशन के लिए `43.08 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृत की गई है।

- राजीव गांधी अन्न योजना के अंर्तगत 36 लाख 82 हजार उपभोक्ताओं को प्रतिमाह तीन किलो गेहू व दो किलो चावल उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- राज्य में सभी राशन कार्ड धारकों के लिए आवश्यक वस्तुएं उपदान पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिससे उन्हें मूल्य वृद्धि से जुझना न पड़ें।
- राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2012–13 में `83,899 हो गई है जोकि वर्ष 2011–12 से 11.6 प्रतिशत अधिक है। 2013–14 में प्रति व्यक्ति आय `92,300 होने का अनुमान है।
- प्रदेश में उपलब्ध 23,000 मैगावाट बिजली संभावित लक्ष्य में से 8,432 मैगावाट विद्युत का दोहन किया गया है। वर्ष 2012–13 में 1,815 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया।
- प्रदेश के चिकित्सालयों में 424 जेनेरिक औषधियां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है ।
- 40 प्रकार के गंभीर रोगों से ग्रस्त 18 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है ।
- वर्ष 2012–13 में प्रदेश राज्य आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 18.23 प्रतिशत रहा है तथा प्रदेश में औद्योगिक पैकेज को 2017 तक बढ़ाया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत् इस वर्ष 159.67 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए तथा 4,09,999 परिवार लाभान्वित हुए।
- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीब लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए 7,064 घर स्वीकृत किए गए।
- व्यापारियों की सहायता हेतु बैव पोर्टल 24X7 उपभोक्ता स्वयं सेवा शुरू की गई।
- राजीव आवास योजनाओं के अंतर्गत गृह निर्माण अनुदान राशि `48,000 रुपये से बढ़ाकर `75,000 की गई।
- महिला मण्डलों को स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना शुरू की गई तथा वर्ष 2013–14 के दौरान `131.04 लाख पुरस्कार का प्रावधान रखा गया है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही महिलाओं को उनकी मृत्यु एवं अपंगता होने पर महिला शक्ति बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया।
- समाज के वंचित वर्ग के शैक्षणिक स्तर को सुधारने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की छात्रवृति/बजीफा प्रदान किया जा रहा है।
- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- पुरूष व महिला साक्षरता दर के अनुपात को कम करने के लिए शिक्षा से पिछड़े हुए ब्लॉकों में

लड़कियों के लिए छात्रावास शुरू किए गए।

- राजीव गांधी डिजीटल विद्यार्थी योजना के अंतर्गत 10वीं व 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को 5,000 नोट बुक्स प्रदान की गई है।
- आई.आई.टी.,एम्ज अथवा आई.आई.एम. में चयनित होने वाले प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को सरकार `75,000 की प्रोत्साहन राशि दे रही।
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के अधीन 28,923 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।
- सूचना एवं संचार तकनीकी (आई.सी.टी.) परियोजना के अंतर्गत नवीं से बाहरवीं कक्षा तक विभिन्न विषय एल.सी.डी.–टी.वी. एवं एल.सी.डी.–प्रोजेक्टर की सहायता से पढ़ाए जाएंगें।
- कन्या शिशु के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने के उद्वेश्य से **बेटी है अनमोल** नामक योजना शुरू की गई। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को कन्या जन्म (दो कन्याओं) पर `10,000 की अनुदान राशि कन्या के नाम पर डाकघर में जमा किए जाते हैं जो उन्हें 18 वर्ष की आयु पर दिए जाते हैं।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सहायता राशि `21,000 से बढ़ाकर `25,000 की गई।
- अन्तरजातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन राशि `25,000 से बढ़ाकर `50,000 की।
- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की शिशु स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन राशि `4,000 दी जा रही थी जो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने पर `6,000 की गई।
- आम जनता को उनके घर–द्वार पर समान स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय सरकारी संस्थानों के सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन किया गया।
- राज्य में "मातृ सेवा योजना" के अंतर्गत् सभी वर्गों की गर्भवती महिलाओं को सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क संस्थागत प्रसव सुविधा प्रदान की जा रही है।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नगर नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत शिमला नगर में 75 बसों को शामिल किया गया।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नगर नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत 568 फलैट्स निर्मित किए गए।
- हिमाचल प्रदेश राज्य को स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (हिम स्वान) और ई–समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रहने का गौरव प्राप्त हुआ है।

- हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने 1,350 सरकारी कार्यालयों को स्वान से जोड़ा है।
- प्रदेश की जनता को पारदर्शी, स्वच्छ, शीघ्र तथा कम लागत पर विभिन्न प्रभावी सेवाएं जैसे सरकार से नागरिक, व्यापार से नागरिक, नागरिक से नागरिक, उपलब्ध करवाने के लिए जन सेवा केन्द्र स्थापित करने की योजना है।
- सरकार ने सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग और भण्डार नियंत्रक की खरीद प्रणाली में पार्दशिता लाने के लिए ई.जी.पी. (ई–सरकारी खरीद) व्यवस्था को लागू किया है।
- **प्रदेश में बेहतर व शीघ्र सेवा के लिए "सेवा अधिनियम" लागु किया गया।**
- आधार योजना के अंतर्गत 30.12.2013 तक कुल जनसंख्या 68,64,602 में से 65,88,931 निवासियों का नामांकन किया गया जिसमें से 62,90,434 का आधार कार्ड बनाया गया।
- स्वास्थ्य एवं निवेश के क्षेत्र में बड़े

  राज्यों की श्रेणी में हिमाचल को सर्वोच्च राज्य के रूप में आंका गया है।

सारणी 1.3
राज्य सरकार की प्राप्तियां तथा व्यय

(` करोड़ में)

मद	2010–11 (वा.)	2011–12 (वा.)	2012–13 (स.)	2013–14 (ब.)
1. राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	**12710**	**14543**	**16736**	**17701**
2. कर राजस्व	5358	6107	7350	8090
3. कर रहित राजस्व	1695	1915	1902	2393
4. सहाय अनुदान	5657	6521	7484	7218
5. राजस्व व्यय	**13246**	**13898**	**16381**	**17647**
क. ब्याज भुगतान	1950	2130	2297	2431
6. राजस्व घाटा (1–5)	**– 536**	**645**	**355**	**54**
7. पूंजी प्राप्तियां	**3745**	**2828**	**3976**	**4190**
क. उधार वसूलियां	73	25	26	28
ख. अन्य प्राप्तियां	1904	819	650	650
ग. उधार एवं परिसम्पतियां	1768	1984	3300	3512
8. पूंजी व्यय	**2885**	**3421**	**4322**	**4120**
9. कुल व्यय	**16131**	**17329**	**20703**	**21767**
क. योजना व्यय	3648	3943	4384	4295
ख. गैर योजना व्यय	12483	12386	16319	17472
सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत				

1. राजस्व प्राप्तियां	**22.30**	**22.39**	**22.70**	**21.44**
2. कर राजस्व	9.40	9.40	9.97	9.80
3. कर रहित राजस्व	2.97	2.95	2.58	2.90
4. सहाय अनुदान	9.93	10.04	10.15	8.74
5. राजस्व व्यय	**23.25**	**21.40**	**22.22**	**21.37**
क. ब्याज भुगतान	3.42	3.28	3.12	2.94
6. राजस्व घाटा	**– 0.94**	**0.99**	**0.48**	**0.07**
7. पूंजी प्राप्तियां	**6.67**	**4.35**	**5.40**	**5.07**
क. उधार वसूलियां	0.13	0.04	0.04	0.03
ख. अन्य प्राप्तियां	3.34	1.26	0.88	0.79
ग. उधार एवं परिसम्पतियां	3.10	3.05	4.48	4.25
8. पूंजी व्यय	**5.06**	**5.28**	**5.86**	**4.99**
9. कुल व्यय	**28.31**	**26.68**	**28.09**	**26.36**
क. योजना व्यय	6.40	6.07	5.95	5.20
ख. गैर योजना व्यय	21.91	20.61	22.14	21.16

टिप्पणीः वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13(द्रुत) तथा 2013–14(अनन्तिम) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकडें।

2. राज्य आय एवम् लोक वित्त

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

2.1 राज्य आय अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोचित मापदण्ड है। द्रुत अनुमानों के अनुसार वर्ष 2012–13 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद `44,480 करोड़ आंका गया जबकि वर्ष 2011–12 में यह `41,908 करोड़ था। वर्ष 2012–13 में प्रदेश के आर्थिक विकास की दर स्थिर भावों (आधार:2004–2005) पर 6.1 प्रतिशत रही।

2.2 प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2012–13 में पिछले वर्ष 2011–12 के `64,957 करोड़ की तुलना में `73,710 करोड़ आंका गया है,जो कि 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। विकास दर की इस वृद्धि का मुख्य श्रेय कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में हुई वृद्धि को है। वर्ष 2012–13 में खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2011–12 के 15.44 लाख मी0टन से बढकर 15.68 लाख मी0 टन हो गया है। जबकि, वर्ष 2012–13 में सेब उत्पादन वर्ष 2011–12 के 2.75 लाख मी0 टन से बढकर 4.12 में लाख मी0 टन हो गया ।

2.3 हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर है। कृषि क्षेत्र पर निर्भरता तथा औद्योगिक आधार कमजोर होने के कारण खाद्यान्नों व फलों के उत्पादन का उतार–चढाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। वर्ष 2012–13 के दौरान कुल राज्य की आय का लगभग 14.42 प्रतिशत योगदान कृषि व संबंधित क्षेत्रों से ही प्राप्त हुआ है।

2.4 राज्य की अर्थ–व्यवस्था वृद्वि स्थिति स्थापन की ओर अग्रसर है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के वर्ष 2013–14 में 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

2.5 गत तीन वर्षों में प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास दर सारणी 2.1 में दर्शाई गई हैः–

सारणी 2.1

(प्रतिशत)

o”kZ	fgek py izns’k	leLr Hkkjr
1	2	3
2011–12(संशोधित)	7.3	6.2
2012–13(द्रुत)	6.1	5.0
2013–14(अग्रिम)	6.2	

प्रति व्यक्ति आय

2.6 राज्य आय के द्रुत अनुमानों वर्ष 2012–13 (नई श्रृंखला आधार वर्ष 2004–05) के अनुसार प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर `83,899 है जोकि वर्ष 2011–12 `75,185 की तुलना में 11.6 प्रतिशत अधिक है। 2004–05 के स्थिर भावों पर वर्ष 2011–12 में प्रति व्यक्ति आय `49,203 आंकी गई थी जो कि वर्ष 2012–13 में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाते हुए `51,730 हो गई है।

विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

2.7 क्षेत्रीय विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2012–13 में प्रदेश की राज्य आय में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान 19.72 प्रतिशत रहा। गौण क्षेत्रों का 38.35 प्रतिशत, सामुदायिक वैयक्तिक क्षेत्रों का 18.46 प्रतिशत, परिवहन संचार एवं व्यापार का 15.17 प्रतिशत तथा वित्त एवं स्थावर सम्पदा का योगदान 8.30 प्रतिशत रहा।

2.8 प्रदेश अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में इस दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन पाए गए। कृषि क्षेत्र जिसमें उद्यान व पशुपालन भी सम्मिलित है का प्रतिशत योगदान वर्ष 1990–91 में 26.5 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2012–13 में 14.42 प्रतिशत रह गया। फिर भी प्रदेश की अर्थव्यस्था में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक महत्व रहा। यही कारण है कि खाद्यान्न/फल उत्पादन में आया तनिक भी उतार–चढाव अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान, जिनमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन तथा खनन व उत्खनन सम्मिलित हैं, 1990–91 में 35.1 प्रतिशत से घट कर 2012–13 में 19.72 प्रतिशत रह गया।

2.9 गौण क्षेत्रों जिनका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में दूसरा प्रमुख स्थान है जिस में वर्ष 1990–91 के पश्चात महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इसका प्रतिशत योगदान वर्ष 1990–91 में 26.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 38.35 प्रतिशत हो गया जो कि प्रदेश औद्योगिकरण व आधुनिकीकरण की ओर स्पष्ट रूझान को दर्शाता है। विद्युत, गैस व जल आपूर्ति जो कि गौण क्षेत्रों का ही एक अंग है का भाग वर्ष 1990–91 में 4.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 8.8 प्रतिशत हो गया, अन्य सेवा सम्बन्धी क्षेत्रों जैसे कि व्यापार, यातायात, संचार, बैंक, स्थावर सम्पदा और व्यवसायिक सेवाएं तथा सामुदायिक व वैयक्तिक सेवाओं का योगदान भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2012–13 में 41.93 प्रतिशत रहा।

विभिन्न क्षेत्रों के अधीन प्रगति

2.10 वर्ष 2012–13 में विभिन्न क्षेत्रों की निम्न रूपेण प्रगति के कारण ही सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 6.1 प्रतिशत रही।

प्राथमिक क्षेत्र

प्राथमिक क्षेत्र	2012–13 (`करोड़ में)	% कमी /वृद्धि
1	2	3
1.कृषि एवं पशुपालन	5,602	10.6
2. वन	2,115	6.6
3. मत्सय	48	10.8
4.खनन तथा उत्खनन	149	11.9
कुल प्राथमिक क्षेत्र	**7,914**	**9.5**

2.11 प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य खनन तथा उत्खनन सम्मिलित हैं, के विकास में वर्ष 2012–13 में 9.5 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि रही। कृषि व फल उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ने के कारण इस क्षेत्र के विकास दर में वृद्धि सकारात्मक रही।

गौण क्षेत्र

गौण क्षेत्र	2012–13 (`करोड़ में)	% कमी /वृद्धि
1	2	3
1. विनिर्माण	7,623	3.2
2. निर्माण	6,375	3.3
3. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	3,396	3.9

कुल गौण क्षेत्र	17,394	3.4

2.12 गौण क्षेत्र जिसमें विनिर्माण, पंजीकृत व अपंजीकृत, निर्माण तथा विद्युत गैस व जल आपूर्ति सम्मिलित हैं, वर्ष

2012–13 में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में पिछले वर्षो की अच्छी उपलब्धियों की अपेक्षा इस वर्ष विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि घट गई है।

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र	2012-13 (`करोड़ में)	% कमी /वृद्धि
1	2	3
1. परिवहन, संचार व व्यापार	7,456	6.2
2. वित्त एवं स्थावर सम्पदायें	4,052	4.8
3.सामुदायिक एवं वैयक्तिक संवायें	7,664	10.0
कुल सेवा क्षेत्र	**19,172**	**7.4**

परिवहन, संचार एवं व्यापार

2.13 वर्ष 2012–13 में इस क्षेत्र की विकास दर 6.2 प्रतिशत रही। इस क्षेत्र के परिवहन के अन्य साधनों से सम्बन्धित विकास दर 9.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

वित्त एवं स्थावर सम्पदा

2.14 इस क्षेत्र में बैंक, बीमा, स्थावर सम्पदा, आवासों का स्वामित्व एवं व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की विकास दर वर्ष 2012–13 मे 4.8 प्रतिशत रही ।

सामुदायिक एवं निजि सेवाएं

2.15 इस क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2012–13 में 10.0 प्रतिशत है।

सम्भावनाएं–2013–14

2.16 दिसम्बर,2013 तक प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर आधारित अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2013–14 में विकास दर **6.2 प्रतिशत** आने की संभावना है। प्रदेश ने गत दो वर्षों में विकास की दर 6.1 प्रतिशत व 7.3 प्रतिशत प्राप्त की हैं। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भावों पर) लगभग `82,585 करोड़ होने की संभावना है।

2.17 अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 2013–14 में `92,300 आंकी गई है जोकि वर्ष 2012–13 में `83,899 की तुलना में 10.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

2.18 हिमाचल प्रदेश में आर्थिक विकास के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि प्रदेश की आर्थिक विकास दर सदैव समस्त भारत की विकास दर के समकक्ष ही रहती रही है, जैसा कि सारणी 2.2 में दर्शाया गया है:–

सारणी 2.2

अवधि	औसतन विकास दर प्रतिषत	
	हिमाचल प्रदेष	समस्त भारत
1	2	3
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)	(+) 1.6	(+) 3.6
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)	(+) 4.4	(+) 4.1
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66)	(+) 3.0	(+) 2.4
वार्षिक योजना (1966–67 से 1968–69)	..	(+) 4.1
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74)	(+) 3.0	(+) 3.4
पंचम पंचवर्षीय योजना(1974–78)	(+) 4.6	(+) 5.2
वार्षिक योजना (1978–79 से 1979–80)	(-) 3.6	(+) 0.2
छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85)	(+) 3.0	(+) 5.3
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)	(+) 8.8	(+) 6.0
वार्षिक योजना (1990–91)	(+) 3.9	(+) 5.4
वार्षिक योजना (1991–92)	(+) 0.4	(+) 0.8
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)	(+) 6.3	(+) 6.2
नवम पंचवर्षीय योजना (1997–2002)	(+) 6.4	(+) 5.6
दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002–2007	(+) 7.6	(+) 7.8
ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना 2007–2012	(+) 8.0	(+) 8.0

लोक वित्त

2.19 प्रशासन व विकासात्मक कार्यों के व्यय हेतु सरकार के मुख्य वित्तीय साधन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, कर रहित राजस्व केन्द्रीय करों में भाग तथा केन्द्र से प्राप्त सहाय अनुदान आदि हैं। वर्ष 2013–14 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां `17,701 करोड़ है जोकि वर्ष 2012–13 (संशोधित) में `16,736 करोड़ थी। राजस्व प्राप्तियां में वर्ष 2012–13 की तुलना वर्ष 2013–14 में 5.77 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है।

2.20 राज्य करों से कुल प्राप्त आय वर्ष 2013–14 (बजट अनुमान) में `5,373 करोड़ तथा वर्ष 2012–13 संशोधित में `5,049 करोड़ व वर्ष 2011–12 (वा0) में `4,108 करोड़ आंकी गई है। राज्य कर वर्ष 2013–14 (बजट अनुमान) की अपेक्षा वर्ष

2012–13 (संशोधित अनुमान) से 6.41 प्रतिशत अधिक है।

2.21 राज्य के कर रहित राजस्व जिसमें विशेषकर ब्याज प्राप्ति, ऊर्जा परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं, वर्ष 2013–14 (बजट अनुमान) में `2,393 करोड़ आंका गया था जोकि वर्ष 2013–14 के कुल राजस्व का 13. 51 प्रतिशत था।

2.22 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2013–14 (बजट अनुमान) में `2,717 करोड़ आंका गया है।

2.23 राज्य करों से प्राप्त आय के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 (बजट अनुमान) में बिक्री करों से प्राप्त आय `3,233 करोड़ आंकी गई है जोकि कुल कर प्राप्ति का 39.96 प्रतिशत है। वर्ष 2012–13 व वर्ष 2011–12 में यह क्रमशः 43.02 व 40.57 प्रतिशत थी। बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2013–14 में राज्य उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय `949 करोड़ आंकी गई है।

2.24 वर्ष 2011–12 व 2012–13 में राजस्व आधिक्य, कुल सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता क्रमशः 0.99 व 0.48 प्रतिशत थी।

3- संस्थागत एवम् बैंक वित्त

3.1 हिमाचल प्रदेश राज्य में 12 जिले हैं। प्रदेश में तीन बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है जिसमें पंजाब नैशनल बैंक को 6 जिलों में, यूको बैंक को 4 जिलों में तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को 2 जिलों का कार्य आवंटित किया गया है। यूको बैंक राज्य स्तर बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) का संयोजक बैंक हैं। सितम्बर, 2013 तक राज्य में कुल 1,706 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है और ये शाखा विस्तार लगातार बढ़ रहा है। मार्च, 2012 से सितम्बर, 2013 तक 142 नई बैंक शाखाएं खोली गई है। वर्तमान में 1,367 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 253 शाखाएं अर्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 86 शिमला में स्थित है जिसे आर.बी.आई. द्वारा राज्य में केवल शहरी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है।

3.2 जनगणना, 2011 के अनुसार प्रति शाखा औसत जनसंख्या 4,019 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11,000 है। राज्य में पंजाब नैशनल बैंक की सबसे ज्यादा 272, एस.बी.आई. और इसके सहयोगियों की 319 और यूको बैंक की 151 शाखाएं हैं। सहकारी बैंक का 442 शाखाओं का नेटवर्क है और निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण शाखाओं की संख्या 83 हो गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में कुछ शहरी सहकारी बैंक, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक भी कार्य कर रहे हैं। कांगड़ा ज़िले में सबसे अधिक 339 बैंक शाखाएं जबकि जिला लाहौल–स्पिति में सबसे कम 41 शाखाएं कार्यरत हैं।

3.3 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित एक तीन स्तरीय अल्पावधि ऋण ढांचे का शीर्ष बैंक है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश के 6 जिलों में 190 शाखाएं और 17 विस्तार पटलों के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक जिसकी समस्त शाखाएं (जिनमें से अधिकतर प्रदेश के ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में हैं) पूर्णतः सी.बी.एस.प्रणाली पर कार्यरत हैं जिसके अंतर्गत ग्राहक बैंक की किसी भी शाखा से दूसरी शाखा पर बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, सहकारी क्षेत्र में नेशनल फाईनेंशल स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक हैं जिसके द्वारा बैंक के खाता धारक देश के किसी भी स्थान पर विद्यमान सभी प्रमुख बैंकों के ए.टी.एम. का प्रयोग कर सकते हैं तथा अन्य बैंकों के ग्राहक भी हमारे बैंक के ए.टी.एम. का प्रयोग कर सकते हैं। वर्तमान में बैंक ने अपने 41 ए. टी.एम. स्थापित किए हैं। बैंक विस्तार को लेकर शाखाएं खोलने हेतू 24 आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुमति के लिए लम्बित हैं। बैंक सीधे तौर पर आर.टी. जी.एस. व एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से कहीं भी पैसों का हस्तांतरण कर सकते हैं। बैंक ने वित्तीय समावेश हेतु सार्थक पग उठाये हैं और दो ग्रामों में, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से बी.सी. मॉडल अपनाया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए पूरे प्रदेश में पैंशन देने के लिए अधिकृत कर दिया गया है।

3.4 राज्य में आर.बी.आई., नाबार्ड तथा एस.आई.डी.बी.आई. के क्षेत्रीय कार्यालय हैं और पी.एन.बी., एस.बी.आई., यूको, एस.बी.ओ.पी. तथा सैन्ट्रल बैंक राज्य में नियंत्रण कार्यालय भी कार्य कर रहे हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा 1,056 ए.टी.एम. स्थापित करने के कारण बैंक सेवाओं में वृद्धि हुई है।

3.5 राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास का पहिया बढ़ाने के लिए बैंक भागीदार के रूप में ज़िम्मेदारी निभा रहा है। ऋण का प्रवाह सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बढ़ाया गया है। सितम्बर, 2013 तक राज्य के बैंकों ने आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित 6 राष्ट्रीय मानकों के विरूद्ध 5 राष्ट्रीय मानकों की स्थिति को प्राप्त किया है। वर्तमान में क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्रों के लिए अग्रिम 68 प्रतिशत, कृषि के लिए 18 प्रतिशत, कमजोर वर्ग के लिए 20 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए 7 प्रतिशत अग्रिम दिया जा रहा है तथा क्रेडिट जमा अनुपात 60 प्रतिशत रहा। बैंक 1 प्रतिशत डी.आर.आई. लक्ष्य प्राप्त करने लिए प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानकों की स्थिति नीचे सारणी 3.1 में दर्शाई गई है।

सारणी 3.1
राष्ट्रीय मानकों की स्थिति

क.सं.	क्षेत्र	अग्रिम प्रतिशत 30.9.2011	अग्रिम प्रतिशत 30.9.2012	अग्रिम प्रतिशत 30.9.2013	राष्ट्रीय मानक
1	प्राथमिकता के क्षेत्र में उधार	60.04	71.76	68.20	40
2	कृषि ऋण	18.05	22.37	18.41	18
3	एम.एस.ई.ऋण(पी.एस.सी.)	41.26	48.68	48.12	–
4	अन्य प्राथमिक क्षेत्र (पी.एस.सी.)	28.67	20.11	24.88	–
5	कमजोर वर्ग ऋण	17.40	20.71	19.62	10
6	पिछले वर्ष के कुल ऋण के डी. आर.आई.ऋण	0.07	0.05	0.05	1
7	महिला ऋण	5.49	8.50	6.99	5
8	जमा एवं अग्रिम अनुपात	67.54	69.29	60.20	60
9	अनुसूचित जाति ऋण (पी.एस.सी.)	14.45	14.57	13.78	–
10	अनुसूचित जन–जाति ऋण (पी.एस.सी.)	4.93	5.56	4.71	–
11	अल्पसंख्यक ऋण	3.23	3.74	3.71	–

वित्तीय समावेषः

3.6 भारत सरकार द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बैंक विभिन्न वित्तीय समावेश के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल है। वर्ष 2007 में राज्य ने पहले ही 100 प्रतिशत वित्तीय समावेश की स्थिति प्राप्त कर ली है तथा अब 100 प्रतिशत क्रेडिट समावेश की ओर अग्रसर है। वित्तीय समावेश एक विकल्प नहीं है बल्कि बैंकिंग क्षेत्र द्वारा समाज के संवेदनशील वर्ग को मिलने वाले लाभों से वंचित रखने के कारण भविष्य में अपनी व्यवसायिक योजना को विस्तृत करना है। पिछला वित्तीय वर्ष सीधे लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) योजना के लागू करने के कारण

प्रभावी रहा जिसमें विभिन्न सरकारी स्कीमों के उपदान का लाभ आधार/ एन.पी.सी. आई. के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में में सीधे रूप से जमा कर दिया जाता है। राज्य ने आधार कार्ड बनाने हेतु महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है तथा 95 प्रतिशत तक हो चुका है। अब तक बैंकों ने `17.47 करोड़ की राशि 20,253 डी.बी.टी. लेन देन के अन्तर्गत हासिल की है।

3.7 डी.बी.टी. के माध्यम से राज्य के 12 में से 11 ज़िलों के एल.पी.जी. उपभोक्ताओं को लाभ दिया गया है जोकि एक सराहनीय कार्य है। राज्य में इस योजना के अंतर्गत आधार के माध्यम से अनुदान राशि सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में डाली जाएगी। यह योजना एक महीने के अंदर इन चयनित जिलों में शुरू हो जाएगी।

3.8 रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार मार्च, 2016 तक सभी 16,640 गांवों, जिनमें बैंक सुविधा नहीं है का विस्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर रोड़ मैप तैयार किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 800 अति लघु शाखाएं खोलने तथा व्यवसायिक सम्पर्क अभिकर्ता भर्ती करने का प्रस्ताव है जिनके माध्यम से न्यूनतम बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना है। लोक मित्र केन्द्रों को भी बैंकिग सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए शामिल करने का विचार किया जा रहा है। अब तक 2,709 बिना बैंक वाले गांवों को सम्मिलित कर लिया गया है। वित्तीय लेन–देन करने के लिए आई.सी.टी. आधारित उपकरण व्यवसायिक सम्पर्क अभिकर्ताओं को प्रदान किए गए हैं।

बैंको की व्यापारिक मात्राः

3.9 सितम्बर, 2012 से सितम्बर, 2013 तक राज्य में परिचालन बैंकों की सकल जमा राशियां वाणिज्यिक बैंक की 71 प्रतिशत, आर.आर.बी. की 4 प्रतिशत, सहकारी बैंक की 20 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रीय बैंकों की 5 प्रतिशत भागीदारी से ` 53,400 करोड़ से बढ़कर ` 63,459 करोड़ की वृद्धि दर्ज़ की गई है। सितम्बर, 2012 से सितम्बर, 2013 तक कुल अग्रिम 23 प्रतिशत वृद्धि के साथ `21,274 करोड़ से बढ़कर ` 26,090 करोड़ हो गई।

3.10 मार्च, 2013 से सितम्बर, 2013 तक कुल व्यापारिक मात्रा में ` 81,821 करोड़ से बढ़कर ` 89,549 करोड़ हो गई। तथा 9.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बाज़ार में 69.59 प्रतिशत की भागीदारी की। तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े नीचे सारिणी 3.2 में दर्शाए गए हैंः–

सारणी 3.2
हिमाचल प्रदेश में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(` करोड़ में)

क्र. सं.	मद	30.9.2012	30.9.2013	सितम्बर,2012 तक परिवर्तन एवं वृद्धि प्रतिशत	
				सम्पूर्ण	प्रतिशत
1.	जमा राशि (पी.पी.डी.)				
	ग्रामीण	29742.87	36257.43	6514.56	21.90
	शहरी /अर्ध शहरी	23657.6	27201.43	3543.83	14.98
	कुल	**53400.47**	**63458.86**	**10058.39**	**18.84**
2.	अग्रिम (ओ/एस)				
	ग्रामीण	11438.91	16129.88	4690.97	41.01
	शहरी /अर्ध शहरी	9835.52	9960.16	124.64	1.27
	कुल	**21274.43**	**26090.04**	**4815.61**	**22.64**
3.	बैंकों द्वारा राज्य सरकार के बांड़/प्रतिभूतियों में निवेश	6531.58	2260.49	(-) 4271.09	(-) 65.39
4.	जमा उधार अनुपात थरोट कमेटी के आधार पर	69.29%	60.20%	(-) 9.09	(-) 13.12
5.	प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से:	**15265.49**	**17794.11**	**2528.62**	**16.56**
	(i) कृषि	4758.68	4803.27	44.59	0.94
	(ii) एम.एस.ई.	7430.69	8563.30	1132.61	15.24
	(iii) ओ.पी.एस.	3076.12	4427.54	1351.42	43.93
6.	गरीबों को अग्रिम	4405.58	5119.20	713.62	16.20
7.	डी.आर.आई.अग्रिम	9.62	14.19	4.57	47.51
8.	अप्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	6008.93	8295.93	2287.00	38.06
9.	शाखाओं की संख्या	1614	1706	92	5.70
10.	महिलाओं के लिए अग्रिम	1808.51	1823.18	14.67	0.81
11.	अल्प–संख्यकों को ऋण	571.37	660.28	88.91	15.56
12.	अनुसूचित जातियों को अग्रिम	2225.00	2452.9	227.90	10.24
13.	अनुसूचित जन–जातियों को अग्रिम	848.79	837.65	(-) 11.14	(-) 1.31
14.	सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अग्रिम	954.96	920.33	(-) 34.63	(-) 3.63

वार्षिक जमा योजना 2013–14 के अन्तर्गत प्रदर्शनः

3.11 नाबार्ड द्वारा विभिन्न प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के लिए वाहय कार्य क्षमता के आधार पर बैंकों ने वार्षिक जमा योजना के अन्तर्गत नए ऋण देने के लिए नीति तैयार की है। वार्षिक ऋण योजना

2013–14 के अंतर्गत वित्तीय लक्ष्य गत योजना से 23.53 प्रतिशत से बढ़ाकर ` 11,548 करोड़ निर्धारित किया गया है। इसके अन्तर्गत बैंकों ने अर्ध वार्षिक में सितम्बर, 2013 तक ` 5,435 करोड़ के नए ऋण दिए गए तथा 47.06 प्रतिशत की वार्षिक प्रतिबद्धता प्राप्त की। क्षेत्रवार लक्ष्य तथा उपलब्धि 30.09.2013 तक सारणी 3.3 में दर्शाई गई है।

सारणी 3.3
सितम्बर,2013 तक स्थिति पर एक दृश्टि

(` करोड़ में)

क. सं.	क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य 2012–13	लक्ष्य सितम्बर,2013	उपलब्धि सितम्बर,2013		लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि
				नई ईकाइयां	राशि	
1	कृषि	4065.44	1829.45	170242	1600.39	87.48
2	एम.एस.ई.	3157.08	1420.68	26748	1232.6	86.76
3	अन्य प्राथमिक क्षेत्र	2619.92	1178.96	32889	831.42	70.52
4	**कुल प्राथमिक क्षेत्र (1से3)**	**9842.44**	**4429.09**	**229879**	**3664.41**	**82.74**
5	गैर प्राथमिक क्षेत्र	1705.44	767.45	38594	1770.77	230.73
	कुल योग(4+5):	**11547.88**	**5196.54**	**268473**	**5435.18**	**104.59**

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यन्वयन:

क) प्रधानमन्त्री रोज़गार कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0)

3.12 इस योजना के अन्तर्गत 630 इकाईयों के लक्ष्य के विरूद्ध 833 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं जिसमें 3,886 व्यक्तियों के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान किए गए। वर्ष 2013–14 के लक्ष्य को 1,619 इकाईयों में संशोधित किया गया। सितम्बर, 2013 तक बैंकों द्वारा 388 ऋण प्रस्तावों में ` 19.84 करोड़ का भुगतान किया गया है।

ख) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना:

3.13 योजना के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष 2012–2013 में बैंकों द्वारा 9,486 स्वरोज़गारों को ` 47.12 करोड़ ऋण की राशि के रूप में सहायता प्रदान की गई। इसमें ` 39.55 करोड़ के ऋण तथा ` 7.57 करोड़ अनुदान के रूप में दिए गए।

ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन: (एन0आर0एल0एम0)

3.14 भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित इस योजना में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बैंकों द्वारा रियायती दर पर ब्याज़ देने की घोषणा की गई है।

घ) राष्ट्रीय षहरी आजीविका मिषन: (एन0यू0एल0एम0)

3.15 यह भी भारत सरकार द्वारा घोषित नई योजना है, जिसके अन्तर्गत

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कमज़ोर वर्ग को स्वरोज़गार वेंचर्स तथा कौशल विकास तथा गृह ऋण के लिए रियायती ऋण दिए गए तथा इस योजना में घुमन्तू/सड़क पर बैठकर बेचने वालों को भी शामिल किया गया।

ड) राजीव ऋण योजनाः

3.16 यह भी एक नई योजना है जिसका उद्देश्य आश्रय स्थलों की ज़रूरतों को पूरा करना है।

च) दूध गंगा डेयरी योजनाः

3.17 नाबार्ड द्वारा शुरू की गई इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को वरीयता प्रदान की गई है।

3.18 इसके अतिरिक्त बैंक किसानों को फसलों के लिए ऋण लेने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान कर रहे हैं। अब तक बैंकों द्वारा 6.41 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए जिसमें से 51,267 किसान क्रेडिट कार्ड ज़रूरतमंद किसानों को प्रदान किए गए हैं।

नाबार्ड

3.19 राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण संरचना विकास, लघु ऋण, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, लघु सिंचाई तथा अन्य कृषि क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्रामीण ऋण वितरण व्यवस्था का राज्य में सुदृढ़ीकरण व विस्तृतीकरण करके एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विकास प्रक्रिया में निरन्तर सहयोग दिया है। नाबार्ड के सक्रिय सहयोग के कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत से सामाजिक व आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। नाबार्ड अपनी योजनाओं के अतिरिक्त केंद्रीय प्रायोजित ऋणयुक्त अनुदान योजनाएं जैसे डेरी उद्यमिता विकास योजना (डी.ई.डी.एस.), खरगोश जोखिम पूंजी निधि ग्रामीण गोदामों का निर्माण, एग्रीक्लिनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोश का एकीकृत विकास, कृषि विपणन आधार सरंचना, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण का सशक्तिकरण योजना इत्यादि योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

ग्रामीण आधार संरचना

3.20 भारत सरकार द्वारा नाबार्ड में वर्ष 1995–96 में ग्रामीण संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) की स्थापना की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को, चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रियायती ऋण दिए जाते हैं। इस योजना का विस्तार पंचायती राज संस्थाओं, स्वंय सहायता समूहों तथा गैर सरकारी संगठनों को विभिन्न स्थानों पर चिन्हित विशेष संरचना ढांचे के विकास जिसका सीधा असर समाज व ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था से हो के लिए भी कर दिया गया है।

3.21 यह योजना वर्ष 1995–96 आर0आई0डी0 एफ0 निधि के स्थापना वर्ष से ही राज्य सरकार के साथ मिलकर ग्रामीण आधार भूत विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के बजटों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा राज्य सरकारों तथा राज्य के

अधीन आने वाले निगमों को चालू परियोजनाओं को पूरा करने व कुछ चिन्हित नई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ऋण दिया जाता है। प्रारम्भ में आर0आई0डी0एफ0 निधि का उपयोग राज्य सरकार की अधूरी पड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता रहा है परन्तु समय के साथ–साथ इस निधि के उपयोग से वित्तीय सहायता का क्षेत्र विस्तृत करके 31 कार्यकलापों जिनमें कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा ग्रामीण सम्पर्क सम्बन्धित आधारभूत कार्यकलापों में विभक्त कर दिया है। यह योजना पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों और गैर–सरकारी संगठनों जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव समाज और ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था में वृद्धि करने के लिए विभिन्न स्थानों पर चिन्हित आधारभूत ढांचे को विकसित करने हेतु हो, बढ़ा दी गई है।

3.22 इस निधि के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 में आर0आई0डी0एफ0–1 में `15.00 करोड़ का बजट प्रावधान था जो अब बढ़कर आर0आई0डी0एफ0 XIX वर्ष 2013–14 में `500.00 करोड़ हो गया है। यह निधि विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिंचाई, सड़कें तथा पुल निर्माण, बाढ़ नियन्त्रण, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, पशुधन सेवाएं, जलागम विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकीइत्यादि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है तथा पॉली हाउस, तकनीक व सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से कृषि विपणन तथा सतत कृषि को वाणिज्यक रूप दिया गया है।

3.23 इस निधि के अन्तर्गत राज्य को दिसम्बर, 2013 तक 4,881 परियोजनाओं को लागू करने के लिए `4,165.35 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है। जिन में से मुख्यतः ग्रामीण सड़कें तथा पुल के लिए 55 प्रतिशत, सिंचाई के लिए 18 प्रतिशत, ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिए 15 प्रतिशत तथा शेष अन्य परियोजनाओं के लिए जिन में सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाएं भी शामिल हैं, स्वीकृति दी है। 31 दिसम्बर, 2013 तक निधि के अन्तर्गत `133.34 करोड़ तथा राज्य सरकार को `216.00 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा अब तक कुल मिलाकर `2,574.29 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

3.24 स्वीकृत की गई इन परियोजनाओं के कार्यान्वित होने तथा पूरा होने के बाद कुल 7,413 किलो मीटर सड़कें मोटर योग्य, 19,621 मीटर स्पैन पुलों के निर्माण तथा 87,175 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी जिससे 29.47 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचेगा।

3.25 इसके अतिरिक्त 20,139 हैक्टेयर भूमि का बचाव, बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं से लाभ होगा,6,219 हैक्टेयर भूमि जलागम विकास योजनाओं से लाभान्वित होगी। कृषि खेती हेतु 147 हैक्टेयर भूमि पर पॉली हाउस और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2,921 प्राथमिक स्कूलों के लिए कमरे, सकैन्डरी स्कूलों के लिए 64 विज्ञान प्रयोगशालाएं, 25 सूचना तकनीक केन्द्र तथा 397 पशु चिकित्सालयों एवं कृत्रिम गर्भाकरण केन्द्रों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है।

नई व्यापार पहलः

क) नाबार्ड वेयर हाउसिंग योजना 2013–14 (एन0डब्ल्यू0एस0)

3.26 नाबार्ड ने सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्रों में सीधे ऋण प्रदान करने हेतु वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज तथा अन्य वातानुकूलित चेन संरचना निर्माण के लिए `5,000 करोड़ से यह योजना शुरू की है। पहले से ही स्थापित परियोजना को आधुनिकीकरण करने के लिए वैज्ञानिक रूप से अधिक सक्ष्म करने हेतू यह योजना उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के उपक्रम, सहाकारी समितियां, संघ, ए0पी0एम0सी0एस0, राज्य स्तरीय बोर्ड, निजी कम्पनियां तथा निजी उद्यमी आदि ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

ख) नाबार्ड अधोसंरचना विकास सहायता (नीडा)

3.27 वर्ष 2011–12 से नाबार्ड ने राज्य सरकार के संस्थाओं/ निगमों के लिए ऋण की एक अलग व्यवस्था की है यह व्यवस्था बजट के माध्यम से तथा इसके बिना भी हो सकती है परन्तु इन संस्थानों का आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना अनिवार्य होगा। ऋण की यह व्यवस्था आर0आई0डी0एफ0 ऋण की व्यवस्था से बाहर है। इस निधि के आने से गैर परम्परागत क्षेत्रों में ग्रामीण अधोसंरचना तैयार करने हेतु संभावनाएं खुली हैं।

पुनर्वित्त सहायता

3.28 डेरी विकास, पौध रोपण, उद्यान, कृषि यंत्र संरचना, लघु सिंचाई, भूमि विकास, स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना व गैर कृषि क्षेत्र की उन्नति इत्यादि विभिन्न कार्यों के लिए नाबार्ड द्वारा प्रदेश में कार्यरत विभिन्न बैंकों को `116.83 करोड़ की वित्तीय सहायता वर्ष 2012–13 के दौरान और `24.07 करोड़ की वित्तीय सहायता वर्ष 2013–14 के दौरान 31 दिसम्बर,2013 तक दी गई। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा फसल ऋण वितरण में अधिक योगदान करने के लिए वर्ष 2013–14 में `403.00 करोड़ की ऋण सीमा स्वीकृत की थी जिसके तहत 31 मार्च,2013 तक इन बैंकों द्वारा `403.00 करोड़ का पुनर्वित नाबार्ड से लिया गया है। वर्ष 2013–14 में यह सीमा `495.00 करोड़ निर्धारित की गई थी जिसके परिणामस्वरूप `398.00 करोड़ का पुनर्वित 31दिसम्बर, 2013 तक नाबार्ड द्वारा वितरित किया जा चुका है।

सूक्ष्म ऋण

3.29 स्वंय सहायता समूह (एस.एच.जी.) कार्यक्रम अब सारे प्रदेश में एक सशक्त आधार के साथ फैल गया है। इस कार्यक्रम को उच्च शिखर पर पहुंचाने में मानव संसाधनों और वित्तीय उत्पादों का विशेष योगदान रहा है। इस समय 31 मार्च,2013 तक प्रदेश में 66,106 स्वंय सहायता समूहों के लगभग 6.61 लाख ग्रामीण परिवारों को बचत बैंक खाते के द्वारा बैंकों से जोड़ा है। इनमें से 64,451 स्वंय सहायता समूहों ने विभिन्न बैंको से ऋण लिया है और इनका ` 285.15 करोड़ का ऋण बकाया है। 31 मार्च,2013 तक लगभग 441 संयुक्त देयता समूहों को विभिन्न बैंको से `381.34 लाख का ऋण दिया गया है। इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए नाबार्ड राज्य में 68 एन.जी.ओ. के

साथ मिलकर कार्य कर रहा है। साथ ही नाबार्ड महिला और बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ भी मिलकर इस हेतू कार्य कर रहा है।

कृषि क्षेत्र में की गई पहल

3.30 31 दिसम्बर, 2013 मे राज्य में 2,830 किसान क्लब बनाए गए है जिनके अन्तर्गत 5,789 गांवों में 34,104 किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। ज़िला सिरमौर में किसान क्लबों के एक संघ का भी गठन किया गया है। नाबार्ड जलागम विकास योजना भी चला रही है तथा अभी तक राज्य में ऐसी 6 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जोकि विभिन्न चरणों में लागू की जा रही है। किसानों को खेती के नए तरीके जैसे कि केंचुआ खाद, जैविक खाद, पॉली हाउस तकनीक, खुशबूदार और मैडिसिनयल पौधों की खेती, मशरूम एवं गैर मौसमी सब्जियों की खेती को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से "कैट" यानि नई तकनीक के माध्यम से क्षमता विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिसके अन्तर्गत प्रदेश के अन्दर व बाहर 1,510 किसानों को रिसर्च संस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा कृषि व बागवानी विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नाबार्ड के ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 ज़िलों में 60 गांवों को चिन्हित किया गया है। लगभग 2,000 परिवारों को इस कार्यक्रम से लाभ पहुंचने की उम्मीद है। फसल गहनता प्रणाली कार्यक्रम से नाबार्ड द्वारा राज्य के विभिन्न ज़िलों जैसे ऊना, कांगड़ा, चम्बा, मण्डी इत्यादि स्थानों पर गेंहू और चावल के पैदावार को बढ़ाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त फलों, उन्नत किस्म की सब्जियों, नर्सरियां उगाने के लिए, मधुमक्खी पालन, मक्की तथा गेंहू की उन्नत किस्मों को उगाने के लिए टैक्नोलोजी ट्रांस्फर नाम से एक अन्य परियोजना को भी स्वीकृत किया गया है।

क) जलागम विकास निगमः

निगम के जलागम विकास निधि से 6 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। सोलन ज़िले में धुन्दन जलागम परियोजना `61.85 लाख की सहायता राशि के साथ पूर्ण ज़ोर से लागू की जा रही है। इसी तरह सोलन में ही सरयान्ज सरमा जलागम परियोजनाएं `12.29 लाख की अनुदान राशि से चलाई जा रही हैं। ज़िला ऊना में सिद्धलेचर जलागम परियोजना `118.00 लाख, जुबैहर परियोजना `14.28 लाख तथा अम्बेदा धिराज परियोजना `21.27 लाख की लागत से चलाई जा रहा है। ये सभी परियोजनाएं गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से सीधे नाबार्ड द्वारा लागू की जा रही है। अभी तक कुल `265.28 लाख की स्वीकृत राशि के अन्तर्गत `158.64 लाख की राशि का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2013–14 में अभी तक कुल `21.55 लाख का भुगतान किया जा चुका है। जब उपरोक्त सभी परियोजनाएं लागू हो जाएंगी तो 54 गांवों के 4,851 परिवारों तथा कुल 7,671 हैक्टेयर क्षेत्रफल को इन परियोजनाओं से लाभ मिलेगा। इन परियोजनाओं से न केवल पानी के स्तर के बढ़ाने में लाभ पहुंचा है बल्कि इन से प्राकृतिक संरक्षण, खेती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ–साथ चरागाहों के घटते आकार को रोकने और इसे बढ़ाने में मदद की गई है जिससे राज्य के अन्दर पशुधन

से सम्बन्धित कार्यकलापों को भी लाभ पहुंचा है।

ख) जनजातीय विकास निधि के माध्यम से जनजातीय लोगों का विकासः

नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय शिमला में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दो नई परियोजनाएं स्वीकृत की है जिनमें से पहली परियोजना ऊना के अम्ब ब्लॉक के 4 गांवों में `92.81 लाख से चल रही है जबकि दूसरी परियोजना बिलासपुर के झण्डुता ब्लॉक के बरोटी, सनहेरा, बिहरी तथा टिहरी गांवों में चल रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत आठ गांवों के 251 एकड़ भूमि में 447 जनजातीय परिवारों को `197.51 लाख की राशि से छोटे बागों, दुग्ध उत्पादन, आम, किन्नू और नींबू के पौधे लगाने हेतू दिए गए ताकि इससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।

ग) कृषि में नवसंचार संवर्धन कोष के माध्यम से समर्थनः (एफ0आई0पी0एफ0)

इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 5 परियोजनाओं के लिए `38.28 लाख की राशि से चावल गहनता प्रणाली, गेहूं गहनता प्रणाली जैसी गतिविधियों के लिए लगभग 4,200 किसानों को अनुदान सहायता दी गई।

घ) कृषक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण निधि के माध्यम से समर्थनः (एफ0टी0टी0एफ0)

इस निधि को मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के अंतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अन्तर्गत अंनुसंधान संस्थानों के किसानों को `112.79 लाख की वित्तीय सहायता तथा 18 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। वर्ष 2013—14 के अन्तर्गत `12.95 लाख की धनराशि जारी की गई। इस परियोजना के अन्तर्गत मधुमक्खी पालन, स्वदेशी शहद, विदेशी सब्जियों की खेती, उन्नत सब्जी नर्सरी, शीतोषण फलों, बेहतर चारे की खेती, सत्त कृषि सेवाओं आदि का राज्य के सोलन, ऊना, बिलासपुर, शिमला, कुल्लू और मण्डी ज़िलों में उत्पादकों में बढ़ौतरी आदि के लिए शामिल किया गया।

ड.) प्राकृतिक रिसोर्स प्रबन्धन पर अंब्रेला कार्यक्रमः (यू0पी0एन0आर0एम0)

नाबार्ड के0एफ0डब्ल्यू0 और जी0टी0जैड0 के समर्थन के साथ इंडो—जर्मन सहयोग से पिछले 15 सालों से वाटरशैड और छोटे बागों की परियोजनाओं को कियान्वित कर रहा है। भारत सरकार तथा जर्मन ने मिलकर यू0पी0एन0आर0एम0 का पुनर्गठन किया है। नाबार्ड और जर्मन विकास कार्यक्रम भागीदारी के रूप में आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए कृषि आय, कृषि मूल्य श्रृंखला और प्राकृतिक संसाधनों तथा गरीबी को कम करने का प्रयास कर रहा है। यू0पी0एन0आर0एम0 परियोजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार के साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन लिंक का समर्थन करता है।

ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र

3.31 नाबार्ड द्वारा ग्रामीण गैर कषि क्षेत्र के विकास के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। नाबार्ड वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों को राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध करवाता रहा है। नाबार्ड ने संरचना

जरूरतों, सेवा प्रदान करने वालों की क्षमता विकास तथा ऋण की ज़रूरतों पर विचार कर "पर्यटन क्लस्टर" विकसित करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण पर्यटन एवं एग्रो पर्यटन से सम्बन्धित सभी गतिविधियां नाबार्ड के गैर कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत पुनर्वित प्राप्त कर सकेगी। नाबार्ड स्वरोज़गार ऋण कोर्ड योजना (एस.सी.सी.) को भी ग्रामीण हथकरघा एवं लघु उद्यमियों के हित के लिए सहायता देगा जिससे कार्यशील पूंजी तथा ब्लॉक पूंजी दोनों के लिए ही समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध करवाया जा सके। ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में उत्पादों के विपणन और उत्पादन के लिए पुनर्वित उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त नाबार्ड युवाओं के लिए कौशल एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है तथा साथ ही मास्टर शिल्पकार के प्रशिक्षण तथा रूडसेटी जैसी संस्थाओं एवं आर.सेटी जो भी ग्रामीण युवकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देते हैं ताकि उनको प्राप्त क्षमता से रोजगार उपलब्ध हो और वे आय–सृजक कार्य शुरू कर सकें। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:–

- कौशल विकास पहल के अन्तर्गत समूह या व्यक्तिगत रूप से रोज़गार या आजीविका की तलाश के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मौजूदा कौशल का विकास करना/ उन्नत करना या विविधिकृत करना कौशल विकास पहल में शामिल है। 31 दिसम्बर, 2013 तक राज्य में 218 कौशल विकास कार्यक्रम स्वीकृत किए है जिनके लिए `111.18 लाख की अनुदान सहायता दी गई और इससे लगभग 4,350 लोग लाभान्वित हुए।

आधार स्तर पर ऋण प्रवाह

3.32 वर्ष 2012–13 में प्राथमिक क्षेत्रों के लिए आधार स्तरीय ऋण प्रवाह `6,814.84 करोड़ तक पहुंच गया जो 2011–12 से 4 प्रतिशत अधिक है। नाबार्ड की पी.एल.पी के आधार पर विभिन्न बैंकों के लिए वर्ष 2013–14 के लिए `9,842.43 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 30 सितम्बर, 2013 तक `3,664.41 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

3.33 नाबार्ड राज्य के सभी जिलों के लिए हर वर्ष संभाव्यता युक्त ऋण योजना (पीएलपी) तैयार करता रहा है जिसमें आधार स्तरीय सम्भाव्यताओं और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतू आवश्यक ऋण एवं गैर–ऋण लिंकेजों का वास्तविक आकलन किया जाता है। विभिन्न स्टेकहोल्डर्स अर्थात राज्य सरकार, जिला प्रशासन, बैंकों, एन.जी.ओ., किसानों और अन्य सम्बन्धित एजेंसियों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श कर पी.एल.पी. तैयार की जाती है, हिमाचल प्रदेश के लिए मुख्य क्षेत्रवार पी.एल.पी. अनुमान वर्ष 2014–15 के लिए `11,315.86 करोड़ आंकलित किया गया है। आर.बी.आई. के मार्ग निर्देशों के अनसार बैंकों को अपनी वार्षिक ऋण योजना पी.एल.पी. को आधार मानकर तैयार की जाती है।

वित्तीय समावेश

3.34 भारत सरकार ने वित्तीय समावेश के लिए दो तरह की निधियों की स्थापना की है। वित्तीय समावेश निधि (एफ.आई.एफ.) तथा वित्तीय समावेश तकनीक निधि(एफ.आई.टी.एफ.) जिसका उद्देश्य देश में चल रहे वित्तीय समावेश की

पहल को बढ़ावा देना है। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय समावेश कार्यक्रम के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा निम्न पहल की हैः–

क) वित्तीय समावेश निधि (एफ.आई.एफ.)

वित्तीय समावेश निधि की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्ग और कम आय वाले लोगों तथा पिछड़े क्षेत्रों और वर्किंग सेवाओं के अभाव वाले क्षेत्रों का विकास और विकासात्मक कार्यकलापों के लिए प्रदान करना है। नाबार्ड विकासात्मक कार्यकलापों के प्रेरित करने के लिए इस निधि का लगातार प्रबन्धन करता आया है। वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 में (31.12.2013 तक) मुख्य रूप से इस निधि के माध्यम से निम्न प्रोत्साहन किए गए।

- क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों की आर.टी.जी.एस. एवं एन.ई.एफ.टी. के ऊपर कार्यशालाओं के आयोजन करने में सहायता की।
- वाणिज्यक और सहकारी बैंकों को राज्य स्तर पर वित्तीय समावेश पर जागरूकता फैलाने में सहायता दी गई।
- मण्डी ज़िला में स्थानीय नृत्य दलों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के प्रचार हेतू गैर–सरकारी संस्थाओं की सेवाएं ली गई।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंकों की वित्तीय साक्षरता पर अध्ययन सामग्री की 12.32 लाख प्रतियां प्रकाशित करने के लिए सहायता दी गई।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों के 591 जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने हेतू सहायता दी गई।

31 दिसम्बर, 2013 तक राज्य के अन्दर सभी तरह के कार्यकलापों के लिए वित्तीय समावेश निधि से कुल `103.30 लाख की राशि की स्वीकृति दी गई।

ख) वित्तीय समावेश तकनीक निधि (एफ.आई.टी.एफ.)

इस निधि की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेश को सूचना तकनीक के माध्यम से प्रोत्साहित करना है। साथ ही वित्तीय समावेश के लिए शोध और तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए इस योजना में शामिल संस्थाओं में नई सोच और सहयोग को बढ़ावा देना है। नाबार्ड इस निधि का इस्तेमाल वित्तीय समावेश हेतू नई तकनीक के विकास के लिए करता आया है। हिमाचल प्रदेश में इस निधि के सहयोग से निम्न कार्य हुए हैंः–

- 72,600 किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने हेतू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारी बैंक को दो परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।
- सहकारी बैंकों द्वारा रूपे के.सी.सी. कार्ड परियोजना चलाने हेतु जिसमें `15.00 इंटर चेंज फीस तथा `2.50 लेन–देन प्रति संख्या है को स्वीकृति दी गई है।

3.35 31 दिसम्बर, 2013 तक सूचना तकनीक पर आधारित पहल के लिए वित्तीय समावेश तकनीक निधि (एफ.आई.टी.एफ.) से राज्य में दो बैंको को `14.06 लाख राशि की सहायता दी गई है। वित्तीय समावेश और वित्तीय साक्षरता के बने तकनीकी ग्रुप के निर्णय के अनुसार

राज्य सहकारी बैंक ने 2013–14 से 2015–16 के लिए वित्तीय समावेश योजना तैयार की है जिसकी निगरानी नाबार्ड द्वारा की जा रही है।

नई व्यापारिक प्रयास

नाबार्ड इंफ्रास्ट्रचर विकास सहायता (एन0आई0डी0ए0)

3.36 ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड इंफ्रास्ट्रचर विकास सहायता (एन0आई0डी0ए0) फंड के रूप में एक नई क्रेडिट लाईन (एन0आई0डी0ए0) की स्थापना की गई है। (एन0आई0डी0ए0) से राज्य स्वामित्व वाली संस्थाओं/निगमों को ऋण दिया जाएगा, जिनके पास आय के निरंतर स्त्रोत हैं और आर.आई.डी.एफ. उधार के दायरे के बाहर ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य सरकार के बजटीय संसाधनों पर निर्भर हुए बिना सीधे नाबार्ड को ऋण चुका सकते हैं।

उत्पादक संगठनों को वित्तीय सहायता (पी0ओ0डी0एफ0)

3.37 उत्पादक संगठनों को सहयोग देने और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड ने उत्पादक संगठन विकास फंड (पी0ओ0डी0एफ0) की स्थापना की है इस फंड की स्थापना का उद्‌देश्य उत्पादकों को समय पर ऋण (ऋण और सीमित अनुदान का मिश्रण) उपलब्ध करवाने ''उत्पादकों का क्षमता निर्माण करने और ''उत्पादकों संगठनों का सशक्तिकरण कर ''उत्पादकों (किसानों, कारीगरों, हथकर्घा बुनकर आदि) की जरूरतों को पूरा करने के लिए ''उत्पादकों द्‌वारा स्थापित पंजीकृत ''उत्पादक संगठनों अर्थात ''उत्पादक कंपनी जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग XIA की धारा 581 के तहत परिभाषित है, उत्पादक सहकारी संस्थाओं, पंजीकृत किसान फैडरेशनों, म्यूचूअली एडेड सहकारी समितियों, औद्योगिक सहकारी समितियों, अन्य पंजीकृत महासंघों PACS, आदि को सहयोग और सहायता देना है। इसके लिए वर्ष 2013–14 (31 दिसम्बर,2013 तक) में ` 273.01 लाख की राशि नाबार्ड हिमाचल प्रदेश कार्यालय, शिमला द्वारा अनुमोदित की गई है।

पैक्स को बहुसेवा गतिविधियॉ करने के लिए वित्तीय सहायताः

3.38 पैक्स को अपने सदस्यों को और अधिक सेवाओं प्रदान करने के लिए सक्षम बनाने हेतू और अपने लिए आय उत्पन्न करने लिए पैक्स को बहु–उद्‌देशीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक पहल की गई है ताकि पैक्स अपने सदस्यों को सहायक सेवाएं प्रदान करने और अतिरिक्त व्यापार करने और अपनी गतिविधियों में विविधता लाने में सक्षम हो सके। वर्ष 2013–14 (31 दिसम्बर,2013 तक) ` 73.30 लाख की राशि नाबार्ड हिमाचल प्रदेश कार्यालय, शिमला द्वारा विभिन्न पैक्स के लिए अनुमोदित की गई है।

संघों (फैडरेशन) को वित्तीय सहायताः

3.39 कृषि उत्पादों के विपणन और अन्य कृषि गतिविधियों में मार्केटिंग फेडरेशनों/सहकारी संस्थानों को सशक्त बनाने के मार्केटिंग फेडरेशनों/सहकारी संस्थाओं के लिए अलग क्रेडिट लाइन अर्थात फेडरेशन को ऋण सुविधा उपलब्ध

करवाई गई है ताकि कृषि उत्पादों के विपणन और अन्य कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके, मार्केटिंग फेडरेशन/सहकारी संस्थाएं, जिनके सदस्य/शेयरहोल्डर पैक्स या अन्य उत्पादक संगठन हैं, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। वित्तीय सहायता लघु अवधि के कर्ज के रूप अधिकतम समर्थन मूल्य (एम. एस.पी.) योजना के तहत फसल की खरीद के लिए और किसानों को बीज की आपूर्ति, उर्वरक, कीटनाशक, पौध संरक्षण आदि के लिए उपलब्ध होगी और लंबी अवधि के कर्ज के रूप में छंटाई और ग्रेडिंग, प्राथमिक प्रसंस्करण, विपणन आदि सहित पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन के लिए उपलब्ध होगी। इन संघों/ सहकारी संस्थाओं को कृषि सलाहकार सेवाएं और ई–कृषि विपणन के माध्यम से बाजार की जानकारी प्रदान करने के लिए भी सहयोग दिया जाना चाहिए।

सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायताः

3.40 नाबार्ड पारम्परिक रूप से जिला सहकारी बैंकों (सी.सी.बी.) को राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। वैद्नाथन समिति की सिफारिशों के अनसार सहकारी बैंकों के लिए पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के तहत सी.सी.बी (C.C.Bs.) राज्य सहकारी बैंक (SCB) के अलावा भी अन्य स्त्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटा सकते हैं, तदनुसार, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और सम्बन्ध प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) की कार्यशील पूंजी और खेत परिसंपति रखरखाव जरूरतों को पूरा करने हेतु अल्पकालिक बहु–उद्देशीय ऋण सीधे ही सी.सी.बी. को उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड ने एक अल्पकालिक बहु–उद्देशीय ऋण डिज़ाइन किया है। 2013–14 (31 दिसंबर 2013 तक) में नाबार्ड हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ने हिमाचल प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक, शिमला को `100.00 करोड़ उक्त उद्देश्य के लिए अनुमोदित एवं जारी किये है।

निवेष ऋण

3.41 विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन और मार्केटिंग सरप्लस की पोस्ट–हार्वेस्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में मार्केटिंग सम्बन्धी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भारत सरकार ने कृषि विपणन अधोसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण विकास/सशक्तीकरण योजना तैयार की है। 2012–13 के दौरान स्थापित कुल 15 इकाइयों के लिए `151.078 लाख उपदान राशि जारी की गई है और 2013–14 में 31 दिसम्बर,2013 तक 5 इकाईयों की स्थापना की गई है जिनके लिए `91.81 लाख उपदान राशि जारी की गई है।

3.42 ग्रामीण गोदामों का नेटवर्क छोटे किसानों को उनकी धारण क्षमता (होल्डिंग कैपेसिटी) को बढ़ाने में मदद करेगा ताकि वे अपनी उपज को लाभकारी मूल्य पर बेच सके और कम दाम पर बिक्री से बच सके। तदनुसार, भारत सरकार ने 2001–02 में ग्रामीण भण्डार योजना, ग्रामीण गोदाम के निर्माण/नवीनीकरण के लिए एक पूंजी निवेश उपदान योजना शुरू की थी। 2013–14

के दौरान 31 दिसम्बर,2013 तक इसके तहत 8 इकाईयों की स्थापना की गई और इस हेतू ` 76.74 लाख सब्सिडी जारी की गई है।

3.43 बेहतर मवेशी और दूध प्रबन्धन द्वारा राज्य में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और ग्रामीण लोगों के लिए स्थाई रोजगार के अवसर प्रदान करने,

उनकी आय के स्तर को बढ़ाने और दूध उत्पादन में भी वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार की डी.ई.डी.एस. योजना को हिमाचल प्रदेश में 25 सितम्बर, 2009 को शुरू किया गया था। भारत सरकार की इस योजना के तहत मवेशियों की खरीद, दुग्ध प्रसंस्करण, कोल्डचेन प्रणाली, दूध और दूध उत्पादों के परिवहन और पशु चिकित्सा सुविधाओं के लिए नाबार्ड के माध्यम से पहले ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता था और अब पूंजी उपदान उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2012–13 में `695.48 लाख की उपदान 1,271 लाभार्थियों को प्रदान की गई। वर्ष 2013–14 के दौरान 31 दिसम्बर, 2013 तक ` 868.89 लाख का उपदान 1,649 लाभार्थियों को प्रदान किया गया।

3.44 पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार ने वर्ष 2005–06 के दौरान "डेयरी और मुर्गीपालन के लिए वेंचर कैपिटल स्कीम (डी.पी.वी.सी.एफ) नामक एक पायलट योजना का शुभारम्भ किया, जिन राज्यों में मुर्गीपालन सेक्टर अभी विकास की शुरूआती अवस्था में है वहां इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में मुर्गीपालन सेक्टर को बढ़ावा देना और उन्नत राज्यों में इस योजना का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र से मुर्गीपालन उत्पादों के निर्यात के लिए इन्सेंटिव देना और बुनियादी सुविधाएं सृजित करना है। 2012–13 के दौरान, 28 इकाइयां स्थापित की गई जिनके लिए कुल `60.68 लाख की उपदान जारी किया गया। वर्ष 2013–14 के दौरान 31 दिसम्बर,2013 तक 39 लाभार्थियों को `99.14 लाख का उपदान प्रदान की गई।

3.45 ग्रामीण आबादी के सबसे गरीब लोगों द्वारा भेड़ और बकरियों का पालन किया जाता है और वे हमारे समाज को मांस, ऊन, दूध और खाद प्रदान करते हैं। इन मवेशियों में विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों के प्रति काफी ज्यादा अनुकूलशीलता होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान अनुमानतः `2,400.00 करोड़ है जिससे मुख्यतः भूमिहीन, सीमांत और छोटे किसानों को आजीविका मिलती है। यह पशुधन उत्पादों के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत है। 2012–13 के दौरान 108 इकाइयों का वित पोषण किया गया और `35.75 लाख की उपदान जारी किया गया और 2013–14 में 31 दिसम्बर 2013 तक 87 लाभार्थी वित्त पोषित एवं `29.47 लाख जारी किए गए।

नैवकॉन्स (Nabcons)

3.46 नाबार्ड कन्सल्टेंसी सर्विसेज (Nabcons) कृषि और ग्रामीण विकास (नाबार्ड) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक है और यह कृषि, ग्रामीण विकास

और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों को परामर्श प्रदान करती है। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में विशेषकर बहु–विषयी प्रोजेक्ट्स, बैंकिंग, संस्थागत विकास, बुनियादी सुविधाओं, प्रशिक्षण आदि के नैबकॉन्स नाबार्ड की विशेष योग्यता (कोर कम्पीटेंसी) पर निर्भर है। नाबार्ड कन्सल्टेंसी सर्विसेज जिन मुख्य क्षेत्रों में परामर्श कार्य प्रदान करती है वे हैं–व्यवहारता अध्ययन, परियोजना तैयार करना, मूल्यांकन, वित्त–पोषण व्यवस्था, परियोजना प्रबंधन और निगरानी, समवर्ती और प्रभाव मूल्यांकन, कृषि व्यापार इकाइयों का पुनर्गठन, दृष्टि प्रलेखन, विकास प्रशासन और सुधार, संस्थागत विकास और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का प्रतिवर्तन, ग्रामीण एजेंसियों की रेटिंग, बैंक पर्यवेक्षण, नीति और कार्य अनुसंधान अध्ययन, ग्रामीण विकास विषयों पर सेमिनार, सूक्ष्म वित्त से सम्बन्धित प्रशिक्षण, प्रदर्शन यात्राएं और क्षमता निर्माण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण, गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना।

3.47 नाबार्ड कंसल्टेंसी द्वारा वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए ''कृषि में मैक्रो प्रबन्धन'' नामक दो अध्ययन पूरे किए गए हैं। इसके अलावा, नैबकॉन्स ने 2013–14 में 31 दिसम्बर,2013 तक एफ.एम.सी. और नियाम (NIAM) के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (JICA) के लिए मंडी और कांगड़ा जिलों में सिंचाई के विभिन्न स्त्रोतो की परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं डी.पी.आर. बनाने के लिए परामर्श प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के मूल्याकंन एवं सहकारी बैंकों के ऋण प्रस्तावों के मूल्याकंन के कार्य भी किए जा रहे हैं।

4. आबकारी एवम् कराधान

4.1 आबकारी एवं कराधान विभाग प्रदेश मे सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है। वर्ष 2012–13 के दौरान कुल `3,971.31 करोड़ के राजस्व संग्रहण मे से वैट संग्रह `2,728.21 करोड़ था जो कि कुल राजस्व का 68.69 प्रतिशत बनता है। वर्ष 2012–13 में शीर्ष–0039 आबकारी नियम के तहत निर्धारित लक्ष्य `800.13 करोड़ के स्थान पर `809.86 करोड़ का संग्रहण किया गया, जो कि कुल संग्रहित राजस्व का 20.39 प्रतिशत है, शेष 10.92 प्रतिशत हि0प्र0 पी0 जी0 टी0 अधिनियम, हि0प्र0 विलासिता अधिनियम, हि0प्र0सी0जी0सी0 आर0 अधिनियम और हि0प्र0 मंनोरंजन कर अधिनियम से किया गया ।

4.2 विभाग द्वारा विभिन्न सेवाऐं प्रदान करने एवं उनके अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्ति का ब्यौरा।

- **व्यापारियों एवं डीलरों के लिए ई–पेमेन्ट सेवाः** ई–पेमेन्ट की सुविधा 26 नवम्बर, 2010 से आरम्भ कर दी गई है (समाकलन चार बैंकों के साथ किया गया है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, यूनाइटिड वाणिज्य बैंक और स्टेट बैंक आफ पटियाला के साथ किया गया है)। इस मद में 31.12.2013 तक `103.00 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया।
- **ई–रजिस्ट्रेशनः–** ई–रजिस्ट्रेशन की सुविधा 15 अगस्त, 2011 से सभी पंजीकृत डीलरों को उपलब्ध करवाई जा रही है। 31.12.2013 तक 2,493 डीलरों ने ई–रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्राप्त की।
- **रिटर्नज की ई–फाइलिंगः–** रिटर्नज की ई–फाइलिंग की सुविधा 15 अगस्त, 2011 से सभी पंजीकृत डीलरों के लिए आरंभ कर दी गई है तथा 31.12.2013 तक 2,26,240 डीलरों ने ई–रिटर्नज फाईल की।
- **ई–वैधानिक फार्मः–**ई–वैधानिक फार्म की सुविधा 4 अप्रैल, 2012 से सभी पंजीकृत डीलरों के लिए आरंम्भ कर दी गई है तथा 3,96,579 ई–वैधानिक फार्म 31.12.2013 तक जारी किए गए।
- **ई–डेक्लेरेशनः–** वस्तुओं के आवागमन के लिए ई–डेक्लेरेशन की सुविधा सभी पंजिकृत डीलरों के लिए 15 अगस्त,2011 से निर्यात तथा 20 नवम्बर 2011 से आयात के लिए आरंभ कर दी गई। वाह्य ई–डेक्लेरेशन 19,44,116 जबकि आंतरिक ई–डेक्लेरेशन 22,80,584.

4.3 इस के अतिरिक्त विभाग द्वारा व्यापारियों के लिए निम्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई जिसका विवरण इस प्रकार हैं।

- सरकार ने हिमाचल प्रदेश यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम,1955 के अन्तर्गत आदेश संख्या–एल.एल.आर–डी. (6)33/2013, दिनांक 3 अक्तूबर,2013 से पंजीकरण मुल्य को समाप्त कर दिया गया है ताकि नये व्यापारियों के पंजीकरण में बढ़ौतरी की जा सके।

- हिमाचल प्रदेश (होटल एवं आवासगृह) विलास–वस्तुओं पर कर अधिनियम,1979 के अन्तर्गत भी पंजीकरण मुल्य को समाप्त किया गया है ताकि नये व्यापारियों के पंजीकरण में तेजी लाई जा सके। इसके अतिरिक्त पिछड़ी पंचायतों में जहां पर्यटन की अपार सम्भावनाएं है, वहां नए होटल खोलने और अन्य पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने को प्रोत्साहित करने के लिए पिछड़ी पंचायतों में 1 अप्रैल, 2013 के पश्चात शुरु किए गए होटलों के लिए दस वर्षों तक पूर्ण रुप से विलास कर की आदायगी से छूट प्रदान की है।

- विभाग द्वारा व्यापारियों की ई–पेमैंट के लिए प्रोत्साहित किया गया है तथा इस वर्ष `103.00 करोड़ ई–पेमैंट के माध्यम से प्राप्त हुआ है जो कुल वैट प्राप्ति का 4.46 प्रतिशत है। 31.12.2013 तक वैट शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्ति `2,306.62 करोड़ है।

- विभाग व्यापारियों को उतम ई–सेवा प्रदान कर रहा है और इस

  सम्बन्ध में 2.85 लाख एस.एम.एस. विभिन्न ई सर्विस के सन्दर्भ में भेजे गए।

- व्यापारियों की समस्याओं के समाधान हेतू उनके साथ समय–समय पर कई मंत्रणा सत्र आयोजित किये गये।

- वर्ष के दौरान औद्योगिक आदानों पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।

- विभाग नाकों पर वाहनों को न रूकने की आवश्यकता के सम्बन्ध में विचार कर रहा है ताकि पड़ताल नाकों पर यातायात अवरूद्ध न हो।

- विभाग ने ईलैक्ट्रोनिक विवरणीय प्रस्तुत करने पर मासिक व त्रैमासिक मूल प्रतिलिपि, वैट अधिनियम,2005 और सी.एस.टी. अधिनियम,1956 के अंतर्गत प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की गई है ।

- नाकों पर व्यापारियों द्वारा माल को उचित रूप से उदघोषित किया जाना सुनिश्चित करने हेतू ऐसी वस्तुओं के लिए जिनका सामान्य तौर पर अपवंचन किया जाता है और अर्न्तराजीय आवागमन हो रहा है तथा जिनका मूल्य `30,000 से अधिक है के लिए ई डिकलरेशन अनिवार्य कर दिया गया है।

शीर्षवार राजस्व बढ़ौतरी

वर्ष	राज्य आवकारी	बिक्री कर	पी.जी.टी.	ओ.टी.डी.	कुल
2000-01	209.17	302.05	43.05	52.60	606.87
2001-02	236.28	355.08	34.26	63.74	689.36
2002-03	237.42	383.33	31.45	75.10	727.30
2003-04	280.40	436.75	33.96	85.24	836.16
2004-05	299.90	542.37	38.42	97.83	978.52
2005-06	328.97	726.98	42.61	124.14	1222.70
2006-07	341.86	914.45	50.22	118.64	1425.17
2007-08	389.57	1092.47	55.12	137.16	1674.32
2008-09	431.83	1246.31	62.39	169.00	1909.53
2009-10	500.72	1488.16	88.74	197.13	2274.75
2010-11	562.95	2103.39	93.26	283.35	3042.95
2011-12	707.36	2476.78	94.36	294.96	3573.46
2012-13	809.86	2728.21	101.39	331.88	3971.15
2013-14 (31.12.2013 तक)	652.69	2306.62	80.34	240.86	3280.51
2014-15 के लिए लक्ष्य)	1014.81	2693.72	136.82	375.41	5220.77

(` करोड़ में)

5- भाव संचलन

भाव स्थिति

5.1 मुद्रा स्फीति का नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता सूची में से एक है। मुद्रा स्फीति आम व्यक्तियों को उनकी आय कीमतों की पहुंच से दूर रहने के कारण परेशान करती है। मुद्रा–स्फीति के उतार–चढ़ाव को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर थोक भाव सूचकांक दिसम्बर माह के वर्ष 2012 को 168.8 से बढ़कर दिसम्बर, 2013 माह में 179.2(अ) हो गया जो कि मुद्रा स्फीति की दर 6.16 प्रतिशत दर्शाता है। औसत मासिक थोक मूल्य सूचकांक व वर्ष 2013–14 में मुद्रा स्फीति की दर नीचे सारणी 5.1 में दर्शाई गई है:–

सारणी 5.1

अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक आधार 2004–05=100

मास	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	मुद्रा–स्फीति दर
अप्रैल	114.5	123.5	125.0	138.6	152.1	163.5	171.3	4.8
मई	114.7	124.1	125.9	139.1	152.4	163.9	171.4	4.6
जून	114.8	127.3	126.8	139.8	153.1	164.7	173.2	5.2
जुलाई	115.7	128.6	128.2	141.0	154.2	165.8	175.5	5.9
अगस्त	116.0	128.9	129.6	141.1	154.9	167.3	179.0	7.0
सितम्बर	116.0	128.5	130.3	142.0	156.2	168.8	180.7	7.1
अक्तूबर	116.3	128.7	131.0	142.9	157.0	168.5	180.7	7.2
नवम्बर	116.8	126.9	132.9	143.8	157.4	168.8	181.5(p)	7.5
दिसम्बर	116.7	124.5	133.4	146.0	157.3	168.8	179.2(p).	6.2
जनवरी	117.5	124.4	135.2	148.0	158.7	170.3	..	..
फरवरी	119.0	123.3	135.2	148.1	159.3	170.9	..	..
मार्च	121.5	123.5	136.3	149.5	161.0	170.1	..	..
औसत	**116.6**	**126.0**	**130.8**	**143.3**	**156.1**	**167.6**	..	..

अ = अस्थाई

5.2 हिमाचल प्रदेश में कीमतों की स्थिति पर निरन्तर नियंत्रण रखा जा रहा है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा प्रदेश में कीमतों पर निगरानी, आपूर्ति की प्रक्रिया का रख–रखाव एवं आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए 4,762 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कर रहा है। खाद्य में असुरक्षा एवं भेद्यता के मॉनिटर एवं व्यवस्थित करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जी.आई.एस.के माध्यम द्वारा एफ. आई.वी.आई.एम.एस.;खाद्य असुरक्षा भेद्यता मैपिंग प्रणाली लागू कर रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के भाव नियंत्रण में रहने के कारण हिमाचल प्रदेश का

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) राष्ट्रीय सूचकांक की तुलना में कम गति से बढ़ा। नवम्बर, 2013 में हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिकों के लिए) में राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की 11.5 प्रतिशत की तुलना में प्रदेश की वृद्धि केवल 11.2 प्रतिशत आंकी गई। इसके साथ–साथ जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा हेराफेरी द्वारा आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री तथा वितरण पर निगरानी रखने के लिए प्रदेश सरकार ने कई आदेशों/ अधिनियमों को कड़ाई से लागू किया है। वर्ष के दौरान नियमित साप्ताहिक प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भावों पर निगरानी करनी जारी रखी गई ताकि भावों में अनुचित बढ़ौतरी को समय पर रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

सारणी 5.2
हिमाचल प्रदेष में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(आधार 2001=100)

माह	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	fiNys o"kZ ls izfr'krrk esa ifjorZu
अप्रैल	133	141	158	167	185	201	8.6
मई	132	142	158	169	185	205	10.8
जून	134	144	158	169	186	208	11.8
जुलाई	136	149	163	174	192	213	10.9
अगस्त	137	150	164	174	195	214	9.7
सितम्बर	140	151	165	176	195	215	10.3
अक्तूबर	141	152	165	179	195	217	11.3
नवम्बर	141	155	165	179	196	218	11.2
दिसम्बर	139	156	166	177	196	..	..
जनवरी	139	156	168	178	198	..	..
फरवरी	140	156	166	178	199	..	..
मार्च	140	157	165	180	199	..	..
औसत	**138**	**151**	163	175	193	..	..

सारणी 5.3
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए
(आधार 2001=100)

माह	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013&2014	fiNys o"kZ ls izfr'krrk esa ifjorZu
अप्रैल	138	150	170	186	205	226	10.2
मई	139	151	172	187	206	228	10.7
जून	140	153	174	189	208	231	11.1
जुलाई	143	160	178	193	212	235	10.9
अगस्त	145	162	178	194	214	237	10.8
सितम्बर	146	163	179	197	215	238	10.7
अक्तूबर	148	165	181	198	217	241	11.1
नवम्बर	148	168	182	199	218	243	11.5
दिसम्बर	147	169	185	197	219	..	..
जनवरी	148	172	188	198	221	..	..

फरवरी	148	170	185	199	223	..	..
मार्च	148	170	185	201	224	..	..
औसत	**145**	**163**	180	195	**215**	**..**	**..**

6- खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

6.1 लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की सरकार की नीति का एक विशेष घटक उचित मूल्य की 4,781 दुकानों द्वारा जरूरी वस्तुएं जैसे गेहूं, गेहूं का आटा, चावल, लेवी चीनी, मिट्टी का तेल इत्यादि का लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्ति को सुनिश्चित करना है। खाद्य पदार्थों को वितरित करने हेतू सभी परिवारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है।

(1) एन0एफ0एस0ए0

i) अन्त्योदय अन्न योजना

ii) प्राथमिकी गृहस्थियां

iii) अन्नपूर्णा

(2) नॉन–एन0एफ0एस0ए0

6.2 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्र्तगत प्रदेश में 17,38,383 राशन कार्डों की संख्या है जिनके अन्र्तगत 76,94,525 राशन कार्ड धारकों को 4,781 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिनमें सहकारी सभाएं–3,180, राज्य नागारिक आपूर्ति निगम–113, पंचायत–37, व्यक्तिगत–1,444 तथा महिला मण्डल–7 के अन्र्तगत उचित मूल्य की दुकानें चलाई जा रही हैं।

6.3 वर्ष 2013–14 में नवम्बर, 2013 तक निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की मात्रा उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा वितरित की गई हैं :–

सारणी 6.1

क0 सं0	वस्तु का नाम	इकाई	वस्तुओं का प्रेषण नवम्बर, 2013 तक
1	गेहूं/ गेहूं का आटा (ए.पी.एल.)	मी. टन	1,34,052
2	चावल (ए.पी.एल.)	मी. टन	70,570
3	गेहूं (बी.पी.एल.)	मी. टन	39,601
4	चावल (बी.पी.एल.)	मी. टन	29,850
5	गेहूं (ए.ए.वाई. / एन0एफ0एस0ए0)	मी. टन	35,047
6	चावल (ए.ए.वाई. / एन0एफ0एस0ए0)	मी. टन	26,623
7	चावल अन्नपूर्णा	मी. टन	79
8	चावल दोपहर का भोजन	मी. टन	12,072
9	लेवी चीनी / चीनी एन0एफ0एस0ए0 / ए0पी0एल0	मी. टन	29,772
10	मलका	मी. टन	2,921
11	काबुली चना	मी. टन	5,079
12	मुंग साबुत	मी. टन	5,402
13	आयोडीन नमक	मी. टन	8,635
14	दाल चना	मी. टन	1,857
15	दाल उड़द	मी. टन	11,206
16	काला चना	मी. टन	77
17	सरसों का तेल	कि.लीटर	24,984
18	रिफाइन्ड तेल	कि.लीटर	43

6.4 वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा हि0प्र0 राज्य अनुदानित वस्तुओं के वितरण का ब्यौरा निम्न प्रकार से किया जा रहा है:–

सारणी 6.2

क्र0सं0	**प्रति राषन कार्ड/प्रति परिवार**	**वितरण मात्रा प्रतिमाह**
1	एक से दो सदस्य तक	एक किलोग्राम दाल चना, एक किलोग्राम आयोडीन नमक व केवल एक लीटर सरसों का तेल।
2	तीन से चार सदस्य तक	एक किलोग्राम चना दाल, एक किलोग्राम आयोडीन नमक, एक किलोग्राम दाल उड़द, दो लीटर सरसों का तेल।
3	पांच से अधिक सदस्यों को	एक किलोग्राम चना दाल, एक किलोग्राम आयोडीन नमक, एक किलोग्राम काबुली चना, दो लीटर सरसों का तेल, व एक किलोग्राम उड़द साबुत दाल । दाल चना `25.00 प्रति किलो, काबुली चना `35.99 प्रति किलोग्राम, दाल उड़द `34.99 प्रति किलोग्राम, सरसो का तेल `59.00 प्रति लीटर और आयोडीन नमक `4.00 प्रति किलोग्राम।
4	**नान–एन0एफ0एस0ए0**	
	i) ए0पी0एल0	18 किलोग्राम आटा `8.50 प्रति किलोग्राम की दर से, 9 किलोग्राम चावल `10.00 प्रति किलोग्राम की दर से।
	ii) बी0पी0एल0	बी0पी0एल0 परिवारों को पहले की तरह पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार राशन उपलब्ध करवाने हेतु बी0पी0एल0 दरों पर (गन्दम `5.25 प्रति किलोग्राम की दर से, चावल `6.85 प्रति किलोग्राम की दर से) अतिरिक्त खाद्यान्न जारी किए जा रहे हैं। जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार गेहूं और चावल वितरित की जाएगी जिसका विवरण इस प्रकार से है:– एक सदस्यीय परिवार के लिए 17 किलोग्राम गन्दम व 13 किलोग्राम चावल, दो सदस्यीय परिवार को 14 तथा 11 किलोग्राम, तीन सदस्यीय परिवार के लिए 11 व 9 किलोग्राम, चार सदस्यीय परिवार के लिए 8 व 7 किलोग्राम, पांच सदस्यीय परिवार के लिए 5 व 5 किलोग्राम तथा छः सदस्यीय परिवार के लिए 2 व 3 किलोग्राम क्रमशः होगी। गेहूं तथा चावल की शेष मात्रा पूरी करने हेतु प्रति परिवार प्रति राशन कार्ड सदस्यों की संख्यानुसार एन.एफ.एस.ए. स्कीम से दी जाएगी जिसमें गेहूं तथा चावल की कीमत क्रमशः `2.00 तथा `3.00 प्रति किलोग्राम होगी।
	iii) अन्नपूर्णा कार्ड धारकों को	10 किलोग्राम चावल मुफ्त में
5	**एन0एफ0एस0ए0**	
	i) ए0ए0वाई0 कार्ड धारकों को	कुल 35 किलोग्राम प्रति परिवार जिसमें 20 किलोग्राम गेहूं `2.00 प्रति किलोग्राम की दर से, चावल 15 किलोग्राम `3.00 प्रति किलोग्राम की दर से
	ii) प्राथमिकी गृहस्थियां	कुल 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति जिसमें 3 किलोग्राम गेहूं `2.00 प्रति किलोग्राम की दर से, 2 किलोग्राम चावल `3.00 प्रति किलोग्राम की दर से

6	चीनी	ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 600 ग्राम प्रतिमाह `19.50 प्रति किलोग्राम की दर से नान–ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 600 ग्राम प्रतिमाह `13.50 प्रति किलोग्राम की दर से

सारणी 6.3

जन–जातीय क्षेत्र के लिए वस्तुओं का नवम्बर,2013 तक भण्डारण

क0सं0	वस्तु का नाम	इकाई	मात्रा
1	गेहूं/ गेहूं का आटा (ए.पी.एल.)	मी. टन	495
2	चावल (ए.पी.एल.)	मी. टन	9,857
3	गेहूं (बी.पी.एल.)	मी. टन	3,857
4	चावल (बी.पी.एल.)	मी. टन	1,402
5	गेहूं (ए.ए.वाई.)	मी. टन	3,318
6	चावल (ए.ए.वाई.)	मी. टन	1,060
7	चावल अन्नपूर्णा	मी. टन	5
8	लेवी चीनी	मी. टन	1,543
9	मिट्टी का तेल	कि.ली.	1,686
10	एल.पी.जी.	संख्या	2,04,959
11	आयोडीन नमक	मी. टन	536
12	दाल चना/ मलका	मी. टन	548
13	उड़द साबुत	मी. टन	497
14	काला चना/साबुत मूंग	मी. टन	531
15	खाद्य तेल	कि.ली.	1,124

अन्य कार्य/उपलब्धियां

पैट्रोल तथा पैट्रोलियम उत्पादन

6.5 इस समय प्रदेश में 36 मिट्टी तेल के विभिन्न कम्पनियों के थोक विक्रेता, 319 पैट्रोल पम्प तथा 123 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं।

नागरिक आपूर्ति निगम

6.6 हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम केन्द्रीय प्रापण अभिकरण के तौर पर राज्य में कार्यरत है। निगम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत नियन्त्रित व अनियन्त्रित खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रापण एवं वितरण का कार्य कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में नवम्बर,2013 तक निगम ने विभिन्न वस्तुओं का मूल्य `737.60 करोड़ का प्रापण व वितरण किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में इसी अवधि में मूल्य `714.43 करोड़ थी।

वर्तमान में निगम दूसरी आवश्यक वस्तुओं जैसे कि रसोई गैस, डीजल/पैट्रोल/ मिटटी तेल और जीवन रक्षक दवाईयां को उचित मूल्यों पर 117 थोक भण्डारों, 111 उचित मूल्यों की दुकानों, 52 गैस एजेंसियों, 4 पेट्रोल पम्प

और 36 दवाईयों की दुकानों की मदद से मुहैया करता रहा है। इसके अतिरिक्त निगम ने उन वस्तुओं का जो कि नियंत्रण में नहीं आती जैसे चीनी, दालें, चावल, आटा, साबुन, चाय पत्ती, कापी, सीमेंट, सी.जी.आई.शीटस, दवाईयां, विशेष पोषाहार स्कीम की विभिन्न वस्तुएं, मनरेगा सीमेन्ट व पैट्रोलियम पदार्थों का थोक गोदामों व परचून दुकानों के माध्यम से प्रापण एवं वितरण कर रहा है। इसके साथ–साथ खुले बाजार की कीमतों के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान वित्त वर्ष में नवम्बर,2013 तक निगम द्वारा विभिन्न वस्तुओं का मूल्य `262.37 करोड़ का प्रापण एवं वितरण किया गया है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में मूल्य `244.88 करोड़ थी।

निगम दोपहर के भोजन स्कीम के अन्तर्गत प्राथमिक व अपर प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा आंवटित चावलों की मात्रा की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में नवम्बर,2013 तक 12,089 मी0 टन चावल जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 13,138 मी0 टन थे का वितरण किया है। निगम सरकार की विशेष अनुदानित स्कीम के अंतर्गत चिन्हित वस्तुओं (दालें/खाद्य तेल/नमक) की सरकार द्वारा गठित प्रापण कमेटी के निर्णयानुसार आपूर्ति कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में नवम्बर,2013 तक `207.26 करोड़ की विभिन्न वस्तुओं का प्रापण व वितरण किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि में `172.49 करोड़ थी।

वर्ष 2013–14 के दौरान निगम का कारोबार `1,391.46 करोड़ रहने की संभावना है जो गत वर्ष 2012–13 के दौरान `1,316.23 करोड़ था।

नए बिक्री केन्द्र शुरू/ अनुमोदित

6.7 जनहित के लिए निगम ने 2013–14 में निम्नलिखित विक्रय केन्द्रों को शुरू/अनुमोदन किया गया।

क्र सं.	विक्रय केन्द्र का नाम	जिला
1	थोक गोदाम, तलयाड़	मण्डी
2	दवाईयां विक्रय केन्द्र, आई.जी.एम.सी.–।।।	शिमला
3	एल.पी.जी.गोदाम, जोगिन्द्रनगर	मण्डी

उपरोक्त वर्णित विक्रय केन्द्रों के इलावा एल.पी.जी गैस की एजेंसी 2014–15 में कुल्लू व नादौन में शुरू करनी प्रस्तावित है।

आम आदमी की दुकान/स्टोर खोलना

6.8 निगम द्वारा हि0प्र0 पथ परिवहन निगम के चयनित बस अडडों में आम आदमियों की सुविधा के लिए अनियन्त्रित वाणिज्य वस्तुओं के विक्रय हेतू आम आदमी की दुकान/स्टोर खोलने हेतु प्रकिया प्रारम्भ की गई है। प्रथम चरण में अनियंत्रित वस्तुओं की बिक्री हेतु बस अडडा नगरोटा बगवां व पालमपुर मे आम आदमी की दुकान/ स्टोर का संचालन शीघ्र किया जा रहा है।

दूसरी ओर अधिक से अधिक दवाई दुकानें खोलने का प्रस्ताव निगम के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त विभिन्न

विभागों/बोर्डों/ निगमों, विशेषकर पथ परिवहन निगम को टायर/टयूबों के प्रापण/ आपूर्ति का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

सरकारी आपूर्ति

6.9 हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम सरकारी अस्पतालों को अंग्रेजी व आयुर्वेदिक दवाईयों, सीमेंट सरकारी विभागों/ बोर्ड/ उपक्रमों/ अन्य सरकारी संस्थाओं और जी.आई./डी.आई/ सी.आई पाईपें सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को आपूर्ति के लिए प्रापण का प्रबंध कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष 2013–14 में सरकारी आपूर्ति (अंनन्तिम स्थिति) निम्न प्रकार रहेगी:–

1	सीमेंट की आपूर्ति सरकारी विभागों/ बोर्ड/ उपक्रमों को	` 69.13 करोड़
2	दवाईयों की आपूर्ति स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा विभाग को	` 33.19 करोड़
3	जी.आई./डी.आई/ सी.आई पाईपें सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को	`85.04 करोड़
4	स्कूल वर्दी शिक्षा विभाग को	` 35.26 करोड़
	जोड़	`222.62 करोड़

मनरेगा सीमेंट की आपूर्ति

6.10 वित्तीय वर्ष 2013–14 में (नवम्बर,2013 तक) निगम ने प्रदेश की विभिन्न पंचायतों के विकास कार्य में प्रयोग किए जाने वाले 18,86,000 बैग सीमेंट जिसकी राशि ` 41.34 करोड़ बनती है का सीमेन्ट फैक्ट्रियों से प्रापण व आपूर्ति सुनिश्चित की है।

राज्य में जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए खाद्य व्यवस्था

6.11 निगम लगभग `20.00 करोड़ का निवेश करके वे सभी जरूरी उपभोग वस्तुएं एवं पैट्रालियम पदार्थ (मिटटी तेल व एल.पी.जी. को मिलाकर) उन सभी जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में उपलब्ध करवाने के लिए बचनबद्ध है जहां पर निजी व्यवसायी कम लाभ के कारण आगे नही आते हैं। वर्ष 2013–14 में जरूरी वस्तुएं एवं पैट्रालियम पदार्थों की आपूर्ति उन सभी जन–जातीय एवं हिम आच्छादित क्षेत्रों में सरकार के कार्य योजना के अनुसार उपलब्ध करवाई गई।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 कार्यन्वयन:

6.12 भारत सरकार द्वारा राज्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के सौंपे गए कार्य व उत्तरदायित्व के अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री, हि0प्र0 ने दिनांक 20.09.2013 को महत्वकाक्षी **"राजीव गांधी अन्न योजना"** को शुरू किया है। हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम इस योजना का कार्यन्वयन में, आंवटित खाद्यान्नों का समय पर पर्याप्त मात्रा में प्रापण/भण्डारण व आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपरांत अपने 117 थोक विक्री केन्द्रों के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को चयनित किए गए प्रदेश के लाभार्थियों में वितरण हेतु उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार के अलग से राज्य वेयर हाउस कारपोरेशन न होने की स्थिति में निगम अपने स्तर पर 22,910 मी.टन अपनी व 32,766 मी.टन किराए पर ली गई भंडारण क्षमता का प्रबन्ध कर रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पर्याप्त खाद्यान्न भंडारण हेतू 300 मी.टन से 1,000 मी.टन के नए गोदाम के निर्माण के प्रस्तावों पर कार्यवाही कर रहा है

जिसके अंतर्गत उपयुक्त सरकारी भूमि का चयन कुछ विभागों/ सहकारी सभाओं के नाम पर कर लिया गया है तथा कुछ का किया जा रहा है।

7- कृशि एवम् उद्यान

कृषि

7.1 कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हिमाचल प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसकी 2011 की जनगणना के अनुसार 89.96 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए कृषि व बागवानी पर प्रदेश के लोगों की निर्भरता अधिक है और कृषि से राज्य के कुल कामगारों में से लगभग 70 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध होता है। कृषि राज्य आय का प्रमुख स्त्रोत है।

7.2 राज्य के कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 15 प्रतिशत कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होता है। प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 9.68 लाख हैक्टेयर क्षेत्र 9.33 लाख किसानों द्वारा जोता जाता है। प्रदेश में औसतन जोत 1.04 हैक्टेयर है। कृषि गणना 2005–06 के अनुसार भू–जोतों के वितरण संबंधित नीचे दी गई सारणी 7.1 से स्पष्ट है कि कुल जोतों में से 87.03 प्रतिशत जोतें लघु व सीमान्त किसानों की है। लगभग 12.54 प्रतिशत अर्ध–मध्यम/मध्यम व 0.43 प्रतिशत जोतें बड़े किसानों की है।

सारणी 7.1
भू–जोतों का वर्गीकरण

जोतों का आकार (हैक्टेयर)	वर्ग (किसान)	जोतो की संख्या (लाख)	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	जोत का औसत आकार(है0)
1.0 से कम	सीमान्त	6.36 (68.17%)	2.58 (26.65%)	0.41
1.0–2.0	लघु	1.76 (18.86%)	2.45 (25.31%)	1.39
2.0–4.0	अर्ध–मध्यम	0.88 (9.43%)	2.40 (24.79%)	2.73
4.0–10.0	मध्यम	0.29 (3.11%)	1.65 (17.05%)	5.69
10.0 व अधिक	बड़े	0.04 (0.43%)	0.60 (6.20%)	15.00
जोड़		**9.33**	**9.68**	**1.04**

7.3 कुल जोते गए क्षेत्र में से 81.5 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। चावल, गेंहू, तथा मक्की राज्य की मुख्य खाद्य फसलें हैं। मूंगफली, सोयाबीन तथा सूरजमुखी खरीफ मौसम की तथा तिल, सरसों और तोरियां रबी मौसम की प्रमुख तिलहन फसलें हैं। उड़द, बीन, मूंग, राजमाश राज्य में खरीफ की तथा चना मसूर रबी की प्रमुख दालें है। कृषि जलवायु के अनुसार राज्य को चार क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जैसे

- उपोष्णीय, उप पर्वतीय निचले पहाडी क्षेत्र
- उप समशीतोष्ण नमी वाले मध्य पर्वतीय क्षेत्र
- नमी वाले उंचे पर्वतीय क्षेत्र
- शुष्क तापमान वाले उंचे पर्वतीय क्षेत्र व शीत मरूस्थल।

प्रदेश की कृषि जलवायु बीज आलू, अदरक तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है।

7.4 खाद्यान्न उत्पादन के अतिरिक्त राज्य सरकार, समयानुसार तथा प्रचुर मात्रा में कृषि संसाधनों की उपलब्धता, उन्नत कृषि तकनीकी जानकारी, पुराने किस्म के बीजों को बदल कर एकीकृत, कीटाणु प्रबन्ध को उन्नत कर तथा जल संरक्षण वेकार जमीन के विकास के उपायों द्वारा बेमौसमी सब्जियों आलू, अदरक, दालों व तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। वर्षा के अनुसार चार विभिन्न मौसम है। लगभग आधी वर्षा बरसात में ही होती है तथा शेष बाकी मौसमों मे होती है। राज्य में औसतन 1,251 मि.मी. वर्षा

होती है। सबसे अधिक वर्षा कांगड़ा जिले में होती है और उसके बाद सिरमौर, मण्डी और चम्बा जिला आते हैं।

मौनसून 2013

7.5 कृषि कार्यकलाप का मौनसून से गहन सम्बन्ध है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2013 के मौनसून के मौसम (जून–सितम्बर) में कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू व ऊना में अत्याधिक बिलासपुर, हमीरपुर, मण्डी, शिमला, सोलन तथा सिरमौर जिलों में सामान्य तथा चम्बा में कम और लाहौल–स्पिति जिला में छुटपुट वर्षा हुई। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में मौनसून मौसम में सामान्य वर्षा की तुलना में (–8) प्रतिशत कम वर्षा हुई। सारणी 7.2 में विभिन्न जिलों में दक्षिण पश्चिम मौनसून मौसम में वर्षा की स्थिति को दर्शाया गया है।

सारणी 7.2
मौनसून वर्षा
(जून–सितम्बर 2013)

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता / कमी	
			कुल (मि.मी.)	प्रतिशतता
बिलासपुर	833	877	(-) 44	(-) 5
चम्बा	804	1406	(-)602	(-) 43
हमीरपुर	1091	1079	12	1
कांगड़ा	1946	1582	364	23
किन्नौर	461	264	197	74
कुल्लु	640	520	120	23
लाहौल–स्पिति	118	458	(-)340	(-) 74
मण्डी	1195	1093	102	9
शिमला	576	634	(-) 58	(-) 9
सिरमौर	1391	1325	66	5
सोलन	812	1000	(-)188	(-) 19
ऊना	1191	863	328	38
औसत	775	844	(-) 69	(-) 8

सारणी 7.3
मौनसून बाद वर्षा के आंकड़े
(1.10.2013 से 31.12.2013)

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता / कमी	
			कुल(मि.मी.)	प्रतिशतता
बिलासपुर	47	70	(-)23	(-)33
चम्बा	101	127	(-)26	(-)21
हमीरपुर	67	86	(-)19	(-)22
कांगड़ा	157	105	52	50
किन्नौर	23	102	(-)79	(-)77
कुल्लु	67	98	(-) 31	(-)31
लाहौल–स्पिति	27	144	(-)117	(-)81
मण्डी	55	81	(-)26	(-)32
शिमला	44	75	(-)31	(-)41
सिरमौर	71	87	(-)16	(-)19
सोलन	76	89	(-)13	(-)14
ऊना	101	72	29	41
औसत	62	103	(-)41	(-)40

टिप्पणीः

सामान्य (–) 19 प्रतिशत से +19 प्रतिशत
अधिक 20 प्रतिशत से अधिक
न्यून (–) 20 प्रतिशत से (–) 59 प्रति शत
अपर्याप्त (–) 60 प्रतिशत से (–) 99 प्रतिशत

फसल उत्पादन 2012–13

7.6 हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवथा मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है तथा अभी तक भी राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2012–13 में कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्रों का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 15 प्रतिशत योगदान है। खाद्यान्न उत्पादन में तनिक भी उतार–चढ़ाव अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित करता है। ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना, 2007–12 के दौरान बेमौसमी सब्जियों, आलू, दालों तिलहनी फसलें व खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर पर्याप्त आदान आपूर्ति, सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र लाकर, जल संरक्षण विकास तथा सुधरी हुई कृषि प्रौद्योगिकी के प्रभावकारी प्रदर्शन व जानकारी द्वारा विशेष महत्व दिया गया

है। वर्ष 2012–13 कृषि के लिए सामान्य अच्छा वर्ष होने की वजह से खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2011–12 के 15.44 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2012–13 में 15.68 लाख मी0टन रिकार्ड उत्पादन हुआ। वर्ष 2011–12 के 1.52 लाख मी0 टन आलू उत्पादन के तुलना में वर्ष 2012–13 में आलू उत्पादन 1.83 लाख मीट्रिक टन हुआ। सब्जियों का सम्भावित उत्पादन वर्ष 2011–12 के 13.57 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2012–13 में 13.80 लाख मीट्रिक टन हुआ।

2013–14 के अनुमान

7.7 वर्ष 2013–14 में कुल उत्पादन का लक्ष्य 15.80 लाख मी0 टन होने की आशा है। खरीफ उत्पादन मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मौनसून पर निर्भर करता है क्योंकि राज्य के कुल जोते गए क्षेत्र में से लगभग 81.50 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है। बीजे गए क्षेत्र के पुर्वानुमान के अनुसार खरीफ सीजन 2013 में उत्पादन लक्ष्य जो कि 8.97 लाख मी.टन के विपरीत 8.33 लाख मी.टन रहने की संभावना है। रवी सीजन में बीजाई सामान्यता अक्तूबर व नवम्बर महीनों में शुरू होती है। बीजाई के समय वर्षा न्यून होने से भूमि में पर्याप्त नमी न होने की वजह से रवी फसलों की बीजाई कुछ हद तक प्रभावित हुई है। दिसम्बर, 2013 के द्वितीय पक्ष में कुछ वर्षा तो हुई है परन्तु यह न तो पर्याप्त और न ही अधिक विस्तृत क्षेत्र में थी जिसके कारण 2013–14 का उत्पादन लक्ष्य से कम रहने की संभावना है। राज्य में वर्ष 2010–11, 2011–12 का वास्तविक खाद्यान्न उत्पादन, वर्ष 2012–13 के लिए अस्थाई उत्पादन तथा वर्ष 2013–14 का अनुमानित उत्पादन एवं वर्ष 2014–15 के लक्ष्य सारणी 7.4 में दर्शाए गए हैः–

सारणी 7.4

खाद्यान्न उत्पादन

; '000 टनों मेंद्ध

खाद्यान्न उत्पादन का विकास

फसले	2010–11	2011–12	2012–13 (अस्थाई)	2013–14 (अनु0 उत्पादन)	2014–15 (लक्ष्य)
चावल	128.92	131.63	125.28	111.11	130.00
मक्की	670.90	715.42	657.16	704.95	740.00
रागी	2.11	2.80	2.50	2.84	3.00
अनाज	3.28	3.31	3.55	3.72	5.00
गेंहू	614.89	629.09	696.91	639.00	667.00
जौं	32.17	31.46	36.25	36.00	36.00
चना	0.60	0.66	0.49	2.50	2.50
दालें	40.99	30.12	45.58	16.21	19.00
कुल खाद्यान्न	**1493.86**	**1544.49**	**1567.72**	**1516.33**	**1602.50**
2.वाण्ज्यिक फसलें					
आलू	205.97	152.98	182.87	187.50	190.50
सब्जियां	1268.90	1356.60	1398.05	1380.40	1400.00
अदरक (षुष्क)	1.56	1.53	1.69	2.60	4.00

7.8 क्षेत्र विस्तार द्वारा उत्पादन बढ़ाने की भी सीमाएं हैं। जहां तक कृषि योग्य भूमि का प्रश्न है सारे देश की तरह हिमाचल भी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां भूमि को इस उद्वेश्य हेतु बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के साथ विविधता पूर्ण उच्च मूल्य वाली फसलों को अपनाने का प्रयास आवश्यक है। नकदी फसलों की तरफ बदलें हुए रूझान की वजह से खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र धीरे–धीरे कम हो रहा है। जैसे कि यह 1997–98 में 853.88 हजार हैक्टेयर था जो घटते हुए वर्ष 2012–13 में 798.31 हजार हैक्टेयर रह गया। प्रदेश में बढ़ता हुआ उत्पादन, उत्पादकता दर में वृद्धि को दर्शाता है जो कि सारणी 7.5 से पता चलता है।

सारणी 7.5

खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

वर्ष	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	उत्पादन ('000 मी.टन)	प्रति हैक्टेयर उत्पादन (मी.टन)
1	2	3	4
2008–09	797.25	1226.79	1.53
2009–10	784.02	1111.16	1.41
2010–11	795.18	1493.86	1.88
2011–12	790.70	1544.49	1.95
2012–13 (अस्थाई)	798.31	1567.72	1.96
2013–14 (अनुमानित उपलब्धि)	794.47	1516.33	1.91
2014–15(लक्ष्य)	795.50	1602.50	2.01

अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में संबंधित कार्यक्रम ;एच.वाई.वी.पी.द्ध

7.9 खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों के वितरण पर जोर दिया गया । अधिक उपज देने वाली मुख्य फसलों जैसे मक्की, धान, गेहूं के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में लाया गया क्षेत्र तथा 2014–15 के लिए लक्ष्य रखा गया, जो सारणी 7.6 में दिया गया है।

सारणी 7.6

अधिक उपज देने वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्र

('000 हैक्टेयर)

वर्ष	मक्की	धान	गेहूं
1	2	3	4
2008–09	280.51	74.61	325.22
2009–10	286.50	75.00	328.00
2010–11	278.65	75.20	327.00
2011–12	279.05	75.08	330.35
2012–13	288.15	75.70	335.00
2013–14(संभावित)	272.20	70.15	345.00
2014–15(लक्ष्य)	288.00	74.00	352.00

प्रदेश में बीज उत्पादन के 21 फार्म केन्द्र स्थापित किए गए है जिनसे किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 3 सब्जी विकास केन्द्र, 13 आलू विकास केन्द्र तथा 1 अदरक विकास केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।

पौध संरक्षण कार्यक्रम

7.10 फसलों की पैदावार बढानें के उद्वेश्य से पौध संरक्षण उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है। प्रत्येक मौसम में फसलों की बीमारियों, इनसैक्ट तथा पैस्ट इत्यादि से लड़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आई.आर.डी.पी. परिवारों, पिछड़ें क्षेत्रों के किसानों तथा सीमान्त व लघु किसानों को पौध संरक्षण रसायन उपकरण 50 प्रतिशत कीमत पर दिए जाते हैं। अक्तूबर,1998 से सरकार बड़े किसानों को इस सामान के लिए 30 प्रतिशत उपदान दे रही है। संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य सारणी 7.7 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 7.7

संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य

वर्ष	पौध संरक्षण के अधीन लाया गया क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	रसायनों का वितरण (मी.टन)
1	2	3
2007–08	440.00	135
2008–09	435.00	135
2009–10	442.00	169
2010–11	438.00	141
2011–12	315.00	120
2012–13	320.00	121
2013–14(संभावित)	500.00	190
2014–15(लक्ष्य)	350.00	135

मिट्टी की जांच कार्यक्रम

7.11 प्रत्येक मौसम में मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किसानों से मिट्टी के नमूने इकटठे किए जाते हैं तथा मिटटी जांच प्रयोगशाला में इनका विश्लेषण किया जाता है। लाहौल–स्पिति जिला के अतिरिक्त जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी है, जबकि चार चलते फिरते वाहन जिसमें से एक जनजातीय क्षेत्र के लिए हैं, साईट पर मिट्टी की जांच के लिए कार्यरत हैं। यह प्रयोगशालाएं आधुनिक उपकरणों द्वारा मजबूत की जा रही है। वर्ष 2010–11 में दो मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया तथा एक चलित प्रयोगशाला पालमपुर जिला कांगड़ा में स्थापित की गई। प्रतिवर्ष लगभग 1.25 लाख मिट्टी के नमूने एकत्रित किए गए हैं। वर्ष 2012–13 में 1.23 लाख मिट्टी के नमूने का विश्लेषण किया गया और 1.22 लाख मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। वर्ष 2013–14 में लगभग 1.00 लाख मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण का लक्ष्य रखा गया है जिससे किसानों को अपने खेतों की मिटटी में पोषकता तथा उर्वरकता की स्थिति और पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। भू–उर्वरकता नक्शे चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जी.पी.एस. तकनीक बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने मिटटी जांच को भी हि0प्र0 सार्वजनिक सेवाएं गारन्टी अधिनियम 2011 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सेवा घोषित की है।

जैविक खेती

7-12 सभी संबंधित लोगों के लिए जैविक खेती स्वास्थ्य, पर्यावरण मित्र होने के कारण आजकल लोकप्रिय होती जा रही है। किसानों को प्रशिक्षण, प्रदर्शनी, मेले/ गोष्ठियों द्वारा राज्य में जैविक खेती बहुत ही योजनाबद्व तरीके के साथ उन्नत हो रही है। 12वीं योजना के अन्त तक यह भी फैसला किया गया है कि हर घर में बरमी खाद की ईकाईयां स्थापित की जाए। इस योजना के अन्तर्गत प्रति किसान को `5,000 की राशि (50 प्रतिशत अनुदान पर) (10x6x1.5फीट का गड्ढा तैयार करने के लिए तथा दो किलोग्राम बरमी–कल्चर बीज के लिए दिए जाते हैं। इस वित वर्ष के अंत तक 11,000 बरमी कलचर ईकाईयां स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त जैविक खेती अपनाने पर अनुमोदित जैविक आदानों पर `10,000 प्रति हैक्टेयर (50 प्रतिशत) तथा प्रमाणीकरण हेतू `10,000 प्रति हैक्टेयर प्रोत्साहन 3 वर्षों के लिए उपलब्ध की जा रही है।

बायो गैस विकास कार्यक्रम

7-13 पारम्परिक ईंधन, जैसे जलावन लकड़ी की उपलब्धता के कम होने से बायोगैस संयन्त्रों ने राज्य के निचले तथा मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में महता प्राप्त की है। इस कार्यक्रम के शुरू होने से मार्च,2013 तक राज्य में 44,103 बायोगैस संयन्त्र लगाए जा चुके हैं। हिमालय क्षेत्र के कुल बायोगैस उत्पादन में से लगभग

90.86 प्रतिशत अकेले हिमाचल प्रदेश में ही होता है। वर्ष 2012–13 में राज्य में 300 बायोगैस संयन्त्र लक्ष्य के मुकाबले 302 बायोगैस संयन्त्र लगाए गए तथा वर्ष 2013–14 में 300 बायोगैस संयन्त्र लगाने के लक्ष्य में से दिसम्बर,2013 तक 228 बायोगैस संयन्त्र लगाए गए। वर्ष 2014–15 के दौरान 300 बायोगैस संयंत्र लगाने प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम संतृप्ति के पड़ाव पर है।

उर्वरक उपभोग तथा उपदान

7.14 उर्वरक ही एक ऐसा इनपुट है जो काफी हद तक उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है। 50वें दशक के अन्त में तथा 60वें दशक के शुरू में हिमाचल प्रदेश में उर्वरक के प्रदर्शन शुरू हुए तब से उर्वरक का उपभोग लगातार बढ़ता गया। उर्वरक उपभोग का स्तर वर्ष 1985–86 के 23,664 टन स्तर से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 48,129 टन हो गया। रसायनिक उर्वरकों के संतुलित उपभोग को बढ़ावा देने के लिए मिश्रित उर्वरक पर `1,000 प्रति मी. टन. उपदान तथा बड़े पैमाने पर घुलनशील उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 25 प्रतिशत मूल्य सीमा या `2,500 प्रति क्विंटल जो भी कम हो उपदान दी जा रही है। उपदान योजना स्कीम के अंतर्गत दिया जा रहा है। वर्ष 2014–15 में लगभग 48,500 मी0टन उर्वरक पोषक तत्वों की दृष्टि के रूप में वितरित किया जाएगा। उर्वरक खपत निम्न सारणी 7.8 में दर्शाया गया है।

सारणी 7.8
उर्वरक उपभोग

(मी. टन)

वर्ष	नाईट्रो–जिनियस (एन.)	फोस–फेटिक (पी.)	पोटास (के.)	कुल (एन. पी. के.)
1	2	3	4	5
2007–08	32338	8908	8708	49954
2008–09	35462	10703	11198	57363
2009–10	31319	10901	11018	53239
2010–11	32594	10728	11811	55133
2011–12	32802	9701	8922	51425
2012–13	34182	6821	7126	48129
2013–14(संभावित)	31500	9400	9100	50000
2014–15(लक्ष्य)	33000	8000	7500	48500

कृशि ऋण

7.15 ग्रामीण परिवारों की विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण पारम्परिक वित्त के गैर संस्थागत स्त्रोत ही ऋण के मुख्य साधन है। इनमें से कुछ एक बहुत अधिक ब्याज पर धन उपलब्ध करवाते हैं और गरीब लोगों के पास बहुत कम सम्पति होती है जिसके कारण उनके लिए समानान्तर जमानत जुटा पाने के अभाव में वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना बहुत मुश्किल है फिर भी सरकार ने ग्रामीण परिवारों को कम दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं। किसानों की इस प्रवृति के मध्य नजर, जो कि अधिकतर सीमान्त तथा छोटे किसान है,उनको आदान की खरीद के लिए ऋण को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। संस्थागत ऋण व्यापक रूप से दिए जा रहे हैं परन्तु इसके कार्यक्षेत्र को विशेषकर

फसलों मे जो कि बीमा योजना के अंतर्गत आते है, बढानें की जरूरत है। सीमान्त तथा लघु किसानों और अन्य पिछड़े वर्ग को संस्थागत ऋण सही तरीके से उपलब्ध करवाना और उनके द्वारा नवीनतम तकनीकी तथा सुधरे कृषि तरीकों को अपनाना सरकार का मुख्य उद्वेश्य है। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की मिटिंग में फसल विशेष ऋण योजना तैयार की है ताकि ऋण बहाव का जल्दी अनुश्रवण हो सके।

किसान क्रेडिट कार्ड ;के.सी.सी.द्ध

7.16 यह योजना पिछले बारह से तेरह वर्षों में बहुत ही सफल रही है। 1,706 बैंक शाखाएं इस योजना को कार्यान्वित कर रही है। सितम्बर,2013 तक 5,84,568 किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए, जबसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है तब से बैंक ने सितम्बर,2013 तक `2,660.31 करोड़ के ऋण दिए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति सारणी 7.9 में दर्शाई गई है।

सारणी 7.9

किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति

क्र. सं.	बैंक	सितम्बर, 2013 तक जारी (`करोड़)	सितम्बर,2013 तक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए
1	2	3	4
1	वाणिज्यिक बैंक	1645.97	2,42,121
2	कोओपरेटिव बैंक	721.78	2,41,017
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	173.38	98,944
4	अन्य प्राईवेट बैंक	119.18	2,486
	कुल	**2660.31**	**5,84,568**

फसल बीमा योजना

7.17 सभी फसलों तथा सभी किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत लाने के लिए सरकार ने राज्य में वर्ष 1999–2000 के रबी मौसम से 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' शुरू की। शुरू में मक्की, चावल, जौं तथा आलू की फसलों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। लघु एवं सीमान्त किसानों को बीमा किस्त पर छूट सन–सैट के आधार पर दी जाएगी। यह योजना विस्तृत जोखिम बीमा, सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़, कीट व बीमारी इत्यादि को कवर करती है। वर्ष 2007–08 से रवी पर अनुदान 10 से 50 प्रतिशत तक लघु एवं सीमांत किसानों को बढ़ा दिया है। यह परियोजना ऋणी किसानों के लिए आवश्यक एवं गैर ऋणी किसानों के लिए उनकी मर्जी पर है। इस परियोजना को भारत की कृषि बीमा कम्पनी चला रही है। फसलों के नुकसान के कारण किश्तों पर छूट की भरपाई को भारत सरकार और राज्य सरकार समान रूप से वहन करेगी। खरीफ फसल 2008 के दौरान सिरमौर जिला की अदरक की फसल को पायलट के आधार पर शामिल किया गया है। रवी फसल 2013–14 से वर्तमान एन.ए.आई.एस. को भारत सरकार द्वारा वापिस ले लिया है और इसकी जगह राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम में एक नई सी.एस.एस. (CSS) लागू किया है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने टमाटर की फसल जिला सोलन तथा जिला बिलासपुर के सदर विकास खण्ड में तथा आलु की रबी फसल जिला कांगड़ा व ऊना में अग्रगामी आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यू. बी.सी.आई.एस.) का प्रबंध किया गया है। यह योजना कृषि बीमा कम्पनी (AIC) और निजी बीमा कम्पनी यानि HDFC, ICICI लोम्वार्ड और HDFC इरगो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

बीज प्रमाणीकरण

7.18 कृषि मौसमीय स्थिति राज्य में बीज उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। बीज की गुणवता को बनाए रखने के लिए तथा उत्पादकों को बीज की कीमतें देने के लिए बीज प्रमाणीकरण योजना को अधिक महत्व दिया गया। राज्य के विभिन्न भागों में बीज उत्पादन तथा उनके उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए 'हिमाचल राज्य बीज रासायनिक खाद उत्पाद प्रमाणीकरण एजैंसी' उत्पादकों को रजिस्टर कर रही है।

कृशि विपणन

7.19 कृषि विपणन तथा कृषि उत्पादन को राज्य में व्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट 2005 लागू किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत राज्य स्तर पर हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। सारा हिमाचल प्रदेश 10 अधिसुचित विपणन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका मुख्य उद्धेश्य कृषक समुदाय के अधिकार को सुरक्षित रखना है। व्यवस्थित स्थापित मण्डियां किसानों को लाभदायक सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। सोलन में कृषि उत्पादों हेतु एक आधुनिक मण्डी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा अन्य स्थानों पर मार्किट यार्डों का निर्माण हुआ। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मार्किट फीस 2 प्रतिशत से 1 प्रतिशत की गई। इस अधिनियम के अन्तर्गत जो राजस्व प्राप्त होगा उसे मूलभूत सुविधाओं के उनन्यन तथा कृषि उत्पाद के लाभकारी विपणन को सुनिश्चित करना है। हिमाचल प्रदेश कृषि उपज बाजार अधिनियम को आदर्श अधिनियम के तर्ज पर किया गया है जिसको भारत सरकार ने परिचालित किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत निजी मार्किट की स्थापना करना, सीधे तौर पर विपणन, ठेके पर कृषि, एवं एक बिन्दु पर प्रवेश शुल्क की उगाही मण्ड़ियों का कम्प्यूटरीकरण भी किया जा रहा है। विपणन बोर्ड स्वयं अपनी निधि से तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कार्यकलापों को चला रही है।

चाय विकास

7-20 चाय के अन्तर्गत 2,300 हैक्टेयर क्षेत्र है जिसमें 8–10 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है। लघु एवं सीमान्त चाय पैदावार करने वालों को कृषि औजारों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। कुछ वर्षों से मण्डी में गिरावट की वजह से चाय उद्योग पर विपरीत असर पड़ा है। उत्पादकों को चाय उत्पादन के अच्छे दाम उपलब्ध करवाने पर बल दिया जा रहा है। प्रदर्शन और नतीजों के उपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

कृशि का मषीनीकरण

7-21 इस योजना के अन्तर्गत किसानों को नए कृषि औजार/मशीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत नई मशीनों का परीक्षण किया गया। विभाग का प्रस्ताव पहाडी स्थिति के लिए अनुकूल छोटे ईंधन से चलने वाले हल एवं औजार को लोकप्रिय बनाने का है। किसान कृषि संबंधी कोई भी जानकारी दूरभाष संख्या 1800–180–1551 पर सम्पर्क कर मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक कार्य दिवसों के दौरान उपलब्ध रहती है। यह स्कीम शत–प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित है।

बीज ग्राम कार्यक्रम (100 प्रतिषत सी.सी. एस.)

7.22 प्रमुख फसलों का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने में बड़ी बाधा समय पर पर्याप्त मात्रा में उन्नत किस्मों की गुणवता के बीज किसानों को उपलब्ध न होना है। इस बाधा से मुक्त होने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए गए नवीन कार्यक्रम जिसे "बीज ग्राम कार्यक्रम" के रूप में जाना जाता है शुरू कर दिया गया है। इस कार्यक्रम से बेहतर बीज उत्पादन कम समय गुणवता वाले बीज स्थानीय स्तर पर कम लागत पर उपलब्ध करवाना है। इस कार्यक्रम के तहत बेहतर बीज उत्पादन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और 50 से 150 उपयुक्त/ इच्छुक किसानों एक ही फसल हेतु सुसम्बद्व क्षेत्र दृष्टिकोण का पालन कर पहचान की जाएगी। पहचान किए गए किसानों को 50 प्रतिशत लागत पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाएगा। बीज प्रत्येक किसान को आधा हैक्टेयर हेतु दी जाएगी। चयनित किसानों को प्रशिक्षण बीज उत्पादन और बीज तकनीकों के बारे बीज ग्राम में दी जाएगी।

भू एवं जल संरक्षण

7.23 भौगोलिक परिस्थितियों के मध्यनजर हमारी भूमि में कटाव इत्यादि आ जाता है। जिस के कारण हमारी भूमि का स्तर गिर जाता है। इस के अलावा भूमि पर जैविक दबाव है। विशेष रूप से कृषि भूमि पर इस प्रक्रिया को रोक लगाने हेतु विभाग द्वारा राज्य सैक्टर के अन्तर्गत दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

यह योजनाएं हैं:–

i) भू संरक्षण कार्य
ii) जल संरक्षण और विकास

कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जल संरक्षण और लघु सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। विभाग द्वारा वर्षा जल संचयन के लिए टैंक, तालाब, चैक डैम व भण्डार संरचनाओं के निर्माण हेतु योजना तैयार की है। इस के अलावा कम पानी उठाने वाले उपकरण व फव्वारों के माध्यम से कुशल सिंचाई प्रणाली को भी लोकप्रिय किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से भू संरक्षण तथा फार्म कृषि स्तर में रोजगार के अवसर अर्जित करने पर अधिक जोर दिया जाएगा।

हि0प्र0 में लघु सिंचाई योजनाओं तथा अन्य सम्बन्धित आधारभूत ढांचे का विकास

7.24 कृषि विभाग ने कृषि क्षेत्र में अधिक व जल्दी विकास हेतु नकदी फसलों का उत्पादन पौली गृह के द्वारा खेती करने के लिए परियोजना बनाई है। इस परियोजना का उद्देश्य अधिक पैदावार और क्षेत्र की इकाई के आधार पर आय, प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल एवं जमीन का सही उपयोग, सारे वर्ष आश्रितों की उपलब्धता, पैदावार की गई फसलों की गुणवता एवं निवेश में कार्य क्षमता को बढ़ावा देना है। नाबार्ड ने इस परियोजना को आर.आई.डी.एफ.–XIV के आधार पर `154.92 करोड़ स्वीकृत किए हैं जिसे वित्तीय वर्ष 2008–09 से शुरू करके चार वर्षों में लागू किया जाएगा और अब इसे 31मार्च, 2014 तक बढ़ाया गया। दिसम्बर, 2013 तक 13,500 पौली गृहों का निर्माण किया गया। 147.00 हैक्टेयर क्षेत्र संरक्षित खेती के अंतर्गत लाया गया तथा `111.00 करोड़ व्यय किए गए। 12वीं पंचवर्षीय योजना में विभाग द्वारा सुरक्षाा खेती के तहत सब्जी के उत्पादन पर एक परियोजना (मुख्यमंत्री किसान बागवान समृद्धि योजना पार्ट–।।) `111.19 करोड़ की राशि वित्त

पोषण के लिए नाबार्ड को प्रस्तुत कर दी है जिससे `93.59 करोड़ की वित्तीय सहायता कृषक समुदाय को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस परियोजना को 3 साल के समय अवधि में लागू किया जाएगा। वर्ष 2014–15 के लिए सरकार द्वारा `20.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई योजनाओं तथा अन्य संबंधित आधारभूत ढांचे के विकास के लिए नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ.–XIV के अर्न्तगत `198.09 करोड़ स्वीकृत किए। यह परियोजना 2009–10 से आगामी चार वर्षों के लिए लागू की गई है और अब इसे 31 मार्च,2014 तक बढ़ाया है। इस योजना के अन्तर्गत 17,312 स्पिंकलर/ ड्रीप सिंचाई स्कीमें स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त 16,020 पानी स्त्रोतों जिसमें पानी के टैंक, उथले कुओं व टयूबैलों को गहरा करने, गहरे कुओं, छोटे व मध्यम उठाऊ पम्प सैटों का आवश्यकतानुसार निर्माण किया जाएगा। किसानों को कुल लागत का 80 प्रतिशत अनुदान तथा 20 प्रतिशत लाभार्थी को वहन करना होगा। वर्ष 2013–14 तक 26,033 स्पिंकलर सेट स्थापित किए गए जिसके अंतर्गत 17,552 हैक्टेयर क्षेत्र लाया गया और `87.56 करोड़ व्यय किए गए। वर्ष 2013–14 के लिए इस मद में `20.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

राश्ट्रीय कृशि विकास योजना

7-25 कृषि एवं इसके साथ जुड़े क्षेत्रों की धीमी विकास दर को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारम्भ की है। इसके अंतर्गत 4 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य है। कृषि संबंधी क्षेत्रों को सम्पूर्ण विकास के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं:–

1. राज्य को प्रोत्साहन देना ताकि कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश हो।
2. राज्यों को कृषि एवम् समवर्गी क्षेत्र योजना के लिए योजनाएं बनाने तथा कार्यान्वयन करने के लिए लचीलापन और स्वतन्त्रता देना।
3. कृषि संबंधी योजनाओं को राज्य तथा जिलों के लिए कृषि जलवायु प्रभाव तथा तकनीकी और प्राकृतिक स्त्रोत में सुविधा सुनिश्चित करना।
4. राज्यों द्वारा कृषि योजना में स्थानीय जरूरतें/ फसलें/ प्राथमिकताएं भली–भांति प्रकार से व्यक्त हों यह सुनिश्चित करना।
5. सरकारी हस्तक्षेप से महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन में अंतर को दूर करने के लिए लक्ष्य प्राप्त करना।
6. किसानों को कृषि और संबंधित क्षेत्रों में अधिकतम प्राप्ति का लक्ष्य।
7. उत्पादन व उत्पादकता में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए विभिन्न घटकों का कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सम्पूर्ण रूप से बताया जाना।

भारत सरकार ने कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें बागवानी, पशुपालन, मत्स्य व ग्रामीण विकास भी शामिल है के लिए धन आवंटित किया गया है। यह योजना वर्ष 2007–08 से आरम्भ की गई है। वर्ष 2013–14 में कृषि एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा `77.40 करोड़ अनुमानित व्यय किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरम्भ होने के बाद भारत सरकार से ए0सी0ए0 के अधीन प्राप्त हो रही है इसलिए इस योजना को राज्य क्षेत्र कार्यक्रम में वर्ष 2013–14 से सम्मिलित

किया गया है। वर्ष 2014–15 के लिए कृषि विभाग को सामान्य योजना (36.19) एस0सी0 में एस0पी0 (13.86) व टी0ए0एस0पी0 (4.95) करोड़ के अन्तर्गत कुल `55.00 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

उद्यान

7.26 हिमाचल प्रदेश की विविध जलवायु, भौगोलिक क्षेत्र तथा उनकी स्थिति में भिन्नता, उपजाऊ, गहन तथा उचित जल निकास व्यवस्था वाली भूमि समशीतोष्ण तथा ऊष्ण कटिबन्धीय फलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है । यह क्षेत्र अन्य गौण उद्यान उत्पादन जैसे फूल, मशरूम, शहद तथा हॉप्स की खेती के लिए भी बहुत उपयुक्त है ।

7.27 प्रदेश की इस अनुकूल स्थिति के परिणामस्वरूप पिछले कुछ दशकों में भूमि उपयोग अब कृषि से फलोत्पादन की ओर स्थानान्तरित होता जा रहा है। वर्ष 1950–51 में फलों के अधीन कुल क्षेत्र 792 हैक्टेयर था जिसमें कुल उत्पादन 1200 टन हुआ । यह बढ़ कर वर्ष 2012–13 में 2,18,303 हैक्टेयर क्षेत्र हो गया तथा कुल फल उत्पादन 5.56 लाख टन हुआ तथा वर्ष 2013–14 में दिसम्बर,2013 तक कुल फल उत्पादन 8.28 लाख टन आंका गया है। 2013–14 में 3,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फल पौधों के अंतर्गत लाने के लक्ष्य की तुलना में 31 दिसम्बर,2013 तक 3,917 हैक्टेयर क्षेत्र को पौधरोपण के अंतर्गत लाया गया तथा विभिन्न फलों के 9.48 लाख पौधे वितरित किए गए।

7.28 हिमाचल प्रदेश में फलोत्पादन में सेब का प्रमुख स्थान है जिसके अंतर्गत फलों के अधीन कुल क्षेत्र का लगभग 49 प्रतिशत है तथा उत्पादन कुल फल उत्पादन का लगभग 85 प्रतिशत है। वर्ष 1950–51 में सेबों के अंतर्गत 400 हैक्टेयर क्षेत्र था जो कि 1960–61 में बढ़कर 3,025 हैक्टेयर तथा वर्ष 2012–13 में 1,06,440 हैक्टेयर हो गया।

7.29 सेब के अतिरिक्त समशीतोषण फलों के अंतर्गत वर्ष 1960–61 में 900 हैक्टेयर क्षेत्र से बढ़कर 2012–13 में 27,637 हैक्टेयर हो गया। सूखे फल तथा मेवों का क्षेत्र 1960–61 के 231 हैक्टेयर से बढ़कर 2012–13 में 10,902 हैक्टेयर हो गया तथा निम्बू प्रजाति एवं पोषण देशीय फलों का क्षेत्र वर्ष 1960–61 के 1,225 हैक्टेयर तथा 623 हैक्टेयर से बढ़कर 2012–13 में क्रमशः 22,809 हैक्टेयर तथा 50,515 हैक्टेयर हो गया।

7.30 प्रतिकूल मौसम व बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव के कारण सेब उत्पादन में आ रही अस्थिरता विकास की गति में बाधक हो रही है। विश्व व्यापार संगठन व जी.ए.टी.टी. तथा अर्थ–व्यवस्था के उदारीकरण के परिणामस्वरूप भी हिमाचल प्रदेश में सेब जो फल उद्योग की प्रभुता पर अपना स्थान बनाये रखने में कई चुनौतियां पेश आ रही है। गत कुछ वर्षों में सेब उत्पादन में आ रहे उतार चढ़ाव ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। प्रदेश के विशाल फलोत्पादन क्षमता के पूर्ण दोहन के लिए अब विभिन्न कृषि क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

7.31 फल–उद्यान विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा रख–रखाव में निवेश करके सभी फल

फसलों को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम जैसे फलोत्पादन विकास कार्यक्रम, क्षेत्र विस्तार नई तकनीकों की जानकारी विभिन्न फसलों अखरोट, हैजलनट, पिस्ता, आम तथा जैतून विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

7.32 मण्डी मध्यस्थ योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 में सेब, आम तथा नीवूं प्रजाति के फलों के प्रापण मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 50 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। वर्ष 2013–14 से प्रति किलोग्राम इस योजना के अंतर्गत बागवानों से `22.00 करोड़ मूल्य का 34,000 मी.टन "सी" श्रेणी सेब का प्रापण किया गया

7.33 प्रदेश के गर्म क्षेत्रों में आम एक मुख्य फसल के रूप में उभरा है। कुछ क्षेत्रों में लीची भी महत्व प्राप्त कर रही है। आम तथा लीची की बाजार में बेहतर कीमतें मिल रहीं है। मध्यम उॅचाई वाले क्षेत्रों में नए फलों जैसे किवी, जैतून, पीकैन, अनार तथा स्ट्राबैरी की खेती लोकप्रिय हो रही है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दिसम्बर,2013 तक के फल उत्पादन के आंकड़े सारणी 7.10 में दर्शाए गए हैं।

lkj.kh 7-10

Qy mRiknu

(gtkj Vu)

मद	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14 (31दिसम्बर 2013 तक)
1	2	3	4	5
सेब	892.11	275.04	412.39	738.72
अन्य समशीतोष्ण फल	61.38	31.18	55.02	46.34
सूखे मेवे	3.62	2.49	2.81	1.89
नीबू प्रजाति	28.68	25.03	24.32	13.11
अन्य उपोष्णीय फल	42.03	39.08	61.16	28.25
कुल	**1027.82**	**372.82**	**555.70**	**828.31**

7.34 फल उत्पादकों को उतम गुणवत्ता पैकिंग उपलब्ध करवाने के उद्वेश्य से भारतीय पैकेजिंग संस्थान अंधेरी (पूर्व) मुम्बई–400093 को स्टैण्डर्ड यूनिवर्सल कार्टन के निर्माण हेतु मापदण्डों के निर्धारण एवं परिवहन गुणवत्ता के आकलन का कार्य सौंपा गया है।

7.35 प्रदेश में बागवानी उद्योग में विविधता लाने हेतू 31.12.2013 तक 342 हैक्टेयर क्षेत्र पुष्प खेती के अंतर्गत लाया गया। पुष्प खेती को बढ़ावा देने हेतु दो टिशू कल्चर प्रयोगशालाएं आर्दश पुष्प केन्द्रों महोगबाग, चायल जिला सोलन तथा पालमपुर जिला कांगड़ा में स्थापित की गई है। फूलों के उत्पादन तथा विपणन हेतु प्रदेश के चार किसान को–ओपरेटिव सोसाईटी जिला शिमला, कांगड़ा, लाहौल–स्पिति तथा चम्बा में कार्य कर रही है। प्रदेश में खुम्ब उत्पाद एवं मौन पालन जैसे सहायक उद्यान गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2013–14 में दिसम्बर,2013 तक चम्बाघाट, बजौरा तथा पालमपुर स्थित विभागीय खुम्ब विकास परियोजनाओं में 256.00 मी0टन पास्चूराईजड खाद तैयार कर खुम्ब उत्पादकों को बांटी गई। प्रदेश में दिसम्बर,2013 तक कुल 2,945.49 मी0टन खुम्ब उत्पादन हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013–14 में दिसम्बर,2013 तक प्रदेश मे 530.64 मी0टन शहद का उत्पादन हुआ।

7.36 हिमाचल प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना को रबी

सीजन वर्ष 2009–10 में 6 विकास खण्डों में सेब फसल के लिए तथा 4 विकास खण्डों में आम फसल हेतु लागू किया गया। वर्ष 2010–11 में रबी सीजन में इस योजना को 15 विकास खण्डों को सेब फसल के लिए तथा 9 विकास खण्डों को आम फसल के लिए लाया गया। योजना की सफलता के दृष्टिगत 2011–12 में रबी सीजन में सेब फल फसल के लिए 17 विकास खण्डों तथा आम फल फसल हेतु 10 विकास खण्डों में लागू किया गया। इसके अतिरिक्त सेब की फसल को ओलावृष्टि से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए बीमा हेतु चार विकास खण्डों तथा बादल–फटने से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए बीमा हेतु दो विकास खण्डों को रबी 2011 से Add-on cover के अंतर्गत लाया गया है। वर्ष 2013–14 में 41,333 बागवानों को सेब फसल बीमा योजना में सम्मिलित किया गया है जिनके द्वारा 38,69,715 पेड़ों को बीमित किया गया जिसके लिए 25 प्रतिशत प्रीमियम भाग लगभग `6.16 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया। वर्ष 2013–14 में इस योजना के अंतर्गत `9.48 करोड के क्लेम से 17,351 बागवानों के लाभान्वित होने की संभावना है।

7.37 प्रदेश में बागवानी के समेकित विकास हेतू केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं बागवानी तकनीकी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचाई मिशन इत्यादि योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत बागवानी फल फसलों के उत्पादन, आधारभूत अधोसंरचना के सृदृढ़ीकरण तथा सिंचाई सुविधाओं में विकास हेतु अनेक विकासात्मक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 2013–14 में इन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यन्वयन हेतू `43.08 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसमें से दिसम्बर,2013 तक `33.50 करोड़ की राशि प्राप्त कर ली गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत माह दिसम्बर,2013 तक 4,300 किसान लाभान्वित किये गए हैं। योजनाओं में फूलों तथा सब्जियों की संरक्षित खेती को बढ़ावा देने हेतू उपदान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया गया है तथा 35,000 वर्ग मी. क्षेत्र ग्रीन हाउस के अंतर्गत लाया गया है। बागवानी फल फसलों में विशेषकर सेब को ओलावृष्टि से बचाने के लिए ओलारोधक जालियों पर उपलब्ध 50 प्रतिशत उपदान को बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया है तथा 4.50 लाख वर्ग मी. क्षेत्र को ओलारोधक जालियों के अंतर्गत लाया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सेब जीर्णोदार योजना चलाई जा रही है जिसमें पुराने बगीचों को जीर्णोदार करके नई, उन्नत तथा लगातार फसल देने वाली स्पर प्रजातियों के रोपण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बगीचों में सिंचाई प्रबन्धन व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतू जल भण्डारण टैंकों, बोर वैल तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना की गई है।

एच.पी.एम.सी.

7.38 एच.पी.एम.सी. राज्य का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना ताजे फलों व सब्जियों के विपणन जो बाजार तक नहीं पहुंच सके उनके विधायन तथा तैयार किए गए उत्पादों के विपणन के उद्वेश्य से की गई है। एच.पी.एम.सी. आरम्भ से ही बागवानों को उनके उत्पादन की लाभप्रद प्राप्तियां उपलब्ध करवाने में मुख्य भूमिका निभा रही है।

7.39 वर्ष 2013–14 में 30 नवम्बर,2013 तक एच.पी.एम.सी. ने `974.45 लाख के अपने संयंत्रों में तैयार उत्पादों को घरेलु बाजार में बेचा। मण्डी मध्यस्थ योजना के अंतर्गत एच.पी.एम.सी. ने केवल 18,889.55 मी0टन सेबों की खरीद की जिसे एच.पी.एम.सी. सयंत्रों में प्रोसेस किया जिसमें से 831.35 मी0टन का कन्सैन्ट्रैट जूस तैयार किया गया। निगम इस वर्ष आमों की खरीद नहीं कर पाई क्योंकि बागवानों को इस वर्ष खुले बाजार में अधिक दाम मिले। निगम ने 30 नवम्बर,2013 तक 15.00 मी.टन नींबू प्रजाति के फलों की खरीद की जिसका प्रसंस्करण निगम के संयंत्रों में जारी है। एच.पी.एम.सी. अपने उत्पादों को रेलवे, उतरी कमान मुख्यालय उधमपुर, विभिन्न धार्मिक संस्थानों, निजी संस्थानों, मै0 पार्ले खुले बाजार और एच.पी.एम.सी. जूसबार के लिए भेज रही है। एच.पी.एम.सी. अपने उत्पादों को आई.टी.डी.सी. के होटलों एवं संस्थानों को जो मेट्रो सिटिज दिल्ली, मुम्बई और चण्डीगढ़ में हैं लगातार भेज रही है। एच.पी.एम.सी.ने इन संस्थानों के लिए 30 नवम्बर,2013 तक ` 323.50 लाख के फल एवं सब्जियां भेजी हैं। इसी तरह एच.पी.एम.सी. ने 30 नवम्बर,2013 तक `423.41 लाख के पैकिंग का सामान एवं अन्य औजार प्रदेश के फल उत्पादकों को बेचे हैं। निगम को दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, परवाणु तथा प्रदेश सेब उत्पादक क्षेत्र में स्थित 2 सी.ए. भण्डार गृहों से ` 336.49 लाख राजस्व के रूप में प्राप्त हुए। निगम एपेडा, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार से `2,516.56 लाख तकनीकी उन्नतिकरण हेतु सहायता अनुदान स्वीकृत कराने में सफल हुआ। यह सहायता अनुदान निम्न परियोजनाओं हेतु प्राप्त हुआ है :–

i) पैंकिंग गृह जरोल टिक्कर, (कोटगढ), गुम्मा (कोटखाई), ओडी (कुमारसैन), पतलीकुहल (कुल्लू) के उन्नतिकरण हेतु `667.60 लाख की शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता।
ii) वातानुकुलित सी.ए. स्टोर, गुम्मा (कोटखाई) व जरोल टिक्कर (कोटगढ),हेतु शत–प्रतिशत सहायता अनुदान `1,038.00 लाख।
iii) नादौन (हमीरपुर) में एक आधुनिक पैक हाउस व कोल्ड रुम प्रोजक्ट हेतु शत–प्रतिशत सहायता अनुदान `353.42 लाख।
iv) परवाणु (सोलन) मे ट्रैटा पैकिंग टी.वी.ए.–9 जिससे कि उत्पादन में गुणवता लाई जा सके को टी.वी.ए. –19 में परिवर्तित करने हेतु शत–प्रतिशत सहायता अनुदान `353.00 लाख।

7.40 एच.पी.एम.सी. ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम के अंतर्गत हिमाचल राज्य फण्ड से गुम्मा (कोटखाई) में सेब जूस संयंत्र स्थापित करने हेतु तथा हि0प्र0राज्य औद्योगिक विकास निगम शिमला से `318.00 लाख की वित्तीय सहायता से पतलीकुहल (कुल्लू) में पीने के पानी का संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है।

8- Ik’kq rFkk eRL; ikyu

(अनुमानित)

i’kq ikyu rFkk Msjh m|ksx

8.1 पशुधन विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। हिमाचल प्रदेश में पशुधन एवं फसलों तथा सांझी सम्पति साधनों जैसे वन, पानी, चरने योग्य भूमि में बहुत गहन सम्बन्ध है। पशु अधिकतर उस चारे के घास जो कि सांझी सम्पति साधनों तथा फसलों व फसल अवशेषों से प्राप्त होती है पर निर्भर करते हैं। उसी प्रकार पशु सांझी सम्पति साधनों के लिए चारा घास तथा फसल अवशेष खाद के रूप प्रदान करते हैं तथा सूखे के लिए अधिक आवश्यक शक्ति प्रदान करते है।

8.2 हिमाचल प्रदेश में पशुधन अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में विशेष सहायक है। वर्ष 2012–13 में 11.39 लाख टन दूध, 1,650 टन ऊन, 107.00 मिलियन अंडे, 3,997 टन मांस का उत्पादन हुआ। वर्ष 2013–14 में क्रमशः 11.63 लाख टन दूध, 1,670 टन ऊन, 110.00 मिलियन अंडे तथा 4,000 टन मांस का उत्पादन होने की संभावना है। सारणी 8.1 दूध उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को दर्शाती है।

सारणी 8.1

उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता

o"kZ	दूध उत्पादन (लाख टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम प्रति दिन)
1	2	3
2012–13	11.39	455
2013–14	11.63	465

8.3 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उभारने में पशु पालन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा राज्य में पशुधन विकास कार्यक्रम में।

(i) पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण,
(ii) गोजातीय विकास,
(iii) भेड़ प्रजनन तथा उन विकास,
(iv) कुक्कट विकास,
(v) पशु आहार व चारा विकास
(vi) पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा
(vii) पशु गणना पर ध्यान दिया जा रहा है।

8.4 वर्ष 31.12.2013 तक पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 1 राज्य स्तरीय पशु–चिकित्सालय, 7 पोलीक्लीनिक, 49 उप–मण्डलीय पशु चिकित्सालय, 282 पशु–चिकित्सालय, 30 केन्द्रीय पशु औषधालय, तथा 1,762 पशु औषधालय हैं इसके इलावा 6 पशु निरीक्षण चौकियां हैं जो तुरन्त पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाते हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत दिसम्बर,2013 तक 1,253 पशु औषधालय खोले गए है।

8.5 राज्य में भेड़ व ऊन विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी (शिमला) सरोल (चम्बा), ताल (हमीरपुर) कड़छम (किन्नौर) द्वारा भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेड़े प्रदान की जा रही है। एक नर भेड़ केन्द्र नगवाई मण्डी जिला में कार्यरत है। वर्ष 2012–13 में इन फार्मों में 2,047 भेड़े पाली गई और 175 नर मेंढ़े

भेड़ पालकों को वितरित किए गए। प्रदेश में शुद्व नस्ल के मेंढ़ों, सोवियत मैरिनों तथा अमरिकन रैम्बूलैट की उपयोगिता को देखते हुए राजकीय प्रक्षेत्रों पर शुद्व नस्ल से प्रजनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 9 भेड़ व उन प्रसार केन्द्र भी कार्यरत हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान 1,670 टन ऊन के उत्पादन होने की सम्भावना हैं। खरगोशों के प्रजनन के लिए खरगोश प्रदान करने हेतु जिला कांगडा में कन्दबाड़ी तथा जिला मण्डी में नगवाई में अंगोरा खरगोश फार्म कार्यरत हैं।

8.6 हिमाचल प्रदेश में डेरी विकास, पशुपालन का एक अभिन्न अंग है तथा छोटे व सीमान्त किसानों की आय वृद्धि में इसकी प्रमुख भूमिका है। पिछले वर्षों में बाजार प्रेरित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन को, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो कि शहरी उपभोक्ता केंद्रों के दायरे में आते है, विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। इससे किसानों को पुरानी स्थानीय नसल की गउओं को क्रासबीड गउओं में बदलने के लिए प्रोत्साहन मिला है। क्रासबीड गउओं को बेहतर समझा जाता है क्योंकि यह गउएं अधिक समय तक व अधिक दूध देती है, इस कारण पशुपालन से सम्बन्धित ढांचे जैसे पशु संस्थान तथा दुग्ध फैडरेशन में भी वृद्धि हुई है। पहाड़ी नसल की गायों को जर्सी तथा होलस्टेन नसल में क्रास ब्रीडिंग (सकंरीत) द्वारा विकसित किया जा रहा है। भैंसों को भी अधिक दूध देने वाली क्रास ब्रीड़िंग नसल द्वारा विकसित किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक द्वारा जमे हुए वीर्य स्ट्रा से गायों तथा भैंसो में कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली को अपनाया जाता है। वर्ष 2012–13 में 7.45 लाख गायों के व 2.63 लाख भैंसों के वीर्य तृणों का उत्पादन किया गया। वर्ष 2013–14 के लिए 8.40 लाख गायों और 2.30 लाख भैंसों के लिए वीर्य तृणों के होने की संभावना है। 2012–13 में 0.80 लाख लीटर तरल नाईट्रोजन एल.एन.$_2$ गैस उत्पादित की गई और 2013–14 में 0.80 लाख लीटर का उत्पादन किया जाएगा। वर्ष 2013–14 में 2,092 संस्थाओं में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 7.00 लाख गायें व 2.00 लाख भैंसों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। क्रॉस ब्रीड गायों को पालने की वरीयता दी जाती है क्योंकि (संकरित) गायों को पालने के लिए अधिक महत्व दिया जा रहा है क्योंकि इनमें शुष्क रहने का समय कम व दूध देने की क्षमता अधिक होती है और लम्बे समय तक दूध देती है।

8.7 वर्ष 2012–13 के दौरान भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा 19वीं पशु गणना करवाई गई जिसकी अनुसूचियां राष्ट्रीय संस्थान इलैक्ट्रोनिक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी चण्डीगढ़ को संकलित की गई। 19वीं पशु गणना के दूसरे चरण में दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई,2013 नस्लानुसार 15 प्रतिशत चुने गए गांवों में पशुगणना करवाई गई। बैकयार्ड पोल्ट्री योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 में 3.00 लाख चूजों का वितरण होने की संभावना है तथा 800 कुक्कट पालकों को प्रशिक्षण का लक्ष्य है। बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम अनुसूचित परिवारों में बहुत लोकप्रिय है। इस स्कीम के अंतर्गत 3,559 अनुसूचित परिवारों के लिए 2.11 लाख चूजे नवम्बर,2013 तक बांटे गए। योजना के अंतर्गत वर्ष 2012–13 में 366 ईकाईयां स्थापित की गई व 2013–14 में 300 ईकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। आज तक 45 ईकाईयों की

स्थापना हो चुकी है और यंत्र निविदाएं प्रक्रिया में हैं। जिला लाहौल–स्पिति के लरी नामक स्थान पर घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है जिससे स्पिति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को संरक्षित रखा जा रहा है। वर्ष 2012–13 में इस प्रक्षेत्र में 56 घोड़े–घोड़ियों को रखा गया है। इसी भवन में याक प्रजनन प्रक्षेत्र भी हैं जहां पर वर्ष 2012–13 में 60 याक पाले गए हैं। दाना व चारा योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 में 15.00 लाख चारा जड़ों व 0.65 लाख चारा पौंधों का वितरण तथा 2.70 लाख किलोग्राम चारा बीज वितरण किए जाने की संभावना है।

nw/k xaxk ;kstuk

8.8

दुध गंगा योजना प्रदेश में नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही है। इस योजना के लाभ निम्न प्रकार से हैं:–

- अधिकतम 10 दुधारू पशु खरीदने तथा गौशाला निर्माण के लिए ` 5 लाख का ऋण जिसमें लाभार्थी का 10 प्रतिशत हिस्सा भी शामिल होगा दिया जाता है।
- दूध निकालने की मशीनें व दूध कूलर इत्यादि स्थापित करने हेतु `18 लाख तक का ऋण देने का प्रावधान है।
- दूध के देशी उत्पाद बनाने की इकाईयां स्थापित करने हेतु `24 लाख तक के ऋण प्रदान करने का प्रावधान है।
- सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को ऋण पर 25 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों को 33.33 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है।

पषुधन बीमा योजना

8.9

- यह स्कीम जिला मण्डी और कांगड़ा में मार्च, 2006 में शुरू की गई थी अब जिला हमीरपुर, शिमला व चम्बा तक विस्तृत की गई है जिसका उद्देश्य पशुधन मालिकों को उच्च किस्म के पशु व भैंसों की मृत्यु से होने वाले नुकसान से बचाना है ।
- प्रतिदिन पांच लीटर या इससे अधिक दूध देने वाली गायें और भैंसों का इस स्कीम के अन्तर्गत बीमा किया जाता है ।
- बीमे का प्रीमियम तीन साल के लिए 5.15 प्रतिशत रखा जाता है और 2.91 प्रतिशत प्रथम वर्ष के लिए है जिसका 50 प्रतिशत सरकार व 50 प्रतिशत भाग मालिक द्वारा दिया जाता है ।

पषु एवं भैंस विकास राष्ट्रीय परियोजना

8.10

पशु एवं भैंस विकास राष्ट्रीय परियोजना भारत सरकार द्वारा शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता पद्धति के आधार पर स्वीकृत की गई है । प्रथम चरण में प्रजनन योग्य पशु एवं भैंस की कृत्रिम गर्भाधान के लिए शत–प्रतिशत प्राप्ति के लिए `12.68 करोड़ राज्य के लिए जारी किए गए थे। अब दूसरे चरण में इस कार्य के लिए राज्य को `24.08 करोड़ राशि स्वीकृत की जा चुकी है। परियोजना का उद्देश्य पशुपालन विभाग की निम्न गतिविधियों को सुदृढ़ बनाना है:–

1. तरल नत्रजन के भण्डारण, यातायात और वितरण सुदृढ़ करना।
2. वीर्य एकत्रित केन्द्रों, वीर्य बैंकों और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को सुदृढ़ करना।
3. दूर–दराज क्षेत्रों में प्राकृतिक गर्भाधान एवं वीर्य एकत्रित केन्द्रों के लिए उच्च नस्ल के साण्डों का प्रबन्ध करना।
4. प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना।
5. कम्पयूटरीकरण और ई.टी.टी.लैब के लिए।

आंगनबाड़ी कुक्कट पालन

8.11 हिमाचल प्रदेश में कुक्कट क्षेत्र के विकास के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश सरकार निम्न योजनाएं चला रही है :–

- आंगनबाड़ी कुक्कट परियोजना के अन्तर्गत दो तीन सप्ताह के चूजे कलर्ड स्ट्रेन किस्म के जो कि चाबरों किस्म के हैं राज्य के किसानों को दिए जाते हैं।
- एक यूनिट 50 से 100 चूजे होते हैं, एक चूजे की कीमत ` 20 होती है।
- केन्द्रीय संचालित योजना " राज्य के कुक्कट पालन सहायता" के अंतर्गत यह चूजे नाहन और सुन्दरनगर हैचरी में पैदा किए जाते हैं।

पषु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता

8.12 पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में अन्तर्राज्यीय आवाजाही व पौष्टिक दाना चारा की कमी और पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण पशु विभिन्न पशु बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं । केन्द्रीय सरकार ने संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार को एस्कार्ड स्कीम के अन्तर्गत सहायता प्रदान की है जिसमें 75 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार का तथा 25 प्रतिशत भाग राज्य सरकार का है।

जिन रोगों के लिए मुफत टीकाकरण सुविधा प्रदान की जाती है उनमें मुंहखुर, एस0बी0क्यू0 एन्टरोटोम्सेमिया, पीपीआर, रैबीज, रानीखेत और मरैक्स रोग सम्मिलित हैं।

भेड़पालक समृद्धि योजना

8.13 पूंजीगत जोखिम राशि की योजना राज्य सरकार में नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। खरगोश विकास के लिए कुल्लू एवं शिमला जिला का चयन किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत भूमिहीन, सीमान्त कृषक, व्यक्तिगत कृषक, स्वयं सहायता समूह के भेड़ पालकों को सहायता दी जाती है जिसमें से पारम्परिक भेड़ पालकों, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। राशि की सीमा वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं राज्य सहकारी बैंकों द्वारा निर्धारण कर दी जाएगी जो निम्न प्रकार से हैः–

i) भेड़ पालकों को 40 भेड़े व 2 बकरों के लिए कुल `1.00 लाख की वित्तीय राशि जिसमें कुल राशि का 33.33 प्रतिशत उपदान जो अधिकतम `33,000 होगा एवं इसमें 10 प्रतिशत हिस्सा लाभान्वित व्यक्ति का होगा।

ii) भेड़ बकरी प्रजनन इकाई के अंतर्गत 500 भेड़ें एवं 25 बकरियों के लिए `25.00 लाख दिए जाएंगे जिसमें कुल राशि का 33.33 प्रतिशत तथा अधिकतम `8.33 लाख उपदान होगा एवं 25 प्रतिशत हिस्सा लाभान्वित व्यक्ति का होगा।

iii) खरगोश पालक इकाइयों के लिए ` 2.25 लाख दिए जाएंगे जिसमें कुल राशि का 33.33 प्रतिशत तथा अधिकतम `75,000 उपदान होगा एवं 10 प्रतिशत हिस्सा लाभान्वित व्यक्ति का होगा। इस योजना के लिए वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एवं राज्य सहकारी बैंक पात्र वित्तीय संस्थान होगें।

भेड़पालक बीमा योजना

8.14 यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 2007–08 में शुरू की गई है। इस स्कीम में प्रीमियम `330 प्रति वर्ष 100:150:80 अनुपात आधार पर जीवन बीमा निगम, भारत सरकार व गडरिया वहन करेगा।

भेड़पालकों को मिलने वाले लाभ

- प्राकृतिक तौर पर मृत्यु ` 60,000
- दुर्घटना से मृत्यु `1,50,000
- दुर्घटना से पूर्णतयाः अपंगता `1,50,000
- दो आंखें या दो हाथ–पांव की अपंगता `1,50,000
- एक आंख या एक हाथ–पांव की अपंगता `75,000

इसके अलावा इस योजना में शामिल होने पर भेड़ पालक को एक मुश्त लाभ जिसे एड ऑन बेनिफिट कहा जाता है, मिलता है । इसमें भेड़पालक के दो बच्चों को 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ने के लिए `1,200/– वार्षिक वजीफा मिलता है।

75 प्रतिशत उपदान पर घास काटने की मशीनः आहार एवं चारा विकास योजना के अंतर्गत 75 प्रतिशत उपदान पर घास काटने की मशीन (चॉफ कटर) प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 में हि0प्र0 के लिए `1,050 लाख की राशि स्वीकृत हुई जिसमें से `525 लाख की पहली किश्त जारी की गई है।

nw/k ij vk/kkfjr m|ksx

8.15 हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ राज्य में डेरी विकास कार्यक्रम चला रही है। दूध संघ में 822 समितियां हैं। इन समितियों के सदस्यों की कुल संख्या 37,400 है जिसमें 185 महिला डेरी सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं। डेरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों से गांवों का अतिरिक्त दूध एकत्रित किया जाता है तथा दुग्ध संघ इसे बाजार में उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में दुग्ध संघ 22 दुग्ध अभिशीतल केंद्र चला रही है जिनकी कुल क्षमता 86,500 लीटर दूध प्रतिदिन है और 8 दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट जिनकी कुल क्षमता 85,000 लीटर दूध प्रतिदिन है तथा 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक मिल्क पाउडर प्लांट दत्तनगर, जिला

शिमला में कार्यरत है और एक 16 मी0टन प्रतिदिन क्षमता वाला पशु आहार संयंत्र भी भोर, जिला हमीरपुर में स्थापित किया गया है। इस वर्ष मिल्कफैड रोजाना औसतन 63,000 लीटर दूध प्रतिदिन ग्राम डेरी समितियों द्वारा गांवों से एकत्रित कर रही है। "दुग्ध संघ प्रतिदिन लगभग 20,000 लीटर दूध की आपूर्ति कर रहा है जिसमें पंजाब एवं सैनिक युनिट डगशाई, शिमला, पालमपुर और योल शामिल हैं।" दुग्ध को ठण्डे करने वाले केन्द्रों से दुग्ध को इक्ट्ठा करके इसे प्लांट में भेजा जाता है जहां से यहां प्रसंस्करण होकर पैकेट व खुला बिकने के लिए भेजा जाता है।

हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ग्रामीण क्षेत्रों में संगोष्ठियां व कैम्प लगाकर ग्रामीणों को डेरी के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी से भी जागरूक करवाती है। इसके इलावा किसानों के घर द्वार पर, पशु–चारे व साफ दुग्ध उत्पादन की क्रिया से भी अवगत करवाती है।

8.16 हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1.04.2013 से दुग्ध के मूल्य में `1.00 प्रति लीटर की वृद्धि करके 37,400 परिवारों को सीधा वित्तीय लाभ पहुंचाया है जोकि हि0प्र0 दुग्ध संघ से जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने `43.98 करोड़ 2012–13 के दौरान राज्य के ग्रामीणों के विकास हेतु उत्पादकों को दिए गए और राज्य के गांवों का टिकाऊ विकास किया गया।

विकासात्मक प्रयत्न

8.17 अतिरिक्त दूध को उचित रूप से उपयोग करने हेतु, राजस्व को बढ़ाने हेतु तथा हानि को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश, दुग्ध संघ ने नीचे दिए हुए विकासात्मक कार्यक्रम आरम्भ किए हैं:–

- आई.डी.डी.पी.–।।। योजना के अंतर्गत 5,000 लीटर की क्षमता वाले तीन नए दुग्ध अभिशीतन केन्द्र जिला हमीरपुर के जंगलबैरी व नालागढ़, जिला सोलन व किन्नौर में लगाए जा रहे हैं।
- जिला हमीरपुर की भौरंज तहसील के भौर में दो नए संयंत्र "यूरिया मौलैसिस मीनिरल मिंक्सर" प्लॉट लगाए जा रहे हैं।
- जिला कुल्लू के नित्थर में 10,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला दुग्ध अभिशीतन केन्द्र दिनांक 12.11.2013 को लगा दिया गया है।
- जिला ऊना के लाल सिंगी क्षेत्र में एक नया "कम्प्रैस्ड फौडर प्लॉट" लगाया जा रहा है।
- जिला हमीरपुर, भौरंज के समीप एक नया 16 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाला पशु आहार का प्लान्ट `170.00 लाख की लागत से लगाया गया है।
- भारत सरकार द्वारा `2.95 करोड़ की लागत से आई.डी.डी.पी. योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर के लिए नई योजना स्वीकृत की है।

- सी.एम.पी. योजना के अंतर्गत `342.15 लाख मूल्य की एक नई परियोजना सिरमौर, मण्डी व शिमला जिलों के लिए स्वीकृत की है।
- ग्रामीण डेरी समितियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में लगभग 2,000 लोगों का रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

नया नवीकरण

8.18 कल्याण विभाग के आई.सी.डी. एस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने न्यूट्रीमिक्स का उत्पादन शुरू किया है। न्यूट्रीमिक्स उत्पाद संयंत्र "चक्कर" में इस विभाग की जरूरत को पूरा करने के लिए लगाया गया है। वर्ष 2012–13 में 23,994.84 क्विंटल न्यूट्रीमिक्स की आपूर्ति की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने इन खण्डों को वर्ष 2012–13 में 7,260 क्विंटल स्किम मिल्क पाउडर कल्याण विभाग के खण्डों को दिया है और इस वर्ष नवम्बर,2013 तक 4,810.32 क्विंटल स्किम मिल्क पाउडर तथा 17,513.30 क्विंटल न्यूट्रीमिक्स आई.सी.डी.एस. खण्डों को दी गई।

- वर्तमान में विकास की गति को ध्यान में रखते हुए विभाग ने भारत सरकार को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कई परियोजनाएं भेजी है।
- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादकों को अच्छी गुणवता वाला दूध उत्पादन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
- आई.डी.डी.पी. तृतीय के अंतर्गत 110 ग्रामीण डेयरी सहकारी समितियों को सोलन, हमीरपुर तथा किन्नौर जिलों में प्रत्येक नई ग्रामीण डेयरी सहकारी समिति को ` 18 हजार की प्रबंधकीय ग्रांट दी जाएगी।
- सोलन, हमीरपुर तथा किन्नौर जिलों में आई.डी.डी.पी. तृतीय के अंतर्गत 300 पशुओं को ` 15 हजार प्रति पशु खरीदने पर 50 प्रतिशत का अनुदान प्रस्तावित किया गया है।
- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ ने मिठाईयां बनाने का कार्य भी सफलतापूर्वक शुरू किया है तथा इस वर्ष दिवाली के त्यौहार पर लगभग 230 क्विंटल मिठाईयां और वर्ष 2013–14 में लोहड़ी त्यौहार पर 28 क्विंटल गचक का कारोबार किया है।
- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज में रक्तदान करने वालों को हल्का पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करवा रहा है।

हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ की उपलब्धियां

क्र. सं	विवरण	2012–13	30–11–2013 तक
1	संगठित डेरी सहकारी सभाएं	807	822
2	दुग्ध उत्पादक सदस्य	37098	37400
3	दुग्ध संकलन की मात्रा (लाख ली0)	259.54	170.00
4	बेचा गया दूध(लाख ली0)	95.04	45.00
5	घी की बिक्री (मी0 टन)	253.02	130.40
6	पनीर की बिक्री(मी0 टन)	47.97	38.07
7	मक्खन की बिक्री(मी0 टन)	24.53	14.50
8	दही की बिक्री(मी0 टन)	153.94	111.59
9	पशु आहार बिक्री(क्विंटलों में)	35837	22450

8.19 हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने न केवल पिछड़े और दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए लाभकारी बाजार बल्कि शहरी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए भी दुग्ध व इससे बने पदार्थ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उपलब्ध करवाई है। हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड यह निशिचित करने के लिए ग्रामीण स्तर पर दुग्ध ठण्डा हो इसके लिए 88 बड़े दुग्ध शीतक ग्रामीण स्तर पर राज्य के विभिन्न भागों में लगाए गए हैं। दुग्ध को जांचने में पारदर्शिता लाने के लिए फैडरेशन ने 138 स्वःचालित दुग्ध संचय ईकाईयां विभिन्न ग्राम डेरी सहकारी समितियों में लगाई हैं।

ऊu ,d=hdj.k ,oa foi.ku la?k lhfer

8-20 ऊन संघ का मुख्य उद्वेश्य हिमाचल प्रदेश में ऊनी उद्योग को बढ़ावा देना तथा ऊन उत्पादकों को बिचौलियों/व्यापारियों के शोषण से मुक्त करना है।

ऊन संघ अपने उपरोक्त उद्वेश्यों का अनुसारण करते हुए भेड़ व अंगोरा ऊन की खरीद, भेड़ों की चारागाह स्तर पर मशीन शियरिंग, भेड़ ऊन की धुलाई (स्कावरिंग), और ऊन के विक्रय में प्रयासरत है। भेड़ कल्पन आयातित स्वचालित मशीनों द्वारा करवाई जाती है।

वर्ष 2013–14 में 31.12.2013 तक 60,004.750 किलोग्राम भेड़ उन तथा अंगोरा ऊन की खरीद की गई है जिसका मूल्य `32.83 लाख है।

संघ द्वारा कुछ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का क्रियान्वयन प्रदेश के भेड़ व अंगोरा पालकों के लाभ व उत्थान के लिए भी किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों से लगभग 15,000 अंगोरा एवं भेड़ पालकों को इसका लाभ प्राप्त होने की संभावना है। ऊन उत्पादकों / स्थानीय दस्तकार/बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध करवाने के लिए संघ भारत सरकार द्वारा प्रायोजित वूलन एकस्पो का भी आयोजन करता है। ऊन संघ, उन उत्पादकों को उनके उत्पाद का समुचित मूल्य उपलब्ध करवा रहा है तथा इसका विपणन ऊनी बाजार में किया जा रहा है। उन संघ का वर्ष 2014–15 के लिए प्रस्तावित कार्य निम्न प्रकार से हैः–

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	अनुमानित व्यय– (`लाख में)
1	भेड़ ऊन खरीद–1,00,000कि.ग्रा.	51.88
2	अंगोरा ऊन खरीद–500 कि.ग्रा.	03.00
3	भेड़ कल्पन संख्या–85,000	–
4	ऊन स्कावरिंग, कार्बोनाईजिंग – 60,000 कि.ग्राम	–

eRL; ,oa typj ikyu

8.21 हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष के उन राज्यों में से है जिन्हें प्रकृति द्वारा पहाड़ों से निकलने वाली बर्फानी नदियों का जाल प्रदान किया गया है जो कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, अर्ध मैदानी और मैदानी क्षेत्रों से होती हुई पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। राज्य में बारहमासी नदियां व्यास, सतलुज, यमुना और रावी नदी बहती हैं जिनमें मत्स्यकि की शीतल जलीय प्रजातियां जैसे गुगली (साइजोथरैक्स), सुनैहरी महाशीर व ट्राउट पाई जाती है। शीतल जलीय मत्सयकि संसाधनों के दोहन के लिए महत्वकाक्षी "इन्डो–नार्वेयन ट्राउट फार्मिंग" परियोजना के राज्य में सफल कार्यान्वयन

से राज्य ने वाणिज्यिक ट्राउट पालन को निजी क्षेत्र में प्रचलित करने का गौरव अर्जित किया है। प्रदेश के दो बडे जलाशय गोबिन्दसागर व पौंग डैम में उत्पादित व्यवसायिक तौर पर महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियां क्षेत्रीय लोगों के आर्थिक उत्थान का मुख्य साधन बन गई है। प्रदेश में लगभग 4,900 मछुआरे अपनी रोजी के लिए जलाशयों के मछली व्यवसाय पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान दिसम्बर,2013 तक प्रदेश के विभिन्न जलाश्यों में 5,966 मीट्रिक टन मछली उत्पादन हुआ जिसका मूल्य ` 4,094 लाख है। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों को गोबिन्द सागर में देशभर में सर्वाधिक प्रति हैक्टेयर मतस्य उत्पादन तथा पौंग डैम की मछलियों का सर्वोच्च विक्रय मूल्य का गर्व प्राप्त है। इन दोनों जलाशयों में दिसम्बर,2013 तक 1,385.00 मी0टन उत्पादन हुआ जिसका मूल्य `917.00 लाख आंका गया। गोबिन्द सागर में प्रति हैक्टेयर जलाशय को वर्ष के दौरान दिसम्बर,2013 तक राज्य में फार्मों से 10.37 टन ट्राउट मच्छली उत्पादन से `84.64 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है जो सारणी संख्या 8.3 में दर्शाया गया है।

सारणी 8.3
टेवल साईज ट्राउट उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (टन)	राजस्व (`लाख में)
2009–10	15.20	74.67
2010–11	19.07	89.26
2011–12	17.98	83.01
2012–13	19.18	98.48
2013–14 (दिसम्बर,13 तक)	10.37	84.64

8.22 मत्स्य कृषकों, ग्रामीण तालाबों और जलाशयों की मांग को पूरा करने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा कार्प तथा ट्राउट बीज फार्मों की सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में स्थापना की गई है। कार्प फार्म बीज का उत्पादन व"र्ा 2012–13 में 200. 19 लाख था तथा 2013–14 में 125.84 लाख फार्म बीज का उत्पादन (दिसम्बर,2013) तक हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण राज्य में शीतल जलचर पालन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" `741.00 लाख की योजना स्वीकृत हुई है जो कि निम्न हैं:–

1.	बैकयार्ड फिश फार्मिंग यूनिटों का निर्माण	` 78.00 लाख
2.	मछली पकड़ने के उपकरणों का वितरण (सामान्य)	` 17.10 लाख
3.	मछली पकड़ने के उपकरणों का वितरण (अनुसूचित जन–जाति)	` 0.90 लाख
4.	मछियाल स्थित महाशीर फार्म का सुदृढ़ीकरण	` 47.00 लाख
5.	ट्राऊट मत्स्य व मत्स्य बीज की बढ़ौतरी	` 14.00 लाख
6.	एक्वाकल्चर डिवैल्पमैन्ट	`250.00 लाख
7.	जलाशयों में "केज़ फिश कल्चर"	`334.00 लाख
	कुल	**`741.00 लाख**

8.23 विभाग द्वारा जलाश्य मछली दोहन में लगे मछुआरों एवं मत्स्य पालन के आर्थिक उत्थान के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ की गई है। इस वर्ष " बैकयार्ड फिश फार्मिंग" (किचन फिश पौड) नामक नई योजना `78 लाख की सहायता से आरम्भ की गई है। मछुआरों को अब दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया है जिसके तहत दुर्घटना

में मृत्यु की दशा में संतप्त परिवार को `1,00,000 तथा अपंगता की स्थिति में `50,000 बीमा राशि के तौर पर प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण मत्स्य उपकरणों के नुकसान की भरपाई के लिए कुल लागत का 33 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। वर्जित काल के दौरान मछुआरों के लिए जीवन यापन हेतु अंशदायी बचत योजना चलाई जा रही है जिसमें मछुआरों द्वारा दिए गए अंशदान के बराबर राशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है जिसे वर्जित काल के दौरान विभाग द्वारा जलाशय माहीगीरों को दो मासिक बराबर किस्तों में वितरित किया जाता है। जलाशयों में कार्यरत माहीगीरों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका विवरण नीचे दर्शाया गया हैः–

क्र. सं	योजना का नाम	अधिकतम अनुदान राशि
1	मछुआ सामुहिक दुर्घटना बीमा योजना	`1 लाख (मृत्यु उपरांत) `0.50 लाख (अपंगता पर)
2	वर्जित काल के दौरान सहायता	`1,200 (दो किश्तों में प्रत्येक मछुआरे को)

मत्स्य पालन विभाग ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ. करने में अपना विशेष योगदान दे रहा है तथा विभाग द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा अब तक 1995 स्व–रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। जलाशय मत्स्यकि, हिमाचल मत्स्यकि का एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश, देश का प्रथम राज्य है जहां बांध विस्थापितों के उत्थान के लिए उन्हें सहकारी सभा के रूप में संगठित करके जलाशय के दोहन हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

8.24 विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 में माह दिसम्बर,2013 तक प्राप्त उपलब्धियां तथा मार्च,2014 तक प्रस्तावित एवं वर्ष 2014–15 का निर्धारित लक्ष्यों का विवरण निम्न प्रकार से हैः

विवरण	दिसम्बर,2013 तक की उपलब्धियां	वर्ष 2013–14 का लक्ष्य	सम्भावित निर्धारित लक्ष्य 2014–15
मत्स्य उत्पादन (टन)	5966.00	8080.00	10000.00
कार्प बीज उत्पादन (मिलियन)	125.84	220.00	240.00
खाने योग्य ट्राउट उत्पादन सरकारी क्षेत्र(टन)	10.37	18.00	18.00
खाने योग्य ट्राउट उत्पादन निजी क्षेत्र(टन)	104.76	150.00	250.00
रोजगार सृजन (संख्या)	1995	425.00	500.00
विभागीय राजस्व (लाखों में)	**147.39**	**143.59**	**175.00**

9- ou rFkk Ik;kZoj.k

ou

9.1 हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 66.52 प्रतिशत अर्थात 37,033 वर्ग किलामीटर क्षेत्र आता है । हिमाचल प्रदेश सरकार की वन नीति का मूल उद्देश्य वनों के उचित उपयोग के साथ–साथ इनका संरक्षण तथा विस्तार करना है । इन्ही नीतियों को पूर्ण रूप देने के लिए वन विभाग द्वारा कुछ योजना कार्यक्रम चलाए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं :–

ou jksi.k

9.2 वन रोपण का कार्य वनोत्पादक वन योजना तथा भू–संरक्षण योजना के अंतर्गत किया जा रहा है । इन योजनाओं में वन आच्छादन में सुधार, विभागीय पौधरोपण व सार्वजनिक वितरण के लिए नर्सरी तैयार करना, चरागाह में सुधार, ईंधन व चारा, गौण वन उपज, सांझी वन योजना, टी.एफ.सी. तथा भू एवं नमी संरक्षण इत्यादि आते हैं। 31 मार्च, 2013 तक 4,932 हैक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया गया है जिस पर `1,493.12 लाख व्यय किए गए। चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए पुर्वानुमानित 4,607 है0 क्षेत्र में पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से `1,406.17 लाख रूपए व्यय होने सम्भावित है तथा सितम्बर, 2013 तक 4,151 है0 क्षेत्र में ` 1,296.83 लाख की लागत से पौधारोपण कर लिया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए 4,750 है0 क्षेत्र में पौधरोपण का पूर्वानुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

गतवर्ष 2012–13 के दौरान राज्य में 45 लाख औषधीय पौधे रोपित

करने का लक्ष्य रखा गया था जिसे 31 मार्च, 2013 तक पूर्ण कर लिया गया था। वर्ष 2013–14 के के दौरान `10.00 करोड़ की लागत से 45 लाख औषधीय पौधे रोपित किए गए।

oU; izk.kh rFkk izd`fr lja{k.k

9.3 हिमाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार के पशु–पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य वन्य प्राणी शरण्यस्थलों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में सुधार एवं सुरक्षा प्रदान करना है जिससे विभिन्न लुप्त होने वाले पशु–पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को बचाया जा सके। इस योजना के अंतगर्त वर्ष 2012–13 में `412.00 लाख का बजट रखा गया था जिसे संशोधित करके (अनुसूचित जन–जाति योजना समेत) राज्य योजनाओं के अन्तर्गत `413.00 लाख आबंटित किये गये जो मार्च, 2013 तक व्यय कर लिए गए थे। इसी प्रकार चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए `440.00 लाख का बजट प्रावधान निर्धारित किया गया है जिसमें से माह सितम्बर, 2013 तक ` 186.22 लाख रूपए की राशि व्यय की जा चुकी है तथा शेष धनराशि 31.3. 2014 तक व्यय कर दी जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए प्रस्तावित बजट `440.00 लाख का प्रावधान है

जिसमें `40.00 लाख जन–जातीय उप–योजना के अंतगर्त भी शामिल हैं।

ou lqj{kk (वन प्रबंधन योजना संचार तंत्र)

9.4 वनों में आग, अवैध कटान एवं अतिक्रमण का खतरा बना रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उचित स्थानों पर चैकपोस्ट स्थापित किए जाएं ताकि लकड़ी के अवैध व्यापार पर रोक लगाई जा सके तथा उन सभी वन मण्डलों में जहां आग एक विध्सवंसक तत्व है अग्नि शमन उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध करवाई जाए। वनों के अच्छे प्रबन्धन एवं सुरक्षा के लिए भी एक अच्छे संचार तंत्र की आवश्यकता है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में संशोधित राशि `57.26 लाख का प्रावधान (अनुसूचित जन–जाति तथा गैर अनुसूचित जन–जाति) राज्य योजना स्कीम के तहत किया गया था जिसका मार्च, 2013 तक पूर्ण व्यय कर लिया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए `67.50 लाख का प्रावधान राज्य योजना स्कीम के तहत प्रस्तावित है जिसमें से `12.07 लाख सितम्बर,2013 तक व्यय कर लिये गए हैं तथा शेष राशि 31.3.2014 तक व्यय की जानी अपेक्षित है। आगामी वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए `63.00 लाख रूपए का बजट राज्य योजना स्कीम में प्रस्तावित है।

स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबन्धन ifj;kstuk

9.5 स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना, ऊना स्वां नदी जलग्रहण क्षेत्र में जापान अंतराष्ट्रीय सहकारी एजैंसी की सहायता से जिला ऊना में कार्यान्वित की जा रही है जिसमें 22 उप–जलागम कमेटियां 619 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 96 पंचायतों को परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों/क्रियाकलापों को पूर्ण करने हेतु चयनित किया गया है। इस योजना की लागत 85 प्रतिशत ऋण तथा 15 प्रतिशत राज्य हिस्सा जिसमें स्टाफ को बेतन तथा कर इत्यादि के रूप में निर्धारित की गई है। आरम्भ में यह योजना वर्ष 2006–07 से 2013–14 तक 8 वर्षों के लिए बनाई गई थी तथा परियोजना व्यय `160.00 करोड़ रखा गया था। अब सूक्ष्म योजना स्तर पर क्रियान्वित करने तथा वर्ष 2011 में योजना पर अर्धवार्षिक तथा मध्यावधि समीक्षा एवं मूल्यांकन की सिफारिशों के अनुसार यह योजना (2006–07 से 2014–15) तक 9 वर्षों के लिए `215 करोड़ की संशोधित की गई है। योजना के अन्तर्गत 96 ग्राम पंचायत विकास समितियों का गठन एवं पंजीकरण हुआ है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए `3,500.00 लाख रूपए स्वीकृत किए गए थे जिसके विरूद्ध मार्च, 2013 तक `3,500.29 लाख व्यय किए गए। चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए `4,500.00 लाख रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है जिसमें से 30.09.2013 तक तथा `2,282.44 लाख व्यय किए जा चुके हैं तथा शेष राशि 31.3.2014 तक व्यय की जानी अपेक्षित है। आगामी वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ` 2,200.00 लाख का अनुमानित बजट निर्धारित किया गया है।

विष्व बैंक की सहायता से मध्य हिमालय के विकास की परियोजनाः

9.6 हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना प्रदेश में 1.10.2005 से शुरू की गई। यह योजना 6 वर्षों के लिए है जिस की कुल लागत `365 करोड़ है। परियोजना की लागत विश्व बैंक एवं राज्य सरकार द्वारा 80:20 के आधार पर वहन की जाएगी एवं परियोजना की लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थियों द्वारा उठाया जाएगा। अब `231.25 करोड़ की एक नई परियोजना मिड हिमालयन जलागम विकास परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता के नाम से वर्ष 2015–16 तक स्वीकृत की गई है। यह योजना अब 704 पंचायतों में कार्यरत है जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों में आई कमी को पूरा करना, प्राकृतिक सम्पदा की संभावित उर्वरता को बढ़ाना तथा योजना–क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की आय में वृद्धि करना है। गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान इस कार्य हेतु ` 3,500.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसका मार्च, 2013 तक पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए ` 7,000.00 लाख रूपए की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसके विरूद्व माह सितम्बर,2013 तक `1,951.18 लाख व्यय कर लिए गए हैं तथा शेष धनराशि 31.3.2014 तक व्यय करनी अपेक्षित है। आगामी वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सरकार ने `4,000.00 लाख का बजट प्रस्तावित है।

पर्यावरण

वर्ष 2013–14 के अंतर्गत विभाग की महत्वूपर्ण उपलब्धियां तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्रमुख नीतिगत कार्ययोजनाओं का विवरण निम्नलिखित हैः–

साईंस लर्निंग एवं क्रियेटिविटी केंद्र की स्थापना

9.7 प्रदेश में किसानों व आम लोगों का विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करवाने के उद्देश्य या उद्देश्य से साईंस लर्निंग एवं क्रियेटिविटी केंद्र की स्थापना की जाएगी।

पर्यावरण नीति में संषोधन

9.8 वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण नीति का पुनः विवेचन तथा पुनगर्ठन किया जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन पर राज्य की नीति एवं कार्य योजना

9.9 जलवायु परिवर्तन पर राज्य की नीति एवं कार्ययोजना को अनुकूल बनाने और शमन करने संबंधी रणनीति के अंश व भाग के रूप में अंतिम रूप दिया गया है तथा यह राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित है। इस परियोजना के अंतर्गत् विभिन्न नीतियों को कार्यान्वित किया जाएगा।

राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र

9.10 राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के आधारभूत ढांचे को और अधिक मजबूत किया जा रहा है ताकि यह राज्य को जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान बारे आवश्यक जानकारी प्रदान कर सके। वर्ष 2014–15 में प्रदेश की जनता के जीवन यापन से संबंधित व्यवसायों जैसे कृषि एवं बागवानी पर जलवायु परिवर्तन के

संभावित प्रभावों से संबंधित शोध राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा किया जाएगा।

विकास नीति ऋण(डी.पी.एल.)/ भारत सरकार से अनुदान

9.11 हिमाचल प्रदेश सरकार को हरित एवं सतत विकास के लिए भारत सरकार के सहयोग से विश्व बैंक से 100 मिलियन यू.एस.डॉलर का विकास नीति ऋण प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार को सतत आर्थिक हरित विकास के एक मॉडल की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव करना होगा। इस कार्यक्रम के विस्तार और आर्थिक हरित विकास की दिशा में स्थानान्तरित करने के लिए विश्व बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए भी योजना के अंतर्गत 100 मिलियन यू0एस0 डालर का विकास नीति ऋण प्राप्त होना प्रस्तावित है।

पर्यावरण मास्टर प्लान

9.12 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान प्रभावी रूप से राज्य के संवेदनशील पर्यावरण प्रबंध के लिए पर्यावरण मास्टर प्लान दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस योजना के अंतगर्त 2014–15 में खण्डीय दिशा निर्देशों को अपनाया तथा लागू किया जाएगा।

स्कूल पर्यावरण ऑडिट

9.13 वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य परिषद प्रदेश में 100 ईकों क्लबों को विभिन्न संसाधनों जैसे पानी, ऊर्जा, भूमि, बेकार पदार्थों और वायु का ऑडिट करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंतगर्त विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्रस्तावित प्रमुख नीतिगत कार्य योजनाओं का विवरण निम्नलिखित हैः–

सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का वैव आधारित निगरानी एवं मूल्यांकन

9.14 राज्य सरकार त्वरित निर्णय लेने और प्रशासनिक गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकारी संसाधनों का जी.आई.एस. तकनीक के उपयोग को बढ़ाने में कर रही है। इस प्रकार की निगरानी एवं मूल्यांकन से सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी आएगी तथा कार्यक्रमों का और अधिक विस्तार होगा। पिछले एक वर्ष से (वर्ष 2013–14) राज्य सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और गतिविधियों के अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए डेस्कटॉप और वेब आधारित अनुप्रयोगों का विकास और स्थानिक और भू–स्थानीक प्रौद्योगिकियों के उपयोग की सुविधा आर्यभटट जियो–इंफॉर्मेटिक्स एण्ड स्पेस एप्लीकेशन सैंटर (AGISAC) के तकनीकी सहयोग से राज्य के सभी प्रमुख विभागों को जोड़ा जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नीति तैयार करना

9.15 पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान ने हिमाचल प्रदेश के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति प्रारूप तैयार किया है जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का कार्यान्वयन निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु पूरा किया जाएगाः–

(क) असमानता को कम करना।

(ख) निर्भरता को कम करना तथा
(ग) प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार क्षेत्र में उपयोग

जैव प्रौद्योगिकी नीति का परिशोधन

9.16 राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेती प्रणाली में प्रभावी तकनीक एवं कौशल लाने की दिशा में जैव प्रौद्योगिकी नीति दस्तावेज का पुनर्गठन किया जा रहा है। यह जैव प्रौद्योगिकी मानव संसाधन के विकास के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करेगी कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हो।

(क) इस संदर्भ में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शिमला में किया गया और सुझावों को जैव प्रौद्योोगिकी नीति के रूप में समावेश किया गया।
(ख) इसके उपरान्त एक कार्यशाला बद्दी में भी आयोजित की जा रही है ताकि जैव प्रौद्योगिकी संस्थाओं के सुझावों का भी समावेश किया जा सके।

हि0 प्र0 राज्य जैव विविधता बोर्ड

9.17 हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जैव विविधता अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन को मजबूत बनाने और राज्य में पायलट आधार पर प्रावधानों को सांझा करने के लिए GEE-UNEP-MoEF परियोजना को लागू किया जा रहा है।

बर्फ तथा ग्लेश्यिर के खतरों की निगरानी

9.18 विभाग 2014–15 में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए हिमखण्डों, झीलों की निगरानी के अतिरिक्त बर्फ, हिमखण्डों एवम् नदियों के कटिबन्ध और उनसे उत्पन्न खतरों का अध्ययन करेगा।

10- ty L=ksr izcU/ku

is;ty

10.1 जल प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के समस्त जनगणना गांवों को मार्च,1994 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। 1–04–2009 में राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति निर्देशों के लागू होने से एवं बस्तियों के मानचित्रण के अनुसार राज्य में कुल 53,205 बस्तियां चिन्हित हुई जिसमें से 19,473 बस्तियों (7,632 बस्तियॉ जो शून्य प्रतिशत से अधिक तथा सौ प्रतिशत से कम लाभान्वित जनसंख्या वाली तथा 11,841 बस्तियां शून्य प्रतिशत जनसंख्या व्याप्ति वाली बस्तियां) चिन्हित हुई जहां पर पेयजल सुविधायें अपर्याप्त हैं। बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु मापदण्ड बस्तियों की जगह जनसंख्या पर आधारित हैं। विभिन्न राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार ने राज्यों को 1.04.2009 तक डाटा अपडेशन का आंकलन करने के निर्देश दिये थे। वर्ष 2013 के डाटा अपडेशन के आंकलन के अनुसार 1–04–2013 को इन बस्तियों की स्थिति नीचे दी गई हैः–

बस्तियों की संख्या	बस्तियां जिनमें शत–प्रतिशत जनसंख्या को लाभान्वित किया गया	ऐसी बस्तियां जिनकी जनसंख्या >0 and <100 सम्मिलित किया गया
53,604	29,911 (55.80%)	23,693 (44.20%)

वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल 2,500 बस्तियों जिनमें 1,250 बस्तियों को राज्य भाग के अन्तर्गत तथा 1,250 बस्तियों को केंद्रीय क्षेत्र में पूर्ण एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए राज्य एवं केंद्रीय परिव्यय का भाग क्रमशः ` 170.48 करोड़ एवं ` 161.27 करोड़ रखा गया है। अक्तूबर 2013 तक कुल ` 121.47 करोड़ जिसमें `80.49 करोड़ राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत तथा `40.98 करोड़ केन्द्रीय भाग के रूप में परिव्यय करके 1,498 बस्तियां जिसमें कि 1,340 बस्तियां केन्द्रीय क्षेत्र एवं 158 राज्य क्षेत्र को नवम्बर,2013 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

हैण्डपम्प कार्यक्रम

10.2 सरकार द्वारा प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम में पेयजल की कमी के चलते हैण्डपम्प लगाने का कार्य निरन्तर चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 2013 तक प्रदेश में कुल 28,894 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं। वर्ष 2013–14 में प्रदेश में कुल 2,000 हैण्डपम्प लगाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके अन्तर्गत नवम्बर,2013 तक 1,305 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं तथा शेष 695 लक्षित हैंडपम्पों को मार्च,2014 तक स्थापित कर लिया जायेगा।

शहरी पेयजल कार्यक्रम

10.3 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 51 शहरों की पेयजल योजनाओं का

रख–रखाव सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। इनमें से 47 शहरों की पेयजल योजनाओं का कार्य मार्च, 2013 तक पूर्ण कर लिया गया है। हमीरपुर, सरकाघाट, धर्मशाला, कांगड़ा, नगरोटा बगवां, मण्डी, कुल्लू, मनाली, रामपुर तथा नाहन शहरों की पेयजल योजनाओं का सम्बर्धन राज्य तथा UIDSSMT कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 में कुल में कुल `13.53 करोड़ योजना के सम्वर्धन के कार्य के लिये रखे गये हैं जिसके अन्तर्गत अक्तूबर, 2013 तक कुल `1.82 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं।

flapkbZ

10.4 कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई का विशेष महत्व है। कृषि उत्पादन प्रक्रिया में पर्याप्त तथा समय पर सिंचाई की पूर्ति की जरूरत उन क्षेत्रों में है जहां वर्षा बहुत कम तथा अनियमित होती है। कृषि योग्य भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता इसलिए उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए बहुविध फसलों तथा प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक फसल पैदावार उगाने के लिए सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य योजना में सिंचाई की संभावना तथा उसके अनुकूल उपयोग के सृजन पर विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

10.5 हिमाचल प्रदेश के कुल 55.67 हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 5.83 लाख हैक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। यह अनुमान लगाया जाता है कि राज्य की सिंचाई की क्षमता लगभग 3.35 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 0.50 लाख हैक्टेयर मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है तथा शेष 2.85 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है। अब तक 2.57 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

10.6 राज्य में कांगड़ा जिलें में शाहनहर परियोजना ही एकमात्र मुख्य सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना का कार्य कर लिया गया है तथा इसके अन्तर्गत 15,287 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में चार मध्यम परियोजनाओं का कार्य आरम्भ किया गया। यह चार परियोजनायें बल्हघाटी मध्यम सिंचाई परियोजना (सी.सी.ए. 2,780 हैक्टेयर), सिधाथा मध्यम सिंचाई परियोजना (सी.सी.ए. 3,150 हैक्टेयर), फीना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना (सी.सी.ए. 4,025 हैक्टेयर) तथा नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना (सी.सी.ए. 6,471 हैक्टेयर) के अन्तर्गत लाया जाएगा।

वर्ष 2013–14 में योजना–वार निम्न उपलब्धियां प्राप्त की गईः–

eq[; rFkk e/;e flapkbZ ifj;kstuk,a

10.7 वर्ष 2013–14 में `9,100.00 लाख के प्रावधान से 1,500 हैक्टेयर मुख्य एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत् क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत अक्तूबर, 2013 तक `128.46 करोड़ व्यय किए गए।

लघु सिंचाई

10.8 वर्ष 2013–14 में राज्य सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत 3000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान

करने के लिए `13,849.00 लाख का बजट प्रावधान किया है। अक्तूबर, 2013 तक 1,842 हैक्टेयर क्षेत्र भूमि को `138.18 लाख व्यय करके सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है।

dekaM fodkl dk;Zdze

10.9 वर्ष 2013–14 के दौरान `2,000.00 लाख जिसमें केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है, शाहनहर परियोजना के अंतर्गत 5,000 हैक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल तथा बाराबन्दी का प्रावधान है। अक्तूबर,2013 तक 300 हैक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल तथा 1,367 हैक्टेयर बाराबन्दी के अंतर्गत लाया जा चुका है।

ck<+ fu;U=.k

10.10 वर्ष 2013–14 में 500 हैक्टेयर भूमि में बाढ़ नियंत्रण कार्य के अंतर्गत लाने के लिए `4,942.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। अक्तूबर, 2013 तक की अवधि में 455 हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया है तथा इस पर `554.05 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

11. उद्योग एवं खनन

उद्योग

11.1 हिमाचल प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत सरकार द्वारा दिए गए विशेष पैकेज के कारण प्रदेश में औद्योगिकरण का एक नया युग शुरू हुआ है।

11.2 प्रदेश में 31.12.2013 तक 39,819 औद्योगिक इकाईयां स्थाई तौर पर पंजीकृत हुई है जिसमें लगभग `17,339.89 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है और 2,78,528 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुए हैं। इसमें 494 बड़े एवं मध्यम स्तर के उद्योग शामिल है।

औद्योगिक क्षेत्र/ सम्पदा

11.3 राज्य में औद्योगिक आधारभूत ढांचा के सुधार हेतु भूमि अधिग्रहण एवं विकास के लिए 31.12.2013 तक `12.80 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही `4.45 करोड़ की शेष राशि भी व्यय की जाएगी।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा तीन अत्याधुनिक (State of the art) औद्योगिक क्षेत्र जिला कांगड़ा, ऊना एवं सोलन में स्थापित किया जाना है तथा विभाग द्वारा दो अत्याधुनिक (State of the art) औद्योगिक क्षेत्र कन्द्रोरी, जिला कांगड़ा एवं पंडोगा, जिला ऊना के विकास हेतु परियोजना प्रस्ताव परिवर्तित औद्योगिक अधोसंरचना प्रोन्नति योजना के अंतर्गत वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग भारत सरकार को प्रस्तुत किया है जिनका वित्तीय संसाधन विवरण निम्न है:–

(` करोड़ में)

मदद	कन्द्रोरी (जिला कांगड़ा)	पंडोगा (जिला ऊना)
भारत सरकार से सहायता राशि	` 50.00	` 50.00
राज्य कार्यान्वयन अभिकरण/ राज्य सरकार का भाग	` 26.74	` 39.20
लाभार्थी उद्योग अंशदान/ ऋण	` 30.24	` 22.80
कुल योग	**`106.98**	**`112.00**

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पी.एम. ई.जी.पी.)

11.4 विभाग द्वारा 31.12.2013 तक इस योजना के अंतगर्त आंवटित 649 लक्ष्यों के विरूद्व 750 मामले/ आवेदन विभिन्न बैंकों को प्रायोजित किए गए जिसमें से 266 मामलों में `354.40 लाख की अतिरिक्त अनुदान राशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा इनमें से 127 मामलों में प्रार्थियों को `199.25 लाख अतिरिक्त अनुदान राशि वितरित कर 403 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

राज्यों को निर्यात उद्योग के अधोसंरचना एवं सहबद्व गतिविधियों के विकास हेतु सहायता(एएसआइडीई)

11.5 राज्य घटक

इसके अंतर्गत शेष `117.50 करोड़ विभाग के पास था तथा वर्ष 2013–14 में भारत सरकार से इसके अंतर्गत `527.00

करोड़ अनुदान राशि प्रदेश को प्राप्त हुई जिसमें से `209.32 करोड़ विभिन्न अनुमोदित कार्यों पर व्यय किये गये तथा शेष राशि `435.18 करोड़ उन कार्यों पर व्यय किए जाएंगे जिसकी अनुमोदन स्वीकृति राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति द्वारा प्रदान की जाएगी।

केन्द्रीय घटक

इसके अंतर्गत वर्ष 2013–14 में भारत सरकार द्वारा तीन परियोजनाएं जिला ऊना, सोलन तथा सिरमौर को जिनकी लागत `41.91 करोड़ है, के लिए केन्द्र सरकार ने `36.47 करोड़ अनुदान के रूप में स्वीकृत किए हैं।

रेशम उद्योग

11.6 रेशम उद्योग राज्य का एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है जिससे लगभग 9,200 ग्रामीण परिवारों को रेशम कोकून उत्पाद से लाभकारी रोजगार प्राप्त हो रहा है। 9 रेशम के धागे की रीलिंग यूनिट निजि क्षेत्र में एक जिला कांगड़ा एवं बिलासपुर में तीन तथा हमीरपुर, मण्डी एवं, ऊना में एक–एक यूनिट सरकार की सहायता से स्थापित की गई है। 31 दिसम्बर, 2013 तक 191.77 मीट्रिक टन रेशम के कोकून का उत्पादन किया गया है जिनमें से 24.19 मी0टन कच्चे रेशम में परिवर्तित कर राज्य को बिक्री कर से `654. 00 लाख की आय प्राप्त हुई है। रेशम कोकून का प्रत्याशित उत्पादन 192 मीट्रिक टन तथा परिवर्तित कच्चा रेशम 24.25 मी0 टन रहेगा।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प

11.7 एकीकृत हथकरघा विकास योजना के कलस्टर एप्रोच घटक के अतर्गत तीसरे चरण में योजना के कार्यन्वयन हेतु `28,305 लाख केन्द्रीय भाग व `1.55 लाख राज्य भाग के रूप में जंजैहली (मण्डी), ज्वाली (कांगड़ा), व चम्बा के तीसा के लिए हथकरघा कलस्टर के 1,394 हथकरघा बुनकरों को लाभान्वित करने हेतु राशि जारी की गई। भारत सरकार द्वारा एक और हथकरघा कलस्टर बिलासपुर के घुमारवीं में `56.35 लाख की परियोजना के लिए स्वीकृत किए गए जिसमें 300 बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए `16.15 लाख की प्रथम किस्त जारी की गई।

योजना के मार्कटिंग इन्सेंटिव घटक के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल `143.79 लाख में से `107.50 लाख राज्य सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इनसे प्रदेश की 60 हथकरघा एजेंसियों के 13,000 हथकरघा बुनकरों को लाभान्वित किया गया है।

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना

11.8 वित वर्ष 2013–14 में दिसम्बर,2013 तक राज्य के 1,850 हथकरघा बुनकरों को इस योजना के अधीन लाया गया है।

स्वास्थ्य बीमा योजना

11.9 वर्ष 2013–14 में दिसम्बर,2013 तक राज्य के 4,000 हथकरघा बुनकरों को इस योजना के अधीन लाया गया है।

विपणन एवं निर्यात संबर्धन योजना

11.10 इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने वर्ष 2013–14 में दिसम्बर,2013

तक हिमाचल प्रदेश राज्य राज्य के हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम व हिमबुनकर कुल्लू को 10 प्रदर्शनियां लगाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की।

खनन

11.11 खनिज प्रदेश के आर्थिक आधार का एक मुख्य तत्व है। उत्तम किस्म का चूना पत्थर जो कि पोर्टलैंड़ सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक पदार्थ है, यहां प्रचूरता में उपलब्ध है। वर्तमान में छः सीमेंट प्लांट जिनमें दो इकाईयां ए0सी0सी0 बरमाणा, जिला बिलासपुर, दो इकाईयां अम्बुजा, कशलोग जिला सोलन, एक इकाई मै0 जे0पी0 उद्योग वागा भलग तथा एक इकाई मै0 सी0सी0आई0 राजबन, जिला सिरमौर में चल रही है। अन्य तीन सीमेंट संयंत्र सुन्दरनगर जिला मण्डी मै0 हरीश सीमेंटस (ग्रासिम), गुम्मा रूहाना, जिला शिमला, इण्डिया सीमेंट लि0, अलसींडी, जिला मण्डी, लफार्ज इण्डिया लि0 चल रहे हैं तथा तदनुसार खनन पटटों को उनके पक्ष में प्रदान किया गया है। बरोह सिन्ड, जिला चम्बा के लिए सरकार ने बड़े सीमेन्ट प्लांट लगाने के लिए मै0 जे.पी.इण्डस्ट्रीज के साथ एम.ओ. यू. हस्ताक्षरित कर दिया है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने संभावित लाईसैंस भी कम्पनियों को जारी किए हैं ताकि अन्य गौण खनिजों के साथ जमा खनिजों की गुण एवं मात्रा का पता लगाने के लिए गहन अध्ययन किया जा सकें। यह लाईसैंस मै0 ऐसोसिएटिड सीमेन्ट कम्पनी धारा बड़ू, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, मै0 डालमियां सीमेन्ट, गांव/ मौजा करियाली–कोठी–साल–वाग, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0, मै0 अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटिड, चलयान तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0प्र0, श्रीयुत रिलायंस संगरोठी, थांगर, कुरा खेरा, पॉली खेरा, कंडल तहसील चौपाल जिला शिमला, हि0प्र0 को दिए गए।

अन्य खनिज जिनका प्रदेश में वाणिज्यक दोहन किया जा सकता जैसे शेल, बेराईटस, रॉक सॉल्ट, सिल्का सैड, भवन सामग्री जैसे कि सैंडस्टोन, रेत व बजरी और इमारती पत्थर इत्यादि भी प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। उद्योग विभाग की भौमकीय शाखा द्वारा खनिजों के दोहन के लिए खनिज रियायतें दिए जाने के अतिरिक्त भू–तकनीकी अन्वेषण प्रदेश में व्याप्त खनिजों के सर्वेक्षण, प्रदेश में बनाई जा रही सड़कों और पुलों का भौमकीय अध्ययन एवं भू–पर्यावरण संबधित अध्ययन इत्यादि करना है।

वर्ष 2012–13 के दौरान खनन से प्रदेश को `147.90 करोड करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। वर्ष 2013–14 में (नवम्बर,2013 तक) `72.24 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है जबकि इस वित्तीय वर्ष में अनुमानित `130.00 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

i) **नए खनन के पटटे प्रदान करनाः** विभाग ने वर्ष 2012–13 में 3 खनन पटटे मुख्य खनिज पटटा गौण खनिजों के प्रदान किए है तथा वर्ष 2013–14 में (नवम्बर,2013 तक) एक उत्खनन अनुज्ञप्ति मुख्य खनिज के प्रावधानों के अंतर्गत तथा 2 खनन पटटे गौण खनिजों के स्वीकृत किए हैं।

ii) **भू–तकनीकी अन्वेषणः** विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 में बनाए जा रहे पुलों, सड़कों, बड़े–बड़े भवनों, भू–स्खलन इत्यादि की नींव संबंधी क्षेत्रों में भौमकीय अध्ययन उपरांत 12 भू–तकनीकी अन्वेषण रिपोर्टस इस्तेमाल करने वाली एजेंसियों को भेजी गई है तथा 2013–14 में (नवम्बर,2013 तक) 21 भू–तकनीकी अन्वेषण रिपोर्टस इस्तेमाल करने वाली एजेंसियों को भेजी गई है।

12. श्रम और रोजगार

रोजगार

12.1 2011 जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 30.05 प्रतिशत मुख्य कामगार, 21.81 प्रतिशत सीमांत कामगार तथा शेष 48.15 गैर कामगार थे। कुल कामगारों (मुख्य+सीमांत) में से 57.93 प्रतिशत काश्तकार, 4.92 प्रतिशत कृषि श्रमिक, 1.65 प्रतिशत गृह उद्योग इत्यादि तथा 35.50 प्रतिशत अन्य गतिविधियों में कार्यरत थे। राज्य में 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों, 9 जिला रोजगार कार्यालयों, 2 विश्वविद्यालयों में रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र और 55 उप–रोजगार कार्यालय, विकलांगों के लिए निदेशालय में एक विशेष रोजगार कार्यालय, एक केन्द्रीय रोजगार कक्ष निदेशालय में जो पूरे प्रदेश के आवेदकों तथा नियोक्ताओं की सेवा में कार्य कर रहे हैं। सभी 67 रोजगार कार्यालयों को कम्प्यूटराईज किया जा चुका है तथा 63 रोजगार कार्यलय ओन लाईन है बाकि 04 रोजगार कार्यालयो को शीघ्र ही औन लाईन किया जा रहा है। नैशनल इन्फार्मैटिक्स सैन्टर, हि0 प्र0 द्वारा सौफटवेयर विकसित करवाया जा रहा है जिसके द्वारा पंजीकरण, पुनः पंजीकरण के नवीकरण की सुविधा (रोजगार कार्यालयों के साथ–साथ) प्रदेश के 3,366 लोक मित्र केन्द्रों के माध्यम से भी प्राप्त होगी।

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम

12.2 वर्ष 1960 से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार आंकड़े जिला स्तर पर एकत्र किए जा रहे हैं। प्रदेश में 31.12.2012 तक सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कामगारों की संख्या 2,72,037 व निजी क्षेत्र में कामगारों की संख्या 1,37,051 तथा सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 4,141 व निजी क्षेत्र में कुल 1,630 नियोक्ता हैं।

व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्र

12.3 श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीन इस समय चार व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं जिनमें से एक निदेशालय में स्थित राज्य व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्र तथा शेष तीन केन्द्र क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, मण्डी व धर्मशाला में स्थित है। इसके अतिरिक्त दो विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो पालमपुर व शिमला में स्थित हैं। इन केन्द्रों द्वारा रोजगार के संदर्भ में आवेदकों को उचित व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। प्रदेश में कई शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक मार्गदर्शन संबंधी कैम्पों का आयोजन भी किया जाता है। दिनांक 1.4.2013 से 30.11.2013 तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 200 कैम्प आयोजित किए गए।

केन्द्रीय रोजगार कक्ष

12.4 हिमाचल प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत एवं लगाई जा रही औद्योगिक इकाईयों, संस्थानों के लिए तकनीकी तथा उच्च कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में स्थित केन्द्रीय रोजगार कक्ष हमेशा की तरह वर्ष 2013–14 में भी अपनी सेवाएं अर्पित करता रहा है। इस प्रकार इस योजना द्वारा एक ओर रोजगार इच्छुक लोगों को उनकी योग्यता व अनुभव के अनुसार निजी क्षेत्र में उचित रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है तथा दूसरी ओर नियोक्ता बिना धन व समय बर्बाद किए उचित लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के दौरान नवम्बर,2013 के अंत तक निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की कुल 96 रिक्तियां अधिसूचित की गई। प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न प्रकार के व्यवसाओं में कुशल वर्ग सहित 1,100 आवेदकों को सम्प्रेषित किया गया। दिनांक 30.11.2013 के अन्त तक प्रदेश के निजी क्षेत्र की विभिन्न औघोगिक इकाईयों में कुल 14 रोजगार के इच्छुक आवेदकों को नौकरी पर लगाया गया। 01.4.2013 से 30.11.2013 तक इस कक्ष के माध्यम से 120 कैम्पस साक्षात्कार करवाए गए, जिसमें 1,608 आवेदकों की नियुक्तियां की गई। केन्द्रीय रोजगार कक्ष ने राज्य में रोजगार मेलों का आयोजन भी किया जिसमें 01–04–2013 से 30–11–2013 तक 8 रोजगार मेलों का आयोजन किया जिसमे 3,001 प्रार्थियों को राज्य के विभिन्न उद्योगों में रोजगार दिया गया।

विषेष रोजगार कार्यालय (अपंगों हेतु)

12.5 सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोजगार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोजगार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी (स्थापना) के अधीन वर्ष 1976 से विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों हेतु) की स्थापना की गई। यह कक्ष अपंग आवेदकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार दिलवाने में सहायता करता है। समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधायें/रियायतें दी गई हैं जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा, ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, ऊपरी अंगों की (हाथ तथा बाजू) अपंगता होने पर टंकण करने की छूट, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में 3 प्रतिशत का आरक्षण, महिलाओं के लिए खोले गये औघोगिक प्रशिक्षण संस्थान (गर्ल्ज) आई.टी.आई, सिलाई तथा कटाई केन्द्र (टेलरिंग सेन्टर) में 5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण तथा 200 रोस्टर प्वांईट में आरक्षण का निर्धारण जो कि पहला, 30वां, 73वां, 101वां, 130वां, 173वां है। (पहला व 101वां दृष्टिहीनों के लिए 30वां तथा 130वां गुंगे–बहरों के लिए 73वां तथा 173 लोकोमोटर अपंगता वालों के लिए है) वर्ष 2013–14 के दौरान 1.4.2013 से 30.11.2013 तक सक्रिय पंजिका में 1,503 विकलांगों को पंजीकृत करके विकलांग पंजीकृतों की संख्या 17,026 हो गई है। 16 अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है।

श्रमिक कल्याण उपाय

12.6 बन्धुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत राज्य सरकार ने जिला सतर्कता समितियां तथा उप–मण्डल सतर्कता समितियों का गठन बन्धुआ मजदूर प्रणाली के कार्यान्वयन एवं मोनिटरिंग के हेतु किया गया है। बन्धुआ मजदूर प्रणाली तथा अन्य सम्बन्धित अधिनियमों पर स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट पर आधारित राज्य

स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने औद्योगिक झगड़े निपटाने के लिए दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण स्थापित किये हैं जिसमें से एक का मुख्यालय शिमला में है, जिसका कार्य क्षेत्र जिला शिमला, किन्नौर, सोलन व सिरमौर है तथा दूसरा धर्मशाला में है, जिसका कार्य क्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लू एवं लाहौल–स्पिति है। श्रम न्यायलयों एवं औद्योगिक अधिकरणों के पीठासीन अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायधीश नियुक्त किये गए हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं बीमा योजना

12.7 राज्य कर्मचारी बीमा योजना सोलन, परवाणु, बरोटीवाला, नालागढ़, बद्द्दी जिला सोलन, मेहतपुर, गगरेट, बाथरी जिला ऊना, पांवटा साहिब, काला अम्ब जिला सिरमौर, गोलथाई जिला बिलासपुर, मण्डी, नैर चौक, भंगरोटू, चक्कर व गुटकर, रती जिला मण्डी, औद्योगिक क्षेत्र शोघी व शिमला नगर–निगम क्षेत्र जिला शिमला में लागू हैं। लगभग 4,510 संस्थानों में 2,12,210 बीमा कामगार/ कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत दिनांक 30.11.2013 तक पंजीकृत किए गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 30.11.2013 तक 7,718 संस्थानों में कार्यरत 9,08,525 कामगारों को लाया गया। ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1,926 के अन्तर्गत दिनांक 30.11.2013 तक 1,246 ट्रेड यूनियनज पंजीयक ट्रेड यूनियन एवं श्रम आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत 715 रिर्पोट प्राप्त हुई है और निर्याणक कार्यवाही पूर्ण की गई है जिसके परिणामस्वरूप, 235 औद्योगिक विवाद श्रम न्यायालय व न्यायियक प्राधिकरणों द्वारा अधिनिर्णित करने हेतु अधिसूचित किए गए जबकि 620 औद्योगिक विवाद अधिनिर्णय अस्वीकार किए गए।

औद्योगिक सम्बन्ध

12.8 प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों में विकास होने से औद्योगिक सम्बन्धों के गतिविधियों को काफी महत्व प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में औद्योगिक झगडों को निपटाने व औद्योगिक शान्ति को बनाये रखने के लिये एक समाधान मशीनरी कार्यरत है। समझौता अधिकारी के कार्य, संयुक्त श्रमायुक्त, उप–श्रमायुक्त, श्रम अधिकारियों व श्रम निरीक्षको को सौंपे गये हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र अधिकार में यह कार्य देख रहे हैं। ऐसे मामलों में जहां समझौता अधिकारी किसी मान्य समझौते को करवाने में असफल रहते हैं, वहां उच्च अधिकारियों द्वारा निदेशालय स्तर पर हस्तक्षेप किया जाता है। कामगारों, श्रमिकों तथा जल–विघुत परियोजनाओं के प्रबन्धकों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक राज्य स्तरीय त्रिपक्षीय बोर्ड तथा परियोजना स्तर की त्रिपक्षीय समितियां प्रत्येक जिले में सम्बन्धित जिलाधीश की अध्यक्षता में गठित की है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक औद्यौगिक इकाई में जहां एक उद्योग में 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं एक समिति गठित की जाती है जिसमें श्रमिकों के तथा नियोजक के प्रतिनिधि सम्मलित होते हैं।

भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियम) अधिनियम, 1996 व उपकर अधिनियम, 1996

12.9 इस अधिनियम के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि मातृत्व/पैतृत्व लाभ, सेवानिवृति पैंशन, अपंगता पैंशन, दाह–संस्कार सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतू वित्तीय सहायता, बच्चों

एंव महिला कामगारों की स्वंय की शादी हेतू वित्तीय सहायता, महिला कामगार को साईकल प्रदान करने के प्रावधान किये गये हैं। औज़ार खरीदने और भवन निर्माण/खरीद हेतू ऋण का प्रावधान किया है। ऐसे संस्थान जहां पर 300 से अधिक भवन एंव सन्निर्माण कामगार कार्यरत हों, वहां पर बोर्ड ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण/किराए पर ले सकता है। बोर्ड भवन एंव सन्निर्माण कामगारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और जनश्री बीमा योजना के अर्न्तगत भी ला रहा है, ऐसे कामगार जो भवन एंव अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड के साथ पंजीकृत होंगे तथा कामगार अपनी सदस्यता अंशदान केवल `10/– प्रतिमाह निरन्तर देगा वह इन लाभों का पात्र होगा। इस के सम्बन्ध में सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का व्यय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण निधि से बोर्ड वहन करेगा। दिनांक 30–11–2013 तक 1,048 संस्थान, 45,683 लाभार्थी पंजीकृत किये गये हैं तथा लगभग `184/– करोड़ की धन–राशि उप–कर के रूप में हि0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के पास जमा हुई है।

कौशल विकास भत्ता योजना:

12.10 यह योजना हि0प्र0 सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए `100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। योजना का उद्देश्य हि0प्र0 के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढाने हेतू सहायता करना है। योजना के अन्तर्गत उन पात्र युवाओं, जो कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं को कौशल विकास भत्ता ` 1,000/– प्रतिमाह की दर से व 50 प्रतिशत स्थायी विकलांग आवेदकों को `1,500/– प्रतिमाह की दर से प्रशिक्षण के दौरान अधिकतम दो वर्ष तक देय है। योजना के लिए पात्रता हेतू आवदेक का :

1. हिमाचल प्रदेश का वास्तविक निवासी होना
2. बेरोजगार (न सरकारी और न निजी रोज़गार, न ही स्वरोजगार)
3. कम से कम 8वीं उतीर्ण
4. आयु 16 से लेकर 36 वर्ष से कम,
5. पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम
6. आवेदन की तिथि को हि0प्र0 के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकरण
7. देश में कहीं भी किसी भी कौशल विकास पाठ्यक्रम में नामांकन होना अनिवार्य है

भत्ता के लिए शामिल मिस्त्री, बढ़ई, लोहार, पलम्बर आदि के प्रशिक्षण हेतू शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आवदेकों की संख्या के आधार पर सभी जिलों को लाभार्थियों के लक्ष्य दिए गए हैं। कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 के कार्यान्वयन हेतू व इसके अन्तर्गत अधिक से अधिक पात्र आवेदकों को लाने हेतू विभाग लगातार प्रयासरत है और उसके लिए विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विभिन्न हिस्सेदारों/साझेदारों के साथ बैठकों का आयोजन किया जा रहा है तथा इस योजना का समाचार–पत्रों, फ्लैक्स बैनर/ होर्डिंग, रेडियो, पोस्टर, एस.एम.एस. व विभिन्न विभागों एवं निगमों के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 19.12.2013 तक कौशल विकास

भत्ता योजना के अर्न्तगत 24,585 धन–राशि वितरित कर दी गई है।
लाभार्थियो को ` 361.43 लाख की

13. विद्युत

13.1 आर्थिक विकास में विद्युत एक महत्वपूर्ण निवेश है। विद्युत का राजस्व उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है जिससे लोगों के रहन– सहन के स्तर में बढ़ावा मिला है।

13.2 हिमाचल को विस्तृत हाईड्रो विद्युत परियोजना का गौरव प्राप्त है। प्रारम्भिक जल, विज्ञान, तलरूप तथा भौमकीय अन्वेषणों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के पांच नदी क्षेत्रों यमुना, सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब से जल विद्युत उत्पादन का अनुमान बड़े, मध्यम, लघु व सूक्ष्म जल परियोजनाएं बना कर लगभग 23,000 मैगावाट आंका गया है। 8,432.47 मैगावाट विद्युत विभिन्न अभिकरणों द्वारा जल दोहन से तैयार की गई है जिसमें से 477.50 मैगावाट भी शामिल है जो हि.प्र. राज्य विद्युत परिषद द्वारा उत्पादित की गई है

जल स्त्रोत–वार अनुमानित विस्तृत सम्भाव्य उत्पादन क्षमता का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है।

सम्भाव्य क्षमता

नदी तट	**क्षमता**(मैगावाट)
यमुना	794
सतलुज	10,226
ब्यास	5,721
रावी	2,912
चिनाब	3,037
स्वयं चिन्हित / नये चिन्हित	310
कुल	**23,000**

13.3 राज्य सरकार ने बहुमुखी विद्युत उत्पादन नीति अपनाई है जिसे निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, केंद्र क्षेत्र तथा संयुक्त रूप में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। 23,000 मैगावाट विद्युत क्षमता का विवरण आगे तालिका में दर्शाया गया है।

कुल चिन्हित सम्भाव्य जल विद्युत क्षमता

(मैगावाट)

क.सं.	मद्द	राज्य क्षेत्र हि.प्र.रा.वि.प. लि./एच. पी.पी.सी. एल. (मैगावाट)	केन्द्रीय/ संयुक्त क्षेत्र/ हि.प्र.का हिस्सा (मैगावाट)	निजी क्षेत्र		
				5 मैगावाट से ऊपर (मैगावाट)	5 मैगावाट तक हिमउर्जा द्वारा	कुल (मैगावाट)
1	विद्युत क्षमता जो अभी तक दोहन की गई है	478	5,903	1,829	222	8,432
2	परियोजनाएं जो निष्पादनाधीन हैं	966	2,532	765	179	4,442
3	परियोजनाएं जो कार्यान्वयन स्तर पर हैं	1,285	66	866	365	2,582
4	परियोजनाएं जो अन्वेषणाधीन हैं	1,034	588	3,340	510	5,472
5	परियोजनाएं जो विवादित हैं	—	—	1,007	—	1,007
6	पर्यावरण संतुलन के कारण छोड़ी गई परियोजनाएं	20	—	735	—	755
7	परियोजनाएं जो आवंटित होनी हैं	—	—	310	—	310
	कुल	**3,783**	**9,089**	**8,852**	**1,276**	**23,000**

जल विद्युत नीति 5 मैगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाओ के लिए:

13.4 जल विद्युत के दोहन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत नीति बनाई गई है। इस विद्युत नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:–

i) 5 मैगावाट से अधिक की परियोजनाओं को निजि क्षेत्र के अन्तर्गत स्वतन्त्र रूप से विद्युत उत्पादकों को अन्तराष्ट्रीय स्तर की बोली द्वारा प्रतियोगिता के आधार पर आवंटन करने का प्रावधान किया गया है।

ii) हाल ही में प्रदेश सरकार ने जल विद्युत नीति के अनुसार (निजी क्षेत्र में बूट आधारित) विभिन्न परियोजनाओं को अन्तराष्ट्रीय स्तर की निविदायें आमंत्रित कर अपफ्रंट प्रीमियम की उच्चतम दर बोली के आधार पर करने का निर्णय लिया गया है उक्त परियोजनाओं के आंवटन से सरकार ने निःशुल्क बिजली की दरों में कोई परिर्वतन न करने का निर्णय लिया है। अर्थात् उक्त परियोजनाओं के स्थापित होने पर प्रदेश सरकार को 40 वर्षों में क्रमश; प्रथम 12 वर्षो तक (12+1) प्रतिशत अग्रिम 18 वर्षो में (18+1) प्रतिशत व अनुबन्ध अवधि के शेष 10 वर्षो में (30+1) प्रतिशत निशुल्क विद्युत निर्माणकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करवानी निर्धारित की गई हैं। जिसके आधार पर सरकार लगभग 1500 मै0 वा0 क्षमता की विभिन्न परियोजनाओं को निजी क्षेत्र के अन्तर्गत आंबटित करने हेतु प्रयासरत है।

iii) निर्माणकर्ताओं को सभी परियोजनाओं पर कुल परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत भाग स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु खर्च करने का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा तथा विकासात्मक कार्यो में खर्च की जाने वाली राशि उक्त परियोजना को ही वहन करनी होगी।

iv) सरकार पन विद्युत नीति–2008 की तर्ज पर दिनांक 30.11.2009 को अधिसूचना जारी की जिसके तहत प्रदेश में परियोजना प्रभावित क्षेत्रों व स्थानीय लोगों के हितों हेतू सभी परियोजनाओं में कुल उत्पादित बिजली का एक प्रतिशत भाग अतिरिक्त रूप से परियोजना प्रभावित क्षेत्रों व स्थानीय लोगों के कल्याण हेतू खर्च करने का प्रावधान सुनिश्चित किया है। सरकार द्वारा दिनांक 05.10.2011 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 1 प्रतिशत अतिरिक्त निशुल्क बिजली से प्राप्त राजस्व को परियोजना प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के स्थानीय लोगों को नगदी के रूप में परियोजना मे कुल जीवन काल तक उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

v) परियोजनाओं का संचालन समय, वाणिज्यिक रूप से उत्पादन शुरू होने से अग्रिम 40 वर्षों तक का होगा। उसके बाद परियोजनाएं बिना किसी कीमत के राज्य सरकार को वापिस देनी पड़ेगी।

vi) परियोजनाओं में दक्ष एवं सामान्य बेरोजगार हिमाचली मूल के हिमाचलियों के लिए परियोजना चलाने के लिए एवं रख–रखाव के लिए आवश्यक रूप से रोजगार देना जरूरी है। परियोजना में अगर शत–प्रतिशत रोजगार किन्हीं कारणों से हिमाचलियों को देना संभव न हुआ तो भी 70 प्रतिशत रोजगार देना अनिवार्य है।

vii) **कम से कम पानी का छोड़ना:**
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर सभी रन–ऑफ–द–रीवर स्कीमों में अनिवार्य रूप से न्यूनतम प्रवाह का 15 प्रतिशत हिस्सा उक्त नदी में हर समय छोड़ने का प्रावधान पर्यावरण, जल जीवों और स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के सरंक्षण हेतु किया गया है। परियोजना निर्माता को ऊपरलिखित न्यूनतम प्रवाह को नदी में छोड़ने व छोड़े गये जल प्रवाह को मापने हेतु उपयुक्त प्रबन्ध डाईवर्जन स्ट्रक्चर में करना अनिवार्य है।

viii) **उत्पादित बिजली का व्ययन:**
परियोजना निर्माता उत्पादित बिजली में से निशुल्क बिजली व अन्य का भुगतान करने के उपरान्त शेष बची बिजली का व्ययन अपनी इच्छानुसार करने हेतु मुक्त है।

ix) **परियोजना निर्माण हेतू र्निधारित मील पत्थरों का पुर्नगठन:**
परियोजनाओं का सुनियोजित ढंग से निर्माण करने हेतु सरकार ने परियोजनाओं के निर्माण को अधिक से अधिक वास्तविक बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर पुर्नगठित कर इस सन्दर्भ में मार्गदर्शित नीति को दिनांक 07.07.2012 को जारी किया है जिससे कि अतिरिक्त समय का प्रावधान किया गया है ताकि विभिन्न कारणों से अधर मे लटकी परियोजनाओं को पुनः रास्ते पर लाया जा सके।

x) **विद्युत क्षमता का बेहतर व अधिकरण उपयोग**
प्रदेश की कुल चिन्हित विद्युत क्षमता के बेहतरीन दोहन हेतु सरकार ने बहुचर्चित सलाहकारी फर्मों को सम्मिलित कर सभी नदियों में उपलब्ध कुल विद्युत क्षमता को बेहतरीन ढंग से दोहन करने का प्रयास किया है। जिससे नई विद्युत परियोजनाओं को चिन्हित करने व

पहले से चिन्हित परियोजनाओं की क्षमताओं का पुनः आकलन करना व मानचित्र पर हर प्रकार की विद्युत परियोजनाओं का एकीकरण करने का कार्य मै0 लेहमेयर इन्टरनेशनल (आई0) प्रा0 लि0 द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। तथा इस अध्ययन में परामर्शदाता के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार अभी तक चिन्हित 23,000 मैगावाट क्षमता को लगभग 27,000 मैगावाट तक बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है जिसकी पुष्टि सरकार की नई प्रस्तावित परियोजनाओं की संभाव्यता सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत है।

xi) **क्षमता की बढ़ौतरी**

वर्तमान में जल विद्युत परियोजनाओं से जल विद्युत का अधिकतम रूप से दोहन करने के सन्दर्भ में सरकार ने क्षमता बढ़ौतरी हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनके अनुसार परियोजना निर्माणकर्ताओं को क्षमता बढ़ौतरी के बदले में 20 लाख प्रति मैगावाट की दर से क्षमता बढ़ौतरी हेतु पेशगी व परियोजना से उत्पादित 3 प्रतिशत अतिरिक्त निःशुल्क बिजली देनी होगी।

xii) **परियोजना क्षेत्र में बदलाव**

प्रदेश सरकार ने परियोजनाओं को और अधिक सुदृढ़ व लाभप्रद बनाने हेतु परियोजनाओं के क्षेत्रों में जरुरी बदलाव लाने की स्वीकृति का प्रावधान 15.06.2010 से लागू कर दिया है।

xiii) **परियोजनाओं की प्रगति का आकलन वेब आधारित पद्वति के माध्यम से करना:**

प्रदेश सरकार ने परियोजनाओं को सुचारू रूप से सचांलन करने के उद्देश्य से उर्जा निदेशालय में एक बेब बेसड मोनिटिरिंग सिस्टम, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के संयोजन से स्थापित कर दिया है जो कि ऊर्जा निदेशालय (डी.ओ.ई.) की बेब साईट के माध्यम से प्रदेश में निर्मित/निर्माणाधीन सभी पन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति चरण दर का आकंलन करने की दिशा में एक कारगर कदम साबित होगा। उक्त सिस्टम ऊर्जा निदेशालय की बैबसाईट पर अन्य सम्बधित विभागों जैसे वन, हि0प्र0राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड एवं एजीसैक को परियोजनाओं से सम्बधित वन पर्यावरण और समाजिक जानकारी उपलब्ध करवााने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की सम्बधित नीति, दिशा निर्देश परियोजना बार अध्यतन स्थिति आदि, भी लोगों के नियत्रिंत क्षेत्र में उपलब्ध की गई हैं।

xiv) **स्थानीय क्षेत्र विकास हेतू निधिः**

स्थानीय विकास निधि के फण्ड को विभिन्न स्तरों तक बढा़ने के लिए सरकार ने दिनांक 05–10–2011 को स्थानीय क्षेत्र विकास निधि प्रबन्धन को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत का प्रावधान दिसम्बर,2006 में अधिसूचित किया है एवं महत्पूर्ण खर्चो को यह खाता वहन करेगा। सरकार ने परियोजना के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की पहुंच से विकास की उपलब्धी एवं परियोजना के शुरू होने के प्रभावों को जानने के लिए 10 विद्युत परियोजनाओं में हि0प्र0 एग्रो विश्वविद्यालय के द्वारा अध्ययन करवाया गया है। जिसकी अंतिम

रिपोर्ट जनवरी,2013 में प्रस्तुत कर दी गई है। इस अध्ययन से पता चलता है कि स्थानीय विकास निधि क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय विकास क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में कार्य किया है तथा किए गए कार्य के लिए उस क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या ने भी संतोष व्यक्त किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार ने परियोजना प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए नगर प्रोत्साहन योजना दिनांक 30–11–2009 को अधिसूचित की है जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक रूप से चालू हुई परियोजना की तिथि से अतिरिक्त निःशुल्क बिजली का एक प्रतिशत की दर से परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों के सुधार के लिए परियोजना के भाग के रूप में परियोजना के जीवनकाल तक दिया जाएगा।

क. निष्पादन से पूर्व की परियोजनाएंः

परियोजना स्थापित करने वालों को 5 मैगावाट से उपर की परियोजनाओं पर परियोजना की कुल लागत का कम से कम 1.5 प्रतिशत और 5 मैगावाट तक की परियोजनाओं के लिए एक प्रतिशत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तौर पर अंशदान देना होगा अगर वे चाहे तो इसके लिए उससे ज्यादा भी अंशदान दे सकते हैं। प्रारम्भिक तौर पर क्षेत्रीय विकास निधि डी.पी.आर. के आधार पर निकाली जाएगी। जिसे उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाना होगा। तथा परियोजना के सम्पूर्ण होने के पश्चात स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का अंशदान निर्धारित होगा।

ख) निष्पादन के बाद की परियोजनाएंः

परियोजना बनाने वालों को सभी तरह की क्षमता वाली परियोजनाओं से एक प्रतिशत मुप्त बिजली स्थानीय क्षेत्र विकास के तौर पर रॉयल्टी के रूप में देंगे जैसा कि सरकार के साथ कार्यान्वयन समझौता एवं प्रतिपूरक कार्यान्वयन समझौता हुआ है। राज्य को टैरिफ के रूप में देनी होगी। यह अतिरिक्त उर्जा सम्बन्धित राज्य को रॉयल्टी छूट के अतिरिक्त टैरिफ (आयात निर्यात शुल्क) के रूप में होगी। इस राजस्व को उर्जा निदेशालय जो नोडल एजैंसी है एक प्रतिशत मुप्त बिजली बिक्री के रूप में प्राप्त करके स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए प्रत्येक परियोजना से स्थानान्तरित करेगी। सरकार की अधिसूचना के उपरान्त स्थानीय विकास निधि के लिए एक प्रतिशत निधि पायलट परियोजना चमेरा चरण–III हि0प्र0 जल विद्युत परियोजना–213 मैगावाट से परियोजना पभावित क्षेत्रों के लिए पहले ही शुरू कर दी गई है तथा परियोजना के सम्पूर्ण काल तक जारी रहेगी। सरकार इस नीति को अन्य योजनाओं में भी लागू करने की प्रकिया में है।

ग) **समग्र प्रभाव निर्धारण अध्ययनः**

हिमाचल प्रदेश में मुख्य नदियों तथा उनकी मुख्य सहायक नदियों के ऊपर और जल–विद्युत परियोजनाओं को तैयार करने की योजना है जब कोई परियोजना पर्यावरण मुक्त तथा सत्त विकास हेतू तैयार की जाती है तो उनसे सम्बन्धित समस्त प्रभावों का पता नहीं चलता तथा न ही इस बारे में कभी अध्ययन किए जाते हैं। यह समझना कि प्रत्येक जलविद्युत परियोजना सामान्य तथा प्रदूषण मानकों का अनुपालन करने वाली है एवं उनके कुल या समस्त प्रभाव इतने अनुरूप नहीं होंगे। इसलिए पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव हिमाचल प्रदेश ने मान लिए हैं और आगे प्रदेश की समस्त नदियों के ऊपर चरणवद्ध तौर पर संलिप्त पर्यावरण प्रभाव का अध्ययन करवाएगी। इस क्रम में पहले सतलुज बेसिन है और इसके प्रारूप की अन्तरिम प्रगति प्रतिवेदना प्राप्त हो चुकी है। अध्ययन के लिए कुछ समय लगेगा और इस नीति के अन्तिम और विभिन्न स्तरों पर स्वीकार योग्य बदलाव में काफी समय लग सकता है।

नदी क्षेत्रवार सी.ई.आई.ए. अध्ययन का नदी क्षेत्रवार विवरण से सम्बन्धित संयुक्त पर्यावारण प्रभाव निर्धारण इस प्रकार से हैः–

1. सतलुज	अध्ययन आई.सी.एफ.आर.ई. देहरादून के द्वारा प्रगति पर है एवं अग्रिम चरण में है।
2. चिनाव	अध्ययन मै0 आर.एस. एनवायरोलिंक टैक्नोलोजी प्रा0 लि0 द्वारा किया जा रहा है जो प्रगति पर है।
3. रावी	टी.ओ.आर. प्रकिया अधीन है।
4. यमुना	टी.ओ.आर. बनाने की प्रक्रिया आरभ कर दी गई है।
5. ब्यास	टी.ओ.आर. का प्रारूप तैयार कर एम.ओ.ई.एफ. के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया है।

हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड –

13.5 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और विभागीय योजनाऐं

(i) **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाः** प्रदेश के सभी विद्युत रहित गांवों/बस्तियों को विद्युतिकृत करने और सभी नए घरों को बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से अप्रैल,2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरु की गई थी जिसके अन्तर्गत केन्द्र से 90 प्रतिशत राशि अनुदान और 10 प्रतिशत राशि ऋण के रुप में प्राप्त किए जाने का प्रावधान है। मैसर्ज आर.ई.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य विद्युत बोर्ड ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जिलावार विद्युतीकरण योजनाएं बनाई है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन सुचारू एवं गुणवतापूर्ण विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित

करेगा। इन योजनाओं के अंतर्गत 44,496 ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान की जाएगी जिनमें कि 12,483 गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं जिन्हें मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह सभी योजनाएं आर.ई. सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार टर्न–की आधार पर बनाई जा रही हैं, जिससे इन्हें पूरा करने में कम समय लगेगा। इन योजनाओं के अंतर्गत 2,092 नए उपयुक्त क्षमता के विद्युत वितरण उपकेन्द्र तथा लाईनें स्थापित कर सभी 12 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण होगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों को सुचारू एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

10वी पचंवर्षीय योजना :–इस योजना के दौरान चम्बा जिला के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत दसवीं योजना के अंतर्गत मैसर्ज आर.ई.सी. द्वारा दिसम्बर, 2005 में `25.02 करोड़ की योजना को स्वीकृत किया गया था, जिसे कि अब संशोधित कर `66.33 करोड़ कर दिया गया है। आर.ई.सी. द्वारा `59.65 करोड़ की कुल राशि पहली, दूसरी और तीसरी किस्तों के रूप में जारी कर दी गई है और `42.37 करोड़ की अदायगी कर दी गई है। लगभग `6.14 करोड़ के बिल फर्म को अदायगी के लिए पहले ही प्रक्रिया में हैं। इस प्रकार दिसम्बर, 2013 तक `48.51 करोड़ की कुल वित्तीय प्रगति है।

दिसम्बर 2013 तक चम्बा जिला में किए गए कार्यः–चम्बा जिला में दिसम्बर 2013 तक 24.480 किलोमीटर 33 के.वी. एच.टी. लाईन, 207.407 किलोमीटर 11 के. वी. एच.टी. लाईन, 404.665 किलोमीटर एल.टी. लाईन, 175 विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर, चार 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्रों का संवर्धन (कोटी, सिंहुता, नकरोड और घरोला), 977 बी.पी.एल. घरों का विद्युतीकरण और पांगी खंड के 15 विद्युत रहित गांवों को बिजली प्रदान की गई है।

11 वीं पचंवर्षीय योजनाः– इस योजना के दौरान 11 जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी, सिरमौर, शिमला, सोलन, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल एवं स्पीति के लिए 11वीं योजना में `275.53 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और `231.44 करोड़ की राशि पहली, दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में जारी की गई है। दिसम्बर,2013 तक `244.43 करोड़ का खर्चा हो चुका है तथा `4.13 करोड़ के बिल देय के लिए प्रक्रिया में है। इस तरह दिसम्बर 2013 तक कुल वित्तीय प्रगति `248.56 करोड़ की है। 11वीं पचंवर्षीय योजना के दौरान लाहौल स्पिति जिले के स्पिति खंड में कार्यो का निष्पादन पूरे जोरों पर है। जिला

चम्बा के पांगी खंड और लाहौल स्पिति जिला के स्पिति खंड में ठडां मौसम, बर्फबारी तथा आसानी से लेबर न मिलने व सिमित कार्य अवधी के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। मै0 आर.ई.सी. लिमीटेड अधिकारीगण द्वारा 10वीं और 11वीं योजना की परियोजनाओं को 31 दिसम्बर, 2013 तक वांछनीय वितीय सहायता जारी रखने की सहमति दे दी है।

आर.जी.जी.वी.वाई. योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2013 तक किए गए कार्य की प्रगति इस प्रकार से हैः–

क्रं सं0	कार्य का नाम	योजना का कुल प्रावधान	दिसम्बर, 2013 तक संचित प्रगति	
			भौतिक उपलब्धि	प्रतिशत
10वीं योजना की परियोजनाएं				
1	33 के.वी. नए उपकेन्द्र	1 अदद	कार्य प्रगति पर है	95.00
2	33 के.वी.एचटी लाईनें	64.00 कि.मी.	24.480 कि.मी.	38.25
3	11 के.वी..एचटी लाईनें	212.520 कि.मी.	207.407 कि.मी.	97.59
4	एलटी लाईनें	472.180 कि.मी.	404.665 कि.मी.	85.70
5	वितरण ट्रांसफारमरज	175 अदद	175 अदद	100.00
6	बी.पी.एल. गृह कनैक्शन	647 अदद	977 अदद	151.00
7	विद्युतरहित गांवों का विद्युतीकरण	15 अदद	15 अदद	100.00
11वीं योजना की परियोजनाएं				
1	33 के.वी. उपकेन्द्रों का सम्बधर्न	4 अदद	4 अदद	100.00
2	22/11के.वी.एच.टी.लाईनें	1,721.18 कि.मी.	1,371.044 कि.मी.	79.66
3	एल.टी. लाईनें	5,433.25 कि.मी.	5,461.007 कि.मी.	100.51
4	वितरण ट्रांसफारमरज	1,917 अदद	2,165 अदद	112.94
5	बी.पी.एल. गृह कनैक्शन	11,836 अदद	14,370 अदद	121.41
6	विद्युत रहित गांवों का विद्युतीकरण	76 अदद {93-(7+10)}	74 अदद	97.36

प्रदेश में 100 प्रतिशत घरों को विद्युत पहुंचाने के उदेश्य से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर. जी.जी.वी.वाई.) के अंतर्गत मैसर्ज ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 12 जिलों के लिए `341.86 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और इसके अंतर्गत अभी तक `291.09 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। राज्य में इन योजनाओं के अंतर्गत 12 जिलों में कार्य टर्न–की आधार पर दिया जा चुका है और दिसम्बर,2013 तक इस पर `297.08 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

जनगणना 2001 के आधार पर राज्य में इस समय 17,495 जनसंख्या गांव है जिसमें से 109 गांवों को विद्युत रहित गांव चिन्हित किया गया है। 11 गांव तकनीकी रूप से विद्युतीकरण के लिए

संभव नहीं है और 7 गांवों का आर.जी.जी. वी.वाई. योजना शुरू होने से पहले ही विद्युतीकरण किया जा चुका था। शेष बचे 91 गांवों में से दिसम्बर, 2013 तक 89 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और 2 विद्युत रहित लाहौल–स्पिति जिला के स्पिति खंड के गांवों का विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है।

जिलावार विद्युत रहित/विद्युतीकृत गांवों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	जिला का नाम	विद्युत रहित गांव	गांव जो तकनीकी रूप से विद्युतीकरण के लिए संभव नहीं है/जिनका विद्युतीकरण पहले ही किया जा चुका था।	गांव की सख्या जिनका विद्युतीकरण होना है।	गांव की सख्या जिनका विद्युतीकरण किया गया है।
1	चम्बा	16	1	15	15
2	कांगडा	2	2	–	–
3	किन्नौर	40	6	34	34
4	लाहौल–स्पिति	29	1	28	26
5	मण्डी	12	–	12	12
6	शिमला	9	8	1	1
7	सिरमौर	1	–	1	1
	कुल	**109**	**18**	**91**	**89**

(ii) पुनर्गठित त्वरित उर्जा विकास और सुधार कार्यक्रम (आर0 ए0 पी0 डी0 आर0 पी0)

पुनर्गठित त्वरित उर्जा विकास और सुधार कार्यक्रम (आर0–ए0पी0डी0 आर0पी0) के अंतर्गत योजनाएं दो भागों में कार्यान्वित की जाएंगी।

भाग–अ

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे को 15 प्रतिशत तक परियोजना क्षेत्रों में कम करने के लिए पुनर्गठित उर्जा विकास सुधार कार्यक्रम चालू किया है। यह कार्यक्रम 2 भागों में विभाजित है, भाग (अ) और (ब)। भाग (अ) में तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे की जांच करने के लिये विभिन्न परियोजनाएं जैसेः आधारभूत आंकडे स्थापित करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियां जैसेः मीटर आंकडे एकत्रण, मीटर अध्ययन, बिल बनाना, संग्रहण, जी.आई.एस., एम.आई.एस. ऊर्जा ऑडिट, नए कनैक्शन,

कनैक्शन काटना, ग्राहक देख–रेख सेवाएं, वेब सेल्फ सेवाएं इत्यादि। भाग (ब) में वितरण प्रणाली को सुदृढ बनाने के लिए परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

ऊर्जा मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में 14 पात्र कस्बों की विस्तृत परियोजना विवरण के आधार पर अगस्त,2010 में `96.40 करोड की राशि मंज़ूर की है। आर. ए.पी.डी.आर.पी. भाग (अ) के अन्तर्गत परियोजना के लिए कुल लागत `128.46 करोड़ है। शेष राशि का प्रबन्ध स्वयं निधि द्वारा करना है। भारत सरकार ने पॉवर फाइनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड को इस

कार्यक्रम के लिये नोडल एजेंसी के रुप में नियुक्त किया है।

आर.– ए. पी. डी. आर. पी. भाग (अ) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 14 कस्बे अर्थात् शिमला, सोलन, नाहन, पाँवटा, बद्दी, बिलासपुर, मण्डी, सुन्दरनगर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लु, ऊना और योल निधिकरण के लिए योग्य पाये गये।

कार्यक्षेत्र :

आर.–ए.पी.डी.आर.पी. भाग (अ) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित कार्यों को सम्मिलित किया गया हैः–

1. डाटा सेंटर शिमला में, डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर पाँवटा साहिब में और 14 कस्बों अर्थात शिमला, सोलन, नाहन, पाँवटा, बद्दी, बिलासपुर, मण्डी, सुन्दरनगर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लु, ऊना और योल के विभिन्न कार्यालयों में अपेक्षित हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं बाह्य उपकरणों को उपलब्ध करवाना।
2. डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर स्तर पर निम्नलिखित सॉफ्टवेयर प्रणालियों का विकास एवं कार्यान्वयन :
   (क) मीटर आंकडे एकत्रण प्रणाली।
   (ख) ऊर्जा ऑडिट।
   (ग) आइडेंटिटी एवं एसेस मैनेजमेंट प्रणाली।
   (घ) बिज़नैस इंटैलिजेंस एवं डाटा वेयर हाउसिंग युक्त मैनेजमेंट सूचना प्रणाली।
   (ङ) इन्टरप्राइज मैनेजमेंट प्रणाली एवं नेटवर्क मैनेजमेंट प्रणाली जो कि हार्डवेयर का भाग है।

सलाहकार/कार्यान्वयन शाखा चयन

मै0 टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टैंट इंडिया लिमिटेड़, नई दिल्ली को सहायता संघ मै0 वयाम टैकनोलोजी इंड़िया लिमिटेड के साथ संयुक्त रुप से आई. टी. सलाहकार के रुप में 31 जुलाई 2009 को कुल लागत `39,70,800/– में चयनित किया गया। आई. टी. सलाहकार का उद्देश्य उपयुक्ततः विवरण बनाने, बोली दस्तावेज, बोली प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन पर नजर रखने में एच. पी. एस. ई. बी. लिमिटेड़ की सहायता करना है।

मै0 एच. सी. एल. इन्फोसिस्टमस् लिमिटेड, नोएड़ा को आई. टी. कार्यान्वयन शाखा के रुप में 30 अगस्त 2010 को कुल लागत `99.14 करोड़ का अबार्ड किया गया है।

नवीनतम स्थिति एवं समापन सारणीः

- डाटा सेंटर, शिमला में चालू किया जा चुका है।
- डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर, पाँवटा साहिब में चालू हो गया है।
- 14 परियोजना क्षेत्रो में रिंग फैंसिंग का कार्य पूर्ण कर लिया है। 14 कस्बों के आधारभूत तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे के आंकड़े, मै0 पॉवर फाइनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मार्च–जून 2012 में स्थापित किये जा चुके हैं।
- पाईलेट कस्बे (नाहन) के साथ 10 कस्बे अर्थात चम्बा, धर्मशाला, कुल्लु, योल, बिलासपुर, सुन्दरनगर, ऊना, सोलन, पॉवटा साहिब और हमीरपुर के कार्य अक्तूबर, 2013 में पूर्ण कर लिए गए हैं और शेष 3 कस्बों अर्थात् शिमला, मण्डी और बद्दी के कार्य जनवरी, 2014 तक पूर्ण कर लिए जाएगें।

आर.–ए.पी.डी.आर.पी. भाग (अ) परियोजना 2013–14 के दौरान पूर्ण कर ली जाएगी।

कार्यक्रम से अपेक्षित लाभः

आर.–ए. पी. डी. आर. पी. भाग (अ) योजना का ध्येय कार्यसम्पादन है तथा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग निरन्तर सही आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए, ऊर्जा

ऑडिट के क्षेत्र में एक विश्वसनीय एवं स्वचालित पद्धति को स्थापित करना है।

भाग–ब

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने आर–ए0पी0डी0आर0पी0 योजना प्रारम्भ की और जिन कस्बों की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 30,000 (10,000 विशेष वर्ग के राज्यों) से ज्यादा है, उन्हें इस कार्यक्रम के दायरे में रखा गया। विशेष वर्ग के राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश के लिए भारत सरकार का ऋृण (लोन) आर–ए0पी0डी0आर0पी0 (भाग–ब) के लिए पूरी परियोजना की कीमत का 90 प्रतिशत होगा और 10 प्रतिशत का प्रबन्ध यूटिलिटी द्वारा अपने फंड/ऋृण से करना होगा। आर–ए0पी0डी0आर0पी0 के नियमों के अनुसार ए0टी0 व सी0 के नुक्सानों में कमी के आधार पर भारत सरकार द्वारा भाग–ब के लिए ऋण के रूप में दिया गया प्रतिवर्ष वितांश, पांच सालों के लिए अनुदान में परिवर्तित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में 14 कस्बों नामतः बद्दी, बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लु, मण्डी, नाहन, पौंटा साहिब, सोलन, शिमला, सुन्दरनगर, ऊना और योल की जनसंख्या 10,000 से ज्यादा होने के कारण यह कस्बे आर–ए0पी0डी0आर0पी0 (भाग–ब) के अधीन रखे गए हैं। इन कस्बों के लिए योजना में नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, और 11के0वी0 तथा 22 के0वी0 स्तर के उपकेन्द्रों, ट्रांसफारमरों/ट्रांसफारमर केन्द्रों, 11 के0वी0 और एल0टी0 लाईनों का पुनःसंचालन, लोड का विभाजन, फीडर विभाजन, लोड संतुलन, एच0वी0डी0एस0 (11के0वी0), एरियल बच्चड कन्डकटोरिंग विद्युत चुम्वकीय ऊर्जा मीटरों की टैंपरप्रूफ मीटरों के साथ प्रतिस्थापना, कपैस्ट्र बैंक की स्थापना, चलते–फिरते सर्विस केन्द्र और 33 के0वी0 या 66 के0वी0 प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रावधान है। शुरू में आर–ए0पी0डी0आर0 पी0 (भाग–ब) योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के सभी 14 कस्बों के लिए `322.18 करोड़ (ऋृण `289.97 करोड़) मै0 पॉवर फाईनैंस कार्पोरेशन /ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए थे। 66/11 के0वी0 उप केन्द्रों के निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता न होने के कारण और सम्बन्धित 66 के0वी0 लाईनों के मार्गाधिकार की समस्या के चलते बद्दी तथा शिमला कस्बों की योजनाओं को संशोधित किया गया। शिमला और बद्दी कस्बों की संशोधित आर–ए0पी0डी0आर0 पी0 (भाग–ब) की डी0पी0आर0 के लिए मै0 पॉवर फाईनैंस कार्पोरेशन ने क्रमशः `120.34 करोड़ और `84.10 करोड़ की राशि दिनांक 08.02. 2012 को स्वीकृत कर दी। परिणामस्वरूप, योजना के लिए स्वीकृत प्रारम्भिक राशि `322.18 करोड़ (ऋृण की राशि `289.97 करोड़) को `338.97 करोड़ (ऋृण की राशि `305.07 करोड़) पर संशोधित किया गया। प्रतिरूप राशि (योजना की कुल कीमत का 10 प्रतिशत) `33.90 करोड़ भी

मै0 पॉवर फाईनैंस कार्पोरेशन ने जून 2012 के दौरान स्वीकृत कर दी थी। इन 14 कस्बों के लिए मै0 पॉवर फाईनैंस कार्पोरेशन ने `101.684 करोड़ की अपफ्रन्ट राशि जारी कर दी है। प्रतिरूप राशि हेतु `33.90 करोड़ के ऋण दस्तावेज दिनांक 19 दिसम्बर 2013 को हस्ताक्षर किए गए तथा मै0 पी0एफ0सी0 द्वारा मई, 2013 में हिमाचल प्रदेश के 14 कस्बों के लिए सिविल कार्यों सहित वितरण कार्यों व अन्य आर–ए0पी0डी0आर0पी0 (भाग–ब) के घटको के लिए `65.53 करोड़ (90 प्रतिशत ऋृण अर्थात `58.98 करोड़ और 10 प्रतिशत हि0प्र0रा0वि0प0लि0 शेयर अर्थात `6.55 करोड़) भी स्वीकृत किए गए है।

क0स0	कस्बे का नाम/ परियोजना क्षेत्र	ऋण संख्या	भारत सरकार ऋण (`करोड़)	पी0एफ0सी0 ऋण (`करोड़)	परियोजना की कुल लागत (`करोड़)
1	बद्द्दी	4134001	75.69	8.41	84.10
2	बिलासपुर	4134002	1.87	0.21	2.08
3	चम्बा	4134003	2.64	0.29	2.93
4	धर्मशाला	4134004	9.28	1.03	10.31
5	हमीरपुर	4134005	5.81	0.65	6.46
6	कुल्लु	4134006	6.66	0.74	7.40
7	मण्डी	4134007	17.32	1.92	19.24
8	नाहन	4134008	5.46	0.61	6.07
9	पॉवटा सहिव	4134009	32.97	3.66	36.63
10	शिमला	4134010	108.30	12.04	120.34
11	सोलन	4134011	20.32	2.26	22.58
12	सुन्दरनगर	4134012	5.90	0.65	6.55
13	ऊना	4134013	6.58	0.73	7.31
14	योल	4134014	6.27	0.70	6.97
कुल			**305.07**	**33.90**	**338.97**

कस्बावार आर–ए0पी0डी0आर0पी0 भाग (ब) की योजनाओं की स्वीकृति स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

इस योजना में कस्बों में यूटिलिटी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन का भी प्रावधान रखा गया है, जहॉ ए0 टी0 व सी0 घाटा 15 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा। तदानुसार मै0 पी0एफ0सी0 द्वारा इन सभी 14 कस्बो जोकि आर–ए0पी0डी0आर0पी0 (भाग–ब) के अन्तर्गत आते हैं, के लिए `9.76 करोड़ प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकार किया है।

12 कस्बों नाहन, सोलन, हमीरपुर, कुल्लु, सुन्दरनगर, बिलासपुर, धर्मशाला, ऊना, योल, मण्डी, पौंटा साहिब और चम्बा के सभी कार्यों तथा 2 कस्बों बद्द्दी और शिमला के आंशिक कार्यों की निविदाएं अप्रैल, 2012 से सितम्बर, 2013 के दौरान अवार्ड कर दी गई हैं। शिमला

और बद्दी कस्बों में बाकी बचे हुए कार्यों के लिए निविदाएं प्रक्रिया में है तथा मार्च,

2014 तक कार्य अवार्ड करने की सम्भावना है। आर–ए0पी0डी0आर0पी0 (भाग–ब) के सभी कस्बों के कार्य शुरू कर दिए गए है और नवम्बर 2013 तक `59.80 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

आई. टी. पहल/सुधारः

13.6

(i) **जी. आई. एस./जी. पी. एस आधारित परि सम्पति मानचित्रण, उपभोक्ता इंडैक्सिग एवं एच. पी. एस.ई.बी.एल. की सम्पति के मूल्यांकन सहित एच. पी.एस.ई.बी.एल. के स्थाई परिसंपति लेखा को तैयार करना, जी.आई.एस. पैकैज कहा जाता है।**

- एच.पी.एस.ई.बी. लिमिटेड़ में पूरे बोर्ड का जी. आई. एस./जी.पी. एस. आधारित उपभोक्ता अनुक्रमण सहित सम्पति मानचित्रण और एच.पी.एस.ई.बी.एल. के सम्पति का मूल्यांकन, करने का निर्णय लिया था, जिसको बिलिंग के कंप्युटरिकरण, ऊर्जा लेखांकन, बिजली नेटवर्क प्रबंधन, सी. आर. एम. और सूचना प्रणाली प्रबंधन के आधार के रुप में प्रयुक्त किया जाएगा और बोर्ड के नवीनतम बैंलेंस शीट के साथ उचित मिलान के बाद उत्पादन, संचालन और वितरण विंगों के लिए इनके वर्तमान मूल्य के आधार पर स्थाई परिसंपति लेखा तैयार किया जाएगा।
- शिमला ऑपरेशन सर्कल की भौगोलिक सीमाओं के अन्दर जी. आई. एस./जी. पी. एस आधारित उपभोक्ता इन्डैक्सिंग सहित सम्पति मानचित्रण और एच. पी. एस. ई. बी. एल. की अचल सम्पति के मूल्यांकन का काम पूर्ण कर लिया गया है। बाकी शेष 11 ऑपरेशन सर्कल के क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, और मूल्यांकन कार्य प्रगति पर है। परियोजना से सम्बन्धित गतिविधियॉ मार्च, 2014 तक पूर्ण करना अपेक्षित है।

(ii) **कम्पयूटरीकृत बिलिंग और ऊर्जा लेखा पैकेज (आई.टी. पैकेज)**

नवीनतम स्थितिः–

कम्पयूटरीकृत बिलिंग और ऊर्जा लेखा पैकेज (आई.टी. पैकेज), त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के तहत विद्युत मन्त्रालय (एमओपी) द्वारा शुरू किया गया है। इस परियोजना के तहत परिचालन उपमण्ड़लों की गतिविधियॉ जैसे कि पूर्व बिलिंग कियाएं, बिलिंग कियाएं, डाक बिलिंग कियाएं, कानूनी एवं सर्तकता गतिविधियॉ उपमण्ड़ल स्तर पर स्टोर प्रबन्धन, ग्राहक सम्बन्ध प्रबन्धन, विद्युत नैटवर्क प्रबन्धन और ऊर्जा लेखा/लेखा परीक्षा और प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को कम्पयूटरीकृत करना है। मै0 एच. सी. एल. इन्फोसिस्टमस् लिमिटेड, नोएड़ा को कुल लागत ` 3,057.88 लाख का अवार्ड किया गया है। परियोजना 27 मण्ड़लों के 124 उपमण्ड़लों और 12 वृतों जिनमें 12 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, में लागू किया गया है। शेष 8 उपमण्डलों में कम्प्यूटरीकृत बिलिंग का कार्य शुरु नहीं हो सका है क्योंकि बी.एस.एन.एल./दूसरी एजैंन्सियों

द्वारा इन स्थानों पर आवश्यक कनेक्टिविटी प्रदान नहीं की गई।

(iii) उद्यम संसाधन योजना (ई.आर.पी.) का हि.प्र.रा.वि.प.लि. में कार्यान्वयनः—

ई.आर.पी. परियोजना के तहत हि.प्र.रा.वि.प.लि. के निम्नलिखित कार्यों को पूरी तरह से स्वचलित किया जाएगाः—

क) वित्तीय प्रबन्धन और लेखा।

ख) मानव संसाधन प्रबन्धन पेरोल सहित

ग) परियोजना प्रबन्धन

घ) सामग्री प्रबन्धन

ड़) रखरखाव प्रबन्धन

च) उपलब्धता के आधार पर टैरिफ और एम.आई.एस. उद्देश्य के लिए वरिष्ठ प्रबन्धन के लिए डैश बोर्ड भी उपलब्ध होगा। परियोजना की कुल लागत लगभग `24.00 करोड़ है। इस कार्य को मैसर्ज टी.सी.एस. को अवार्ड को किया गया है। प्रथम चरण जिसमें मुख्यालय और परिचालन वृत शिमला, को रखा गया है का कार्य ठियोग और सुन्नी विद्युत मण्ड़लों को छोड़कर मार्च 2013 में पूर्ण कर लिया गया है। दूसरे चरण में पूरे बोर्ड व शेष बचे मॉडयूलज़ को चरणबद्व तरीके से मार्च, 2014 तक पूर्ण कर लिया जाए।

हि0प्र0रा0वि0प0लि0 में नई आई0टी0 पहलः

क. हिमाचल प्रदेष के काला अम्ब में स्मार्ट ग्रिड पायलट परियोजनाः—

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड ने `21.70 करोड़ की पायलट परियोजना तैयार की है। भारत सरकार ने `18.11 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित की है जिसमें से `8.92 करोड़ ऊर्जा मन्त्रालय वहन करेगा तथा शेष राशि का प्रबन्ध हि0प्र0रा0वि0प0लि0 द्वारा वित्तीय संस्थानों जैसे कि आर0ई0सी0 के माध्यम से करना है।

हि0प्र0रा0वि0प0लि0 द्वारा काला अम्ब में स्र्माट ग्रिड प्राघोगिकी अपनाते हुए 3 वर्ष की ऋण वापिसी के साथ उच्चतम ऊर्जा में 6 एम0वी0ए0 की कटौती, रूकावटे कम, उपभोक्ता व्यवसाय में सुधार एवं सन्तुष्टि द्वारा प्राणाली अनुपालना में सुघार तथा हि0प्र0रा0वि0प0लि0 के समस्त आर्थिक प्रर्दशन को सुघारने हेतु उन्नत मीटरिंग बुनियादी ढ़ाचा, मांग पक्ष प्रबन्घन व भूगोलिक सूचना प्रणाली कियानवित करते हुए स्र्माट ग्रिड पायलट लगाया जाना प्रस्तावित है।

ख स्वचलित मीटर रीडिंग (ए0एम0 आर0) का विस्तारः—

आर0—ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत मौजूदा विकसित बुनियादि ढ़ाचें का उपयोग करके राज्यभर में चरणबद्व तरीके से सभी 50 किलोवाट से ऊपर के 32,000 उपभोक्ताओं को शामिल करने का प्रस्ताव है।

ग. कम्पयूट्रीकृत बिलिंग का विस्तारः

वर्ष 2014—15 के दौरान मानक मंच का उपयोग कर 61 उपमण्डलों में कम्पयूट्रीकृत बिलिंग शुरू करने का प्रस्ताव

है। स्थिरीकरण और प्रदर्शन का विश्लेषण करने के बाद 132 उप–मण्डलों की बिलिंग जहां कम्पयूट्रीकृत बिलिंग पहले से ही लागु है को भी चरणबद्व तरीके से इस पलेटफार्म पर लाने का प्रस्ताव है।

घ. गैर आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 क्षेत्र में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी0आई0एस0)/ ग्लोवल पोजिषनिग प्रणाली (जी0पी0एस0) आंकड़ो को आधुनिक करनाः–

राज्य के गैर आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 क्षेत्रों में जी0आई0एस0/ जी0पी0एस0 के आंकड़ों को आधुनिक करना तथा विभिन्न विद्युत नेटवर्क में उपयोगों में लाना प्रस्तावित है।

ड. पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण (एस0सी0ए0डी0ए0)/ दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डी0एम0एस0):–

राज्य के मानव रहित 33 के0वी0 और इससे ऊपर के उप–केन्द्रों के नियंत्रण और निगरानी के लिए डिजास्टर रिक्वरी केन्द्र पौंटा में परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है।

च. आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 अगला चरणः–

ऊर्जा मंत्रालय अगले चरण के आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 कार्यक्रम में जहां कस्बों में 5,000 से अधिक आबादी है के विस्तार पर विचार कर रहा है तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2015–16 में 16 नये कस्बों को लिया जाएगा।

13.7 विभाग की भविष्य योजनाएं

- राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण।
- राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को सुनिश्चित व गुणवतापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए नए विद्युत उपकेन्द्रों का नई एच.टी. एवं एल.टी. लाईनों सहित निर्माण व संवर्धन।
- 50 किलोवाट से ऊपर के उपभोक्ताओं की स्वचालित मीटर रीडिंग।
- वित वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान 12,97,818 सिंगल फेस और 20,319 थ्री फेस पुराने इलैक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों को इलैक्ट्रोनिक मीटरों से बदलने का प्रस्ताव।
- संचार व वितरण हानियों को कम करना।
- पहले व दूसरे चरण में 1,40,477 नम्बर गले सड़े विद्युत खम्बों को बदलने के पहले के प्रावधान को संशोधित किया गया जिसमें 1,45,295 न0 खम्बों को बदलने का प्रस्ताव है।

हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटिड

हि0 प्र0 पा0 का0 लि0 के अधीन परियोजनाएं :–

क्र0स0	परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)
क) निष्पादित परियोजनाएं		
1.	साबड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना	111
2.	एकीकृत कशाँग जल विद्युत परियोजना (चरण– I, II, III)	195
3.	सैंज जल विद्युत परियोजना	100
4.	शौंग टोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना	450
	उप–योग(क)	**856**
ख) अन्वेक्षित परियोजनाएं (राज्य क्षेत्र)		
1.	चिढ़गांव मझगांव जल विद्युत परियोजना	60
2.	एकीकृत कशाँग जल विद्युत परियोजना (चरण– IV)	48
3.	जिस्पा जल विद्युत परियोजना (राष्ट्रीय महत्व की परियोजना)	300
4.	सुरगानी सुन्डला जल विद्युत परियोजना	48
5.	नकथान जल विद्युत परियोजना	520
6.	थाना पलोन जल विद्युत परियोजना	191
7.	त्रिवैणी महादेव जल विद्युत परियोजना	78
8.	रेणुका डेम जल विद्युत परियोजना (राष्ट्रीय महत्व की परियोजना)	40
	उप–योग(ख)	**1,285**
ग) प्रारम्भिक सम्भाव्य चरण परियोजनाएं		
1.	छोटी सायचू जल विद्युत परियोजना	26
2.	सायचू साच खास जल विद्युत परियोजना	117
3.	लुजाई जल विद्युत परियोजना	45
4.	सायचू जल विद्युत परियोजना	58
5.	देवथल चान्जू जल विद्युत परियोजना	33
6.	चान्जू जल विद्युत परियोजना	48
7.	खाब जल विद्युत परियोजना	636
	उप–योग(ग)	**963**

कुल योग (क+ख+ग)	3,104

हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड

13.8 हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटिड जो कि हि0 प्र0 सरकार का एक सरकारी उपक्रम है, का गठन 27 अगस्त, 2008 को प्रदेश के संचार प्रणाली को मजबूत करने तथा भविष्य में बनने वाली जल विद्युत परियोजनाओं को विद्युत संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया।

हि0 प्र0 सरकार के द्वारा कार्पोरेशन को सौंपे गए कार्यों में मुख्यतः प्रदेश में बनने वाली सभी नई 66 के0वी0 की क्षमता से उपर की लाईनों व विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण करने के साथ–2 विद्युत वोल्टेज में सुधार, वर्तमान संचार ढांचे में सम्बर्धन व मजबूती प्रदान करने तथा विद्युत उत्पादन केन्द्रों व संचार लाईनों का निर्माण करते हुए प्रदेश के मास्टर संचार पलान को लागू करना सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त निगम को एक स्टेट ट्रांसमिशन यूटीलिटी का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है जिसके अन्तर्गत संचार से जुड़े सभी मुद्दों पर सैन्ट्रल ट्रांसमिशन यूटीलिटी, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, केन्द्रीय व राज्य के ऊर्जा मंत्रालयों तथा हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से समन्वय रखने के अतिरिक्त निजी, केन्द्र व राज्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादक इकाईयों के लिए संचार से जुड़ी योजना बनाना भी सम्मिलित है।

संचार प्रणाली की योजना बनाते समय विश्वसनियता, सुरक्षा, पर्यावरण हितैशी तथा आर्थिकी के साथ–साथ प्रदेश की जनता की स्वच्छ, सुरक्षित व स्वस्थ्यवर्धक पर्यावरण की उम्मीदों को भी प्राथमिकता के आधार पर ध्यान में रखा जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा हि0 प्र0 ऊर्जा संचार निगम को 350 मिलियन डॉलर का ऋण एशियन विकास बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। जिसमें से प्रथम चरण परियोजना ट्रांसमिशन जिला किन्नौर (सतलुज बेसिन) और (शिमला पव्वर वेसिन) के कार्य के लिए 113 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता हस्ताक्षरित हो चुका है तथा ऋण जनवरी,2012 से प्रभावी हो गया है जिसके अनतर्गत निम्न 4 परियोजनाओं के निर्माण का कार्य जारी कर दिया गया है:

- किनौर जिले में 400/220/66 के0वी0 2×315 एम0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, वांगतू का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत `356.00 करोड़ है, और अप्रैल, 2016 में चालू हो जाएगी।
- किनौर जिले में 220/66/22 के0वी0 के विद्युत उप–केन्द्र, भोक्टू का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत `62.60 करोड़ है, और जुलाई, 2014 में चालू हो जाएगी।
- 400/220/66 के0वी0 2×315 एम0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, प्रगतिनगर, (कोटखाई)

जिला शिमला का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत `166.20 करोड़ है, और जून, 2015 में चालू हो जाएगी।

- हाटकोटी से प्रगतिनगर जिला शिमला में 220 के0वी0 क्षमता की निम्न ट्रांसमिशन परियोजनाएं प्रदान

कर दी गई हैं और जिसके लिए निधि अपने स्तर पर वहन की जा रही है।

- जिला कुल्लू में 33/220 के0वी0 तथा 2×31.5 एम0वी0ए0 के क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, फोजल जिला कुल्लू का निमार्ण कार्य मार्च,2014 में पूरा कर दिया जाएगा।
- जिला चम्बा में 33/220 के0वी0 तथा 63 एम0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, करियां जिला चम्बा का संचार लाईन का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत `84.40 करोड़ है, और नवम्बर,2014 में चालू हो जाएगी।

कार्य मार्च, 2014 में पूरा कर दिया जाएगा।

ए0डी0बी0 ऋण के ट्रांच–।। में 110 मिलियन डालर अनुमोदित हुए हैं और फरवरी, 2014 में ऋण समझौता हस्ताक्षरित किया जायेगा। इस ट्रांच में जिला किनौर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और मण्डी में 66 के0वी0 और इससे अधिक के उपकेन्द्रो और लाईनों के निर्माण के लिए निधि सम्मिलित है।

राज्य/केंद्रीय/संयुक्त/निजी क्षेत्र एवं हिमऊर्जा में विद्युत दोहन की संभाव्य क्षमता:

i) राज्य क्षेत्र:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	नदी तट	क्षमता (मैगावाट)
1	आन्ध्रा	यमुना	16.95
2	गिरी	यमुना	60.00
3	गुम्मा	यमुना	3.00
4	रूक्ती	सतलुज	1.50
5	चावा	सतलुज	1.75
6	रौंगटोंग	सतलुज	2.00
7	नोगली	सतलुज	2.50
8	भावा	सतलुज	120.00
9	घानवी	सतलुज	22.50
10	विनवा	ब्यास	6.00
11	गज	ब्यास	10.50
12	वनेर	ब्यास	12.00
13	बस्सी(उहल–11)	ब्यास	66.00
14	लारजी	ब्यास	126.00
15	खौली	ब्यास	12.00
16	साल–।।	रावी	2.00
17	होली	रावी	3.00

18	भूरी सिंह पावर हाउस	रावी	0.45
19	किलाड	चिनाव	0.30
20	सिसू	चिनाव	0.10
21	थिरोट	चिनाव	4.50
22	भावा ओगमैंटेशन	सतलुज	4.50
23	हिमऊर्जा (राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत)	–	2.37
	उप–योग–(i)		479.92

ii) केंद्रीय/ संयुक्त क्षेत्र/ हिमाचल प्रदेश शेयर

क.सं.	परियोजना का नाम	नदी तट	क्षमता (मैगावाट)
1	यमुना परियोजनाएं (हि0.प्र0 की भागेदारी)	यमुना	131.57
2	रंजीत सागर डैम (हि0 प्र0 की भागेदारी)	ब्यास	27.60
3	भाखड़ा	सतलुज	1,478.73
4	नाथपा झाखड़ी	सतलुज	1,500.00
5	वैरा स्यूल	रावी	198.00
6	चमेरा–I	रावी	540.00
7	चमेरा–II	रावी	300.00
8	उहल–I (शानन)	ब्यास	110.00
9	पौंग डैम	ब्यास	396.00
10	वी.एस.एल.	ब्यास	990.00
11	चमेरा–III	रावी	231.00
	उप–योग–(ii)		5,902.90

iii) निजी क्षेत्र :

क. 5 मैगावाट से उपर की परियोजनाएं:

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	नदी तट	क्षमता (मैगावाटं)
1.	बास्पा–II	सतलुज	300.00
2.	मलाना–I	ब्यास	86.00
3.	पतिकरी	ब्यास	16.00
4.	टॉस	ब्यास	10.00
5.	सरबरी–II	ब्यास	5.40
6.	एलायन दुहांगन	ब्यास	192.00
7.	करछम वांगटू	सतलुज	1,000.00
8.	अप्पर ज्वाईनर	रावी	12.00
9.	सुमेज	सतलुज	14.00

10.	ब्यासकुण्ड	ब्यास	9.00
11.	मलाना	ब्यास	100.00
12.	बुधील	रावी	70.00
13	नियोगल	ब्यास	15.00
	उप–योग–(क)		**1,829.40**

ख. 5 मैगावाट तक की परियोजनाएं:

क.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)
1.	सुक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं 5 मैगावाट तक की हिमउर्जा द्वारा प्रचलन में	220.25
	उप–योग–(ख)	220.25
	योग– ।।। (क+ख) (1,829.40 +220.25)	**2,049.65**

कुल प्रचलनाधीन (दिसम्बर,2013 तक):

(i)+(ii)+(iii) = 479.92+5,902.90+2,049.65 = 8,432.47 मैगावाट

अ निजी क्षेत्र में निष्पादित परियोजनाएं:

1. वसपा– ।। जल विद्युत परियोजना (300 मैगावाट)

वसपा– ।। जल विद्युत परियोजना का निष्पादन करने के लिए मै0 जै प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेंड के साथ हिमाचल सरकार ने एम ओ यू एवम् कार्यान्वयन समझौता नई दिल्ली में 23.11.1991 तथा 1.10.1992 को किया। एक दो एवं तीन इकाई में क्रमशः 24.5.2003, 29.5.2003 तथा 8.6.2003 को विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है।

2 मलाना – । जल विद्युत परियोजना (86 मैगावाट)

इस परियोजना के निष्पादन के लिए प्रदेश सरकार तथा मै0 राजस्थान स्पिनिंग तथा विविगं मिल्ज के साथ नई दिल्ली में 28.8.1993 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए। कार्यान्वयन समझौता हिमाचल प्रदेश सरकार तथा राजस्थान स्पिनिगं तथा विविगं मिल्ज के बीच 13.3.1997 को हुआ बाद में हिमाचल प्रदेश सरकार, मै0 राजस्थान स्पिनिगं तथा मै0मलाणा कम्पनी लि0 के बीच 3.3.1999 को समझौता हस्ताक्षर हुए। कम्पनी ने 27.9.1998 को परियोजना का कार्य शुरू कर दिया। वित्तीय राशि के रूप में केन्द्रीय विद्युत नियामक ने `332.71 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है। परियोजना में 5.07.2001 से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है।

3. पतिकारी जल विद्युत परियोजना (16 मैगावाट)

इस परियोजना का कार्यान्वयन समझौता 9.11.2001 को मै0 ईस्ट ईन्डिया पैट्रोलियम लि0 के साथ हस्ताक्षरित हुआ। इस परियोजना का कार्यान्वयन पतिकारी पावर प्रा0लि0 के द्धारा किया जाना है। तकनीकी आर्थिक अनुमति हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा 27.9.2001 को प्रदान कर दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत `126.00 करोड़ है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के साथ 14.1.2003 को पी.पी.ए. हस्ताक्षरित किया गया। परियोजना जनवरी 2008 को चालू हो गई है।

4. एलियन दुंहागन जल विद्युत परियोजना (192 मैगावाट)

इस परियोजना के निर्माण की अनुमानित राशि `922.36 करोड़ है। सरकार ने मैसर्ज राजस्थान स्पिनिंग एवं विविंग मिल्ज के साथ 28.08.1993 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए तथा कम्पनी के साथ कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता 22.2.2001 के हस्ताक्षरित किया। सरकार ने 5.11.2005 को मैर्सज राजस्थान स्पिनिंग एंवं विविगं मिल्ज लि0, मै0 एम.पी.सी.एल. तथ जनरैटिंग कम्पनी, मै0 ए.डी. हाइड्रो पावर लि0 के साथ समझौता किया। परियोजना अगस्त, 2010 को चालू हो गई है।

5. सरवरी–।। जल विद्युत परियोजना (5.4 मैगावाट)

सरकार ने मै0 हाइड्रोवाट लिमिटिड के साथ 15.03.2001 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए तथा कम्पनी के साथ कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता 28.2.2009 को हस्ताक्षरित किया। परियोजना अगस्त,2010 को चालू हो गई है।

6. टौस जल विद्युत परियोजना (10 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हिमाचल सरकार ने मै0 साई इंजीनियरिंग फांउडैशन, न्यू शिमला के साथ एम.ओ.यू. एवं कार्यान्वयन समझौता हस्ताक्षरित किया। यह परियोजना 2009–10 के दौरान चालू हो गई है।

7. करछम वांगटू जल विद्युत परियोजना (1000 मैगावाट)

यह परियोजना मैं0 करछम हाईड्रो कारापोरेशन लि0, नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत `6,930.00 करोड़ है। इस परियोजना का वार्षिक उत्पादन 4,560 एम.यू. है। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता क्रमशः 28.8.1993 एंव 18.11.1999 को हि0प्र0 सरकार एवं मै. जै. प्रकाश इंडस्ट्रीय प्रा0 लिमिटिड के बीच हस्ताक्षरित हुआ। त्रिपक्षीय समझौता हि0प्र0 सरकार मै.जै प्रकाश इंडस्ट्रीज प्रा0 लिमिटिड और मै.जे.पी.कड़छम हाइड्रो कार्पोरेशन के बीच 30.12.2002 एवं एस.आई.ए. 20.12.2007 को हुआ। परियोजना पर 18.11.2005 को कार्य शुरू किया गया एवं अगस्त,2011 को पूरा हुआ। यह परियोजना अगस्त, 2011 को चालू हो गई है।

8. अप्पर ज्वाइनर जल विद्युत परियोजना (12 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 तेजस सारनिका हाईड्रो एनर्जीज़ प्रा0 लि0 को दी गई है।एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता क्रमशः 12.01.2005 एंव 11.07.2008 को हस्ताक्षरित हुआ। यह परियोजना जुलाई, 2011 को चालू हो गई है।

9 सुमेज जल विद्युत परियोजना (14 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 रंगाराजु वेयर हाउसिंग प्रा0 लि0, के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 12.01.2005 व 11.12.2008 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना मार्च, 2012 को चालू हो गई है।

10 ब्यासकुण्ड जल विद्युत परियोजना (9 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 कपिल मोहन एवं एसोसिएट्स हाईड्रो पॉवर प्रा0 लि0 चण्डीगढ़ के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन

समझौते पर क्रमशः 23.03.2001 व 1.10.2009 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना जून, 2012 को चालू हो गई है।

11 मलाना –।। जल विद्युत परियोजना (100 मैगावाट)

मलाना –।। जल विद्युत परियोजना कुल्लू जिला में ब्यास नदी पर बनाई जानी है जिसे मै0 एवरेस्ट पावर प्रा0 लि0 नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की लागत `633.47 करोड़ है। इस परियोजना से 428 मैगा युनिट वार्षिक ऊर्जा उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने मै0 एवरेस्ट प्राइवेट लि0 के साथ 27.5.2002 को, तथा 14.1.2003 को एम.ओ.यू. तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता हस्ताक्षरित किया। यह परियोजना जुलाई, 2012 को चालू हो गई है।

12 बुधील जल विद्युत परियोजना (70 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 लैंको ग्रीन पावर प्रा0लि0 को प्रदान की गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत `418.80 करोड है। एम.ओ.यू. मै0 लैंको पावर प्राईवेट लि0 और सरकार के साथ 23.9.2004 को हस्ताक्षरित हुआ। कार्यान्वयन समझौता पर 22.11.2005 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना अगस्त, 2012 को चालू हो गई है।

13. नियोगल जल विद्युत परियोजना (15 मैगावाट)

नियोगल जल विद्युत परियोजना कांगड़ा जिला के नियोगल जो की ब्यास नदी की सहयोगी नदी है पर बनाई जानी है। यह परियोजना मै0 ओम पावर कार्पोरशन लि0 नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत `61.74 करोड़ होगी। इस परियोजना से वार्षिक उत्पादन 82 मैगा यूनिट होना है। इस परियोजना के निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का मै0 ओम पावर कार्पोरेशन लि0 नई दिल्ली के साथ एम. ओ.यू. 28.8.1993 को हस्ताक्षरित हुआ है। कम्पनी के साथ 4.7.1998 को जो कार्यान्वयन समझौता हुआ था, कम्पनी के द्वारा समय पर परियोजना का कार्य शुरू न करने पर एंव वित्तीय औपचारिकताएं पूर्ण न कर पाने की वजह से 27.11.2004 को रदद् कर दिया है जिस का फैसला केबिनेट ने 31.5.2004 को लिया था। उर्जा खरीदने के लिए हि0प्र0रा0वि0प0लि0 के साथ कम्पनी ने 27.10.2006 को समझौता हस्ताक्षरित किया। यह परियोजना मई 2013, में चालू हो गई हैं।

ब निष्पादनाधीन परियोजनाएंः

(i) निजी क्षेत्र मेंः

1. फोजल जल विद्युत परियोजना (9मैगावाट)

यह परियोजना मै0 फोजल पॉवर प्रा0 लि0, नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत `49.17 करोड़ है। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता क्रमशः 21.6.2000 एंव 13.04.2006 को हस्ताक्षरित हुआ। यह परियोजना वर्ष 2013–14 तक बन कर तैयार हो जाएगी।

2. तागंनू रोमांई स्टेज–। जल विद्युत परियोजना (44 मैगावाट) तांगनू रोमांई हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट शिमला जिला के तांगनू रोमांई जो यमुना की सहायक नदी है पर स्थित है। यह परियोजना मै0 तांगनू रोवांई पावर जनरेशन प्राईवेट लिमिटिड को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत `239.73 करोड़ है। इस

परियोजना से विद्युत का वार्षिक उत्पादन 211.05 मैगा युनिट होगा। एम.ओ.यू. कम्पनी और सरकार के बीच 5.7.2002 को हस्ताक्षरित हुआ। सरकार और मै0 तांगनू रोवांई पावर जनरेशन लि0 के साथ क्रियान्वयन समझौता नई हाइड्रो उर्जा नीति के अन्तर्गत 28.7.2006 को कर लिया है। यह परियोजना 44 मैगावाट उत्पादन के लिए 2014–15 में चालू हो जाएगी।

3. तागंनू रोमांई स्टेज –।। जल विद्युत परियोजना (6मैगावाट)

तांगनू रोमाई स्टैज–।। जल विद्युत परियोजना शिमला जिला हि0प्र0 में तागनू रोमाई जो यमुना की सहायक नदी है पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश सरकार तथा कम्पनी के बीच एम.ओ.यू. क्रियान्वयन समझौता क्रमशः 5.7.2002 एवं 28.7.2006 को हस्ताक्षरित हुआ। परियोजना के मुख्य घटकों में अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। यह परियोजना 6 मैगावाट उत्पादन के लिए 2013–14 में चालू हो जाएगी।

4. लम्बाडुग जल विद्युत परियोजना (25 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 हिमाचल कन्सोरिटीयम पावर प्राईवेट लि0 को प्रदान की गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत `149.81 करोड़ है। कार्यान्वयन समझौता 14.6.2002 एवं 28.1.2006 को मै0 हिमाचल कन्सोरिटीयम पावर प्राईवेट लि0 के साथ हस्ताक्षरित किया गया। कम्पनी भू–अर्जन संबंधी विभिन्न प्रकार की निकासी की प्रक्रिया में है। यह परियोजना उत्पादन के लिए वर्ष 2014–15 में तैयार हो जाएगी।

5. बड़ागांव जल विद्युत परियोजना (24 मैगावाट)

यह परियोजना मैं0 कन्चनजंगा पावर प्रा0लि0, एफ–34, सैक्टर नोयडा (यू0पी0) को दी गई है। इस परियोजना की लागत `168.09 करोड़ हैं। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता क्रमशः 6.6.2002 एंव 25.11.2006 को हस्ताक्षरित हुआ। अनुपूरक कार्यान्वयन समझौते पर 12.1.2009 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना वर्ष 2014–15 तक बन कर तैयार हो जाएगी।

6. बनेर–।। जल विद्युत परियोजना (6 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 प्रोडिजी हाइड्रो पावर प्राईवेट लिमिटिड को दी गई है। इस परियोजना की लागत `30.36 करोड़ हैं। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 29.5.2000 तथा 1.10.2001 को हस्ताक्षर किए गए। अनुपूरक कार्यान्वयन समझौते पर 9.8.2007 को हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना वर्ष 2013–14 में चालू हो जाएगी।

7. रौड़ा जल विद्युत परियोजना (8 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 डी.एल.आई. पावर इंडिया प्रा0 लि0 पूना को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत `42.03 करोड़ है। एम.ओ.यू. एवं कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 4.2.1996 एवं 24.3.2008 को हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना वर्ष 2014–15 में चालू हो जाएगी।

8. सोरंग जल विद्युत परियोजना (150 मैगावाट)

यह परियोजनामै0 हिमाचल सोरंग पावर प्राईवेट लि0 को दी गई है। इस परियोजना की लागत `586.00 करोड़ हैं। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौतों पर क्रमशः 23.9.2004 एवं 28.1.2006 को हस्ताक्षरित किए गए। उत्पादकों द्वारा 50 मैगावाट क्षमता बढ़ाने के साथ सोरंग जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता 150 मैगावाट तक प्रस्तावित है। परियोजना 100 मैगावाट तक वर्ष 2013–14 तक चालू हो जाएगी।

9. तिदोंग–। जल विद्युत परियोजना (100 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 नुजीवीदु सीडज प्रा0लि0 सिकन्दरावाद को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत `500.11 करोड़ हैं। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौतों पर क्रमशः 23.9.2004 एंव 28.07.2006 को हस्ताक्षरित किए गए। यह परियोजना वर्ष 2014–15 तक चालू हो जाएगी।

10. चांजु–। जल विद्युत परियोजना (36 मैगावट)

यह परियोजना मै0 इण्डो आर्या सैन्ट्रल ट्रांसपोर्ट्स को दी गई है। 25 मैगावाट संस्थापितं क्षमता के लिए एम0 ओ0यू0 20–12–2007 को हस्ताक्षरित किया गया। 36 मैगावाट के लिए हि0प्र0रा0वि0 बो0लि0 ने टेक्नो इकोनोमिक कलीयरैंस के लिए डी0पी0आर0 प्रस्तुत की है जिसके कार्यान्वयन समझोता पर 12–06–2009 को हस्ताक्षर हुए हैं। यह परियोजना वर्ष 2014–15 तक चालू हो जाएगी।

11 कूट जल विद्युत परियोजना (24 मैगावाट)

कुट जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 कूट एनर्जी प्रा0 लि0, नोयडा, यू0 पी0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 28.04.2007 व 25.05.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना की अनुमानित लागत `196.50 करोड़ है। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2013–14 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

12 लोअर ऊहल जल विद्युत परियोजना (13 मैगावाट)

लोअर ऊहल जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 ट्राईडेंट पॉवर सिस्टम लि0, के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 05.02.2005 व 29.12.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2014–15 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

13 कूर्मी जल विद्युत परियोजना (8 मैगावाट)

कूर्मी जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 चण्डीगढ़ डिस्टीलरज़ एवं बोटलरज़ लि0 के बीच एम. ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 19.06.2007 व 10.01.2009 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के सभी मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2013–14 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

14 राला जल विद्युत परियोजना (9 मैगावाट)

राला जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 तरांडा हाइड्रो पॉवर प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः

18.10.2006 व 07.11.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के सभी मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2014–15 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

15 अप्पर नांती जल विद्युत परियोजना (12 मैगावाट)

अप्पर नांती जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 नांती हाइड्रो पॉवर प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 27.10.2006 व 12.11.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2014–15 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

16 जोगिनी जल विद्युत परियोजना (16 मैगावाट)

जोगिनी जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 गंधारी हाइड्रो पॉवर प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 27.10.2006 व 19.11.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2014–15 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

17 नांती जल विद्युत परियोजना (14 मैगावाट)

नांती जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 सूर्य कांथा हाइड्रो पॉलट्रीज़ प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. दिनांक 12.11.2005 और कार्यान्वयन समझौता हि0 प्र0 सरकार व मै0 सूर्य कांथा हाइड्रो एनर्जिज प्राइवेट लि0 के साथ दिनांक 12.11.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2014–15 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

18 पौडिताल लासा जल विद्युत परियोजना (24 मैगावाट)

पौडिताल लासा जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 श्री जयलक्ष्मी पॉवर कॉरपोरेषन लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 06.06.2002 व 26.10.2006 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2015–16 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

19 रौरा–2 जल विद्युत परियोजना (20 मैगावाट)

रौरा–2 जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 चण्डीगढ़ डिस्टीलरज़ एवं बोटलरज़ लि0 के बीच एम.ओ.यू. दिनांक 27.10.2006 और कार्यान्वयन समझौता हि0 प्र0 सरकार व मै0 रौरा नॉन–कन्वैनशनल एनर्जिज प्राइवेट लि0 के साथ दिनांक 1.10.2009 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2015–16 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

20 ब्रुआ जल विद्युत परियोजना (9 मैगावाट)

ब्रुआ जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 कॉन्टीनैन्टल कम्पोनैन्टस प्राइवेट़ लि0 के बीच एम.ओ.यू. दिनांक 09.12.2000 और कार्यान्वयन समझौता हि0 प्र0 सरकार व मै0 ब्रुआ हाइड्रोवॉट प्राइवेट लि0 के साथ दिनांक

23.09.2011 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2013–14 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

21 ज्यूरी जल विद्युत परियोजना (9.6 मैगावाट)

ज्यूरी जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 टैकनोलॉजी हाअस प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 12.01.2005 व 23.02.2011 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2015–16 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

22 बलारगा जल विद्युत परियोजना (9 मैगावाट)

बलारगा जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 संध्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बलारगा प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 03.11.2006 व 07.11.2012 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2015–16 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

23 राजपुर जल विद्युत परियोजना (9.9 मैगावाट)

राजपुर जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 राजपुर हाइड्रो पावर प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 31.07.2001 व 16.05.2013 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2015–16 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

24 बजोली होली जल विद्युत परियोजना (180) मैगावाट

बजोली होली जल विद्युत परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 जी0 एम0आर0 बजोली होली हाइड्रो पावर प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 15.02.2008 व 29.03.2011 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2016–17 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

निर्माणाधीन परियोजनाएंः

i) हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड के अधीन –

परियोजना का नाम	स्थापित क्षमता (मै0वा0)	सम्भावित उत्पादन (मि0यू0)	चालू होने की सम्भावित तिथि
उहल चरण–III	100.00	391.19	मार्च, 2015
घानवी चरण–II	10.00	56.30	मार्च, 2014
कुल	**110.00**	**447.49**	

1. उहल जल विद्युत परियोजना चरण–।।। (100मै0वा0)

नेरी और राणा खड्ड के अन्तर्ग्रहण के निर्माण कार्य दिसम्बर, 2011 तथा सर्ज साफ्ट के निर्माण कार्य जनवरी,2012 में पूरे कर लिये हैं। मुख्य सुरंग के अतिरिक्त परियोजना के दूसरे अन्य निर्माण कार्य जून,2014 में पूर्ण कर लेने का अनुमान है। परियोजना के कार्य बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले है जो कि अपर्याप्त संचार व्यवस्था, कमजोर भू–संरचना, प्रवेश द्वार से मुख्य सुरंग का निर्माण रेतीले पत्थरों, मिट्टी युक्त पत्थरों व कंकरीले पत्थरों के साथ भारी मात्रा में पानी के प्रवाह से मिश्रित हैं। ठेकेदारों द्वारा कार्य की धीमी गति व ठीक

ढ़ंग से कार्य न करने के कारण मुख्य सुंरग की सविंदा को दो बार निरस्त करना पड़ा, तदोपरान्त मुख्य सुंरग का शेष कार्य ठेकेदार को दिनांक 15.10.2010 को अवार्ड किया गया। मुख्य सुंरग की खुदाई का कार्य मार्च, 2013 में पूर्ण कर लिया गया है तथा इसका सम्पूर्ण कार्य दिसम्बर, 2014 तक पूरा करने का अनुमान है। परियोजना की कुल लागत मार्च, 2008 के मुल्यों पर आधारित `940.84 करोड़ है। चुलाह से बस्सी, 132 के.वी. सिंगल सर्कट (15.288 कि0मी0) और चुलाह से हमीरपुर 132 के.वी. डवल सर्कट (34.307 कि0मी0) ट्रांसमिशन लाईन का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

2. घानवी जल विद्युत परियोजना चरण –2 (10 मै0वा0)

घानवी द्वितीय चरण परियोजना घानवी नाला पर जो की सतलुज नदी की सहायक उपनदी है पर जल प्रवाह आधारित है। इस परियोजना में घानवी नाला के पानी को बदलने के लिए ड्राप टाइप ट्रैचं वीयर प्रस्तावित है। बदला गया पानी 1.8 मीटर ब्यास की डी आकार 1440 मीटर लम्बी सुरगं तथा पैन स्टाक पावर हाउस के नजदीक विभाजित हो कर भूमिगत पावर हाउस में दो टरवाईनों को 10 मै0वा0 विद्युत उत्पादन करने के लिए लाया जाएगा। जिसमें 165 मीटर का कुल हैड और 7 क्यूमैक्स का डीसचार्ज होगा। वार्षिक विद्युत उत्पादन 75 प्रतिशत विश्सनीय वर्ष में 56.30 मि0 यू0 आंका गया है। सभी घटकों जैसे सिविल, हाईड्रोमकैनिकल इत्यादि कार्य पूर्ण कर लिए गए है। मशीनों का अन्तिम परीक्षण प्रगति पर है। इनटेक क्षेत्र विकास कार्य तथा विद्युत गृह के समापन कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना की कुल अनुमानित लागत दिसम्बर, 2009 के मुल्यों पर आधारित `99.80 करोड़ है। परियोजना के सिविल कार्यों पर नवम्बर, 2013 के अन्त तक `103. 00 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं। परियोजना के 31.03.2014 तक चालू होने की सम्भावना है।

निर्माणाधीन परियोजनाएं:

ii) हि0 प्र0 पा0 का0 लि0 के अधीन परियोजनाएं :–

परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)
1.साबड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना	111
2.एकीकृत कशाँग जल विद्युत परियोजना (चरण– I, I I, I I I)	195
3.सैंज जल विद्युत परियोजना	100
4.शौंग टोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना	450
जोड़	**856**

<u>हि0प्र0पा0का0लि0 के द्वारा निर्माणाधीन/ निष्पादनाधीन परियोजनाएं:</u>

1. साबड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना (111 मैगावाट)

साबड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना (111 मैगावाट) रोहड़ू के समीप शिमला जिला में पब्बर नदी पर विकसित की जा रही है। सनेल गांव के समीप पब्बर नदी के बाएं तरफ भूमिगत विद्युतगृह स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना 213.50 मी0 कुल उंचाई से प्रति वर्ष 385.78 लाख यूनिट `4.44 प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा उत्पन्न करेगी। यह परियोजना दिसम्बर,2015 में पूर्ण हो जाएगी। सभी संवैधानिक कार्य विशेष एजैंसी के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके कार्य को चार पैकेज में बांटा गया है और इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस

परियोजना के एच0आर0टी0 में भूगर्भीय परेशानियां उत्पन्न हो गई है जिसका तकनीकी समाधान मिल गया है और यह परियोजना वर्ष 2015 में पूर्ण हो जाएगी।

2. एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना (243 मैगावाट)

एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना कशांग और कैरांग नालों जोकि सतलुज नदी की उपनदियां हैं पर निम्न चार अवस्थाओं में बनाया जा रहा है:–

- **चरण–I (65 मैगावाट):** प्रथम चरण में कशांग नाले का पानी मोड़कर कुल 830 मी0 ऊंचाई का उपयोग करके सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर पवारी गांव के नजदीक भूमिगत विद्युतगृह में प्रति वर्ष 245.80 लाख यूनिटस `2.85 प्रति यूनिट दर पर उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना एच0पी0पी0सी0एल0 द्वारा जुलाई 2014 को चालू कर दी जाएगी।
- **चरण–II एवम् III (130 मैगावाट):** प्रथम चरण की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए केरांग धारा का पथांतरण कर भूमिगत जल परिचालक तंत्र द्वारा प्रथम चरण की उपरी धारा में सम्मिलित कर प्रथम चरण की उपलब्ध 820 मी0 उंचाई का उपयोग करके प्रति वर्ष 790.93 लाख यूनिटस `1.81 प्रति यूनिट का उत्पादन किया जाएगा।
- **चरण–IV (48 मैगावाट):** यह एक आत्मनिर्भर योजना है जिसमें केरांग धारा की संभावित उर्जा को द्वितीय चरण के पथांतरण जगह की उपरी धारा से प्राप्त किया जाएगा। इस योजना में लगभग 300 मी0 उंचाई का उपयोग कर केरांग धारा के दाहिने किनारे भूमिगत विद्युतगृह बनाकर ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा।

3. सैंज जल विद्युत परियोजना (100 मैगावाट)

सैंज जल विद्युत परियोजना का विकास कुल्लू जिला में सैंज नदी पर किया जा रहा है, जोकि ब्यास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना में बांध के पानी को मोड़कर जो सैंज नदी पर निहारनी गांव के समीप है का कुल 409.60 मी0 उंचाई का उपयोग करके सैंज नदी के दाहिने किनारे पर सूंढ गांव के नजदीक भूमिगत विद्युतगृह में प्रति वर्ष 322.23 लाख यूनिटस `3.74 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना ई.पी.सी. विधि द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।इस परियोजना के पूर्ण होने का समय दिसम्बर,2015 रखा गया है, जबकि एच0पी0पी0सी0एल0 के द्वारा इस परियोजना के पूर्ण होने की अवधि अगस्त,2015 की गई है।

4. शौंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना (450 मैगावाट)

शौंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर जिला किन्नौर में पोवारी गांव के पास स्थित है और सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर रली गांव के समीप भूमिगत विद्युतगृह में कुल 129 मी0 उंचाई का उपयोग करके प्रति वर्ष 1578.95 लाख यूनिटस `3.98 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना ई.पी.सी विधि द्वारा निर्मित की जा रही हैं। इस परियोजना का सिविल और जल–यांत्रिक पैकेज अगस्त,2017 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

5. रेणुका डैम जल विद्युत परियोजना (40मैगावाट):

परियोजनाएं	संख्या	क्षमता (मै0वा0)
कुल आंवटित परियोजनाएं (अस्तित्व में)	472	1218.46
कार्यान्वयन समझौते चरण पर	227	737.67
i) स्थापित	56	221.55
ii) निर्माणाधीन	51	182.60
iii) अनुमतियां प्राप्त करने के चरण में	120	333.52
पूर्व कार्यान्वयन समझौते चरण पर	245	480.79
i) अनुमतियां प्राप्त करने के चरण में	143	307.42
ii) सर्वेक्षण व अन्वेषण चरण में	102	173.37

रेणुका डैम जल विद्युत परियोजना जो ददाहू जिला सिरमौर में गिरी नदी पर शुरू की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए पेयजल की आपूर्ति योजना के लिए 148 मीटर उंची चटटान से पानी गिराकर छोर पर विद्युत गृह बनाया जाएगा। इसके जलाशय में 49,800 हैक्टर मीटर पानी का संग्रह सुनिश्चित किया जाएगा तथा जिसमें से 23 क्युविक मीटर पानी दिल्ली को स्थिर आपूर्ति के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश प्रति वर्ष 199.99 लाख यूनिटस `2.38 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन अपने उपयोग के लिए करेगा। मार्च, 2009 के भावों के स्तर पर इस परियोजना के निर्माण की लागत सी0डब्लू0 सी/सी0ई0ए0 द्वारा `3,498.86 करोड़ निर्धारित की है, जिसका भार भारत सरकार/दिल्ली सरकार तथा अन्य लाभान्वित राज्य उठाएगें।

6. **अन्य ऊर्जा विकास क्षेत्र :–**

हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन जल विद्युत विकास के अलावा ऊष्मीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीनीकरण स्त्रोत्र, राज्य के विकास और भारतीय राष्ट्र की बदली ऊर्जा मांगो को पूरा करने के लिए अपनी विकास गतिविधियों में विविधता लाने का इरादा रखती है। हि0 प्र0 पा0 का0 लि0 संयुक्त उपक्रम द्वारा रानीगंज, पश्चिम बंगाल में ऊष्मीय ऊर्जा सयंत्र स्थापित कर रहा है। आंबटित कोयला खदान हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधिश के समक्ष विचाराधीन है। जिला बिलासपुर के नयना देवी मन्दिर क्षेत्र में सौर ऊजा के लिए (बेरा–डल–5 मेगावाट) क्षेत्र का चयन किया गया है।

हिमऊर्जा

हिमऊर्जा के अधीन परियोजनाएं:

(5 मैगावाट क्षमता तक)

हिमऊर्जा द्वारा हि0प्र0 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत के विकास:

हिमऊर्जा ने नवीकरणीय उर्जा को लोकप्रिय बनाने हेतु भरसक प्रयास किए हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया गया है। उर्जा कार्यकुशल तथा अपारम्परिक उर्जा साधनों जैसे सौर जल तापीय संयंत्र, सौर प्रकाशवोल्टिय रोशनियां इत्यादि को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास जारी हैं। हिमउर्जा सरकार को राज्य में लघु जल विद्युत (5 मैगावाट तक) के तीव्र दोहन हेतू भी सहायता प्रदान कर रही है। वर्ष 2013–14 के दौरान उपलब्धियां दिसम्बर,2013 तक तथा मार्च,2014 तक प्रत्याशित तथा वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा निम्न है:

क lkSj m”.rk lacU/kh dk;Zdze

i) सौर जल तापीय संयत्रः दिसम्बर,2013 तक 1,68,050 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापीय संयत्र मार्केट मोड माध्यम से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए हैं मार्च,2014 तक प्रत्याशित उपलब्धि 2,00,000 लीटर प्रतिदिन होगी। वर्ष 2014–15 के लिए 2,00,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापीय संयत्रो की स्थापना का लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत रखा गया है।

ii) सौर कुक्करः इस वितीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2013 तक 1658 वाक्स टाईप तथा 56 डिश टाईप सौर कुकर की जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत जारी किए गए हैं तथा मार्च,2014 तक 2,000 वाक्स टाईप तथा 90 डिश टाईप सौर कुकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाए जाने प्रस्तावित है। वर्ष 2014–15 के लिए 2,000 वाक्स टाईप तथा 200 डिश टाईप सौर कुकर का लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर fe’ku के अन्तर्गत रखा गया है।

ख सौर प्रकाशवोल्टिय कार्यक्रम

i) सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोषनियाः वित वर्ष 2013–14 के दौरान 16,012 सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनीयां सामूहिक प्रयोग के लिए दिसम्बर,2013 तक स्थापित की जा चुकी हैं, मार्च,2014 तक की प्रस्तावित उपलब्धि 27,800 होगी। भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के लिए 20,000 सौर प्रकाशवॉल्टिय गली रोशनियों की लक्ष्य की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

(ii) सौर प्रकाशवोल्टिय ऊर्जा संयंत्रः 31 मार्च,2014 तक 150 किलोवाट सौर प्रकाशवोल्टिय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत (90:10) के आधार पर प्रस्तावित है। वर्ष 2014–15 के लिए 5 मैगावाट सौर प्रकाशवोल्टिय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है जो कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन/ जन–जातीय उपयोजना (90:10) के अन्तर्गत है।

ग निजि क्षेत्र की सहभागिता से निष्पादित की जा रही 5 मैगावाट क्षमता तक की लघु/ छोटी जल विद्युत परियोजनाएं

इस अवधि के दौरान 41 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 110.65 मैगावाट है के लिए कार्यान्वयन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 4 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 16 मैगावाट है, स्थापित की गई है। 4 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 6.55 मैगावाट हैं वर्ष के दौरान आंवटित की गई है। वर्ष 2014–15 के लिए 16 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 65.10 मैगावाट है की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

घ हिमऊर्जा द्वारा निष्पादित की जा रही लघु/छोटी जल विद्युत परियोजनाऐं

i) लघु/ छोटी जल विद्युत परियोजनाएंः हिमऊर्जा द्वारा चलाई जा रही लघु विद्युत परियोजनाएंः लिंगटीं (400 किलोवाट), कोठी (200 किलोवाट), जुथेड़ (100 किलोवाट), पुरथी (100 किलोवाट),

सुराल (100 किलोवाट), घरोला (100 किलोवाट) तथा साच (900 किलोवाट) तथा विलिंग (400 किलोवाट) जिनमें उत्पादन हो रहा है। वर्तमान वर्ष के दौरान दिसम्बर,2013 तक इन परियोजनाओं से 30,18,205 यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है। अन्य परियोजनाऐं बड़ा भंगाल (40 किलोवाट) तथा सराहन (30 किलोवाट) भी हिमऊर्जा द्वारा निष्पादित की गई है। बड़ा भंगाल परियोजना से बिजली की आपूर्ति स्थानीय लोगों को बहुत ही कम स्थिर मूल्य पर उपलब्ध करवाई जा रही है। 19 नई परियोजनाएं हिमउर्जा को सरकार द्वारा आवंटित की गई हैं। इनमें से 16 परियोजनाओं (63.05 मैगावाट) चलने लायक है जिनमें से 15 की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर ऊर्जा निदेशालय को तकनीकी आर्थिक प्रमाण पत्र के लिए भेजी गयी हैं। 14 परियोजनाओं हेतु तकनीकी आर्थिक प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए हैं। शेष 1 परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।अब प्रदेश सरकार द्वारा 13 परियोजनाओं का आंवंटन रदद् कर दिया गया है व शेष 3 परियोजनाओं जिनकी क्षमता 14.50 मेगावाट है का निष्पादन हिमऊर्जा द्वारा किया जाना है।

ii) लघु जल विद्युत जनरेटर सेटसः

हिमऊर्जा ने चम्बा जिला के पांगी उप–मण्डल में लघु जल विद्युत जनरैटर सेटस स्थापित किए हैं। पांगी घाटी में स्थापित जनरेटर से सैचू, साहली तथा हिल्लौर को बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इनमें मीटर नहीं लगे हैं। इनसे स्थानीय लोगों / नजदीकी क्षेत्र को बहुत ही कम स्थिर मुल्य पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। इनके रख रखाव तथा मुरम्मत पर होने वाला खर्च इनसे प्राप्त होने वाली आय की तुलना में बहुत अधिक है।

(ड़) राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क

हिमउर्जा द्वारा भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की स्कीम अनुसार 2 राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना की जानी है जिनकी नवीनतम प्रगति निम्न प्रकार है:

- उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना का कार्य कुछ छोटे अंतिम परिष्करण के अतिरिक्त तकरीवन पूरा हो चुका है और आगामी रख–रखाव के लिए उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय को मार्च,2013 में हस्तान्तरित कर दिया गया है।
- एन.आई.टी. हमीरपुर, हि0 प्र0 में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने हेतु विभिन्न सयंत्रों की आपूर्ति और स्थापना का कार्य कम्पनी को दे दिया गया है और यह पूरा होने के अंतिम चरण में है।

(च) lkSj 'kgjksa dk fodkl

शिमला तथा हमीरपुर शहर को भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम अनुसार सौर शहरों के रूप में विकसित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उदे्श्य आगामी 5 वर्षों के दौरान पारम्परिक ऊर्जा की मांग में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी लाना है जो कि ऊर्जा गुणवता माप तथा अक्षय उर्जा की आपूर्ति में वृद्वि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। शिमला को सौर शहर के रूप में विकसित करने हेतु अन्तिम मास्टर प्लान भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को अनुमोदन हेतु भेजा गया है तथा हमीरपुर सौर शहर

वारे अन्तिम मास्टर प्लान के प्रारूप को परामर्शदाता द्वारा भारत सरकार के सुझावों अनुसार अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(छ) क्षेत्र विषे"ा प्रदर्षन परियोजना स्कीम

इस स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के 12 उपायुक्त कार्यालयों के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। इन 12 उपायुक्त कार्यालयों में एक 4 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट तथा 200 लीटर प्रतिदिन क्षमता का सौर जल तापीय संयत्र मार्च,2014 तक स्थापित कर लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त रैनसर में एक 10 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट किबर में 31–3–2014 तक स्थापित करना प्रस्तावित है।

(ज) बजट प्रावधानः

वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य योजना/ गैर योजना के अंतर्गत आंवटित बजट अनुसार ` 247.00 लाख आई.आर.ई.पी. तथा एन.आर.एस.ई. के तहत राज्य में अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के विकास तथा जल विद्युत परियोजनाओं के कार्य को पूरा करने के लिए खर्च किए जाएंगे।

14- ifjogu ,oa lapkj

lM+dsa rFkk iqy (jkT; {ks=)

14.1 सडकें आधारभूत ढांचे के लिए आवयश्क घटक हैं। जल मार्ग तथा रेलवे जैसे संचार के विशेष व अनुकूल साधन न के बराबर होने के कारण सड़कें ही हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हिमाचल प्रदेश में न के बराबर सड़कों से आरम्भ करके प्रदेश सरकार ने दिसम्बर, 2013 तक 34,945 कि0मी0 वाहन चलने योग्य सड़कें जिसमें जीप एवम् ट्रैक सड़कें भी सम्मिलित हैं, का निर्माण कर लिया है। इस प्रकार सरकार सड़कों के क्षेत्र को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2013–14 के लिए इस हेतू `812.55 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया। वर्ष 2013–14 का लक्ष्य एवं दिसम्बर, 2013 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

सारणी 14.1

मद	इकाई	लक्ष्य 2013–14	उपलब्धियां दिसम्बर 2013 तक	2013–14 सम्भावित
1	2	3	4	5
वाहन चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	589	360	550
जल निकास	कि0मी0	1474	722	1000
पक्की तथा विरालित सड़कें	कि0मी0	913	551	700
जीप चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	40	5	25
पुल	संख्या	63	26	50
गांव जुड़े	संख्या	155	70	155

14.2 हिमाचल प्रदेश में 31–12–2013 तक 9,987 गांव सड़कों से जोड़े गये जिनका ब्यौरा सारणी 14.2 में दिया जा रहा हैः–

सारणी 14.2

सडकों से जुडे गांव	31 मार्च को संख्या				दिसम्बर
	2010	2011	2012	2013	2013 तक
1	2	3	4	5	6
1500 से अधिक आबादी वाले गांव	205	208	208	208	208
1000–1499 की जनसंख्या वाले	266	266	268	270	271
500–999 की जनसंख्या वाले	1208	1216	1231	1238	1243
250–499 की जनसंख्या वाले	3191	3240	3316	3374	3403
250 से कम की जनसंख्या वाले	4671	4700	4765	4827	4862
कुल	**9541**	**9630**	**9788**	**9917**	**9987**

jk"Vzh; mPp ekxZ (dsUnzh; {ks=)

14.3 हिमाचल प्रदेश में 1,553 कि0मी0 लम्बे राज्य उच्च मार्ग जिसमें शहरी लिंक रोडज तथा बाई पास सम्मिलित हैं, के सुधार के कार्य इस वर्ष भी जारी रहे। दिसम्बर,2013 तक `65.61 करोड़ खर्च किये गये।

jsyos

14.4 प्रदेश में केवल दो छोटी लाईने शिमला–कालका (96 किलोमीटर) और जोगिन्द्रनगर–पठानकोट (113 किलोमीटर) तथा नंगल डैम–चरूडू (33 किलोमीटर) बडी लाईन है।

iFk ifjogu

14.5 पथ परिवहन राज्य में आर्थिक कार्यक्लाप हेतु यातायात का एक मुख्य साधन है क्योंकि अन्य परिवहन सेवाएं जैसे रेलवे, वायुमार्ग, टैक्सी, ऑटो रिक्शा इत्यादि नगण्य के बराबर है। इसीलिए पथ परिवहन को प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की स्थापना आर.टी.सी. अधिनियम–1950 के अन्तर्गत की गई जिससे प्रदेश के लोगों को दक्ष, पर्याप्त एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। निगम के राजस्व में वर्ष 2013–14 में `58 करोड़ की वृद्धि होने का अनुमान है। हिमाचल पथ परिवहन निगम लोगों को राज्य में तथा राज्य के बाहर 2,020 बसों (अक्तूबर,2013 तक) द्वारा यात्री परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। एच.आर.टी.सी. द्वारा प्रतिदिन लगभग 4.50 लाख किलोमीटर दूरी के साथ 2,151 रूटों पर बस सेवाएं चलाई जा रही हैं।

14.6 लोगों की सुविधा के लिए निम्नलिखित योजनाएं इस वर्ष भी लागू रहीं।

i) **यलो तथा स्मार्ट कार्ड योजनाः** निगम ने यात्रियों को आकर्षित करने के लिए यलो एवं स्मार्ट कार्ड नाम की योजना शुरू की गई है। इन कार्डो की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है। निगम में समूह छूट योजना भी लागू की है।

ii) **वाल्वो लग्जरी वातानुकुल बसेः–** इस वर्ष निगम द्वारा 12 वॉल्वो तथा 20 डीलक्स वातानुकुलित नई बसें अपने बेड़े में शामिल की गई है।

iii) **ग्रीन कार्ड योजनाः** निगम द्वारा नवम्बर, 2013 से ग्रीन कार्ड स्कीम की शुरूआत की गई है। इस स्कीम के तहत ग्रीन कार्ड धारक को निगम की बसों में यात्रा करने पर किराए में 30 प्रतिशत की छूट दी जाती है यदि कार्ड धारक 40 कि0मी0 से अधिक तथा 60 कि0मी0 से कम दूरी तक यात्रा करता है।

iv) **सरकारी स्कूलों के छात्रों तथा अन्य वर्गों के लिए निःषुल्क यात्रा सुविधाः** सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले +2 कक्षा तक के छात्रों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में दिनांक 01.04.2013 से निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई तथा शौर्य अवार्ड विजेताओं को निगम की साधारण बसों के अतिरिक्त डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है और साथ ही महिलाओं को **रक्षा बन्धन** तथा **भैया दूज** के अवसर पर निगम द्वारा निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है तथा मुस्लिम महिलाओं को **ईद** तथा **बकरीद** के अवसर पर निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है और साथ ही निगम द्वारा 50 कि0 मी0 से कम दूरी वाले रूटों पर चलने वाली साधारण बसों में विशेष वर्ग से सम्बन्धित यात्रियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं।

v) **षिमला शहर में टैक्सी सेवाएं:** निगम द्वारा प्रतिबन्धित मार्गों पर वरिष्ठ नागरिकों, अपंगों, बच्चों, रोगियों तथा अन्य लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए टैक्सी सेवाएं चलाई जा रही हैं।

vi) **ऑन लाईन बुकिंग:**एच.आर.टी.सी. ने अपनी बसों की ऑनलाईन बुकिंग शुरू की है। यात्रा दिवस से कम से कम पाँच दिन पहले ऑनलाईन टिकट आरक्षित करने पर यात्रियों को किराए में 5 प्रतिशत छूट दी गई है। लोक मित्र केन्द्रों तथा डाकघरों को भी यात्रियों को टिकट जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

vii) **बस अडडों का विस्तार एवं निर्माण:** हि0प्र0 बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण ने हमीरपुर, परवाणु, ऊना, मनाली, बद्दी, ढली, लक्कड़ बाजार शिमला, कुल्लू, नूरपुर, नालागढ़, चम्बा एवं मनीकरण जैसे मुख्य स्थानों पर बस अड्डों के निर्माण के लिए भूमि चयनित की गई है। इन स्थानों को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप हेतु चरणबद्ध तरीके से विज्ञापित किया जाएगा। जहाँ पर पी.पी.पी. भागीदार उपलब्ध नहीं होंगे, उन बस अड्डों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

viii) **जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत बसों की खरीद तथा सम्बन्धित अधोसंरचना का विकास:** 13 क्लस्टरज़ की अधोसंरचना विकास तथा 1,123 बसें उपलब्ध करवाने हेतु `471 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके शहरी परिवहन मन्त्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की गई है। शहरी परिवहन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा 800 बसें खरीदने तथा सम्बन्धित अधोसंरचना के विकास के लिए `298 करोड़ स्वीकृत कर दिए गए हैं।

i) **आई.आर.टी.एस. को लागू करना:** एच.आर.टी.सी. ने **आई.आर.टी.एस.** को लागू करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बसों की गतिविधि व कार्यक्षमता मापने के लिए बसों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाईस (वी.टी.एस.) लगाए जा रहे हैं। बस अड्डों पर यात्रियों को सूचित करने के लिए यात्री सूचना पैनल लगाए जाएंगे।

ii) यात्रियों की शिकायतों व समस्याओं के समाधान के लिए 24X7 हेल्पलाईन सेवा शुरू की दी गई है।

परिवहन विभाग

14.7 हिमाचल प्रदेश में रेल, हवाई व वाहन जल सेवाऐं नाम मात्र है। इसलिये राज्य अधिकतर सड़क सेवाओं पर निर्भर है। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग का कार्य विभिन्न नियमों/अधिनियमों को क्रियान्वित करना है इसमें मुख्य रूप से केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत अनुसरण आदि करना है। विभाग का मुख्य कार्य गाड़ियों का पंजीकरण, परमिट जारी करना, वैद्यता प्रमाण–पत्र, प्रदूषण को सख्ती से चैक करना इत्यादि केंन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम व उसके अंतर्गत आने वाले नियमों को लागू करना है। परिवहन विभाग प्रदेश में परिवहन प्रणाली को लागू करने, पारदर्शिता के प्रति समर्पण और लोकहित नियंत्रण को उसके तहत प्रशासनिक मशीनरी और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के माध्यम से इस

अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों की अनुपालना करता है। राज्य और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण माल वाहन परमिट, स्टेज कैरिज परमिट, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और प्राईवेट सर्विस व्हीकल के परमिट जारी करता है। तदोपरान्त विभागीय अधिकारी मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान अनुसार परमिट को जारी, नवीकरण करना, वैद्यता प्रमाण–पत्र जारी करना, चालक लाईसैन्स, ड्राईविंग ट्रेनिग स्कूल का पंजीकरण, प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र प्रमाण पत्र जारी करने आदि कार्य का निपटान करते है।

इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न कर/शुल्क एकत्रित किए जा रहे हैं जैसे टोकन टैक्स, विशेष पथ कर कपोजिट शुल्क पथ प्रमाण–पत्र शुल्क, विशेष पंजीकरण शुल्क, पंजीकरण/ नियंत्रण शुल्क तथा लाईसेंस शुल्क द्वारा चालू वितीय वर्ष के दौरान `8,600.00 लाख विभाग को उपलब्ध करवाया गया जिसमें से ` 6,546.18 लाख हिमाचल पथ परिवहन निगम को जन–जातीय क्षेत्र में बस अडडे के निर्माण हेतु दिनांक 31.12.2013 तक स्कीम को पूंजीगत व्यय के रुप में जारी किया जा चुका है। वर्ष 2013–14 के लिये विभाग के लिये राजस्व प्राप्ति ` 24,688.00 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य के तहत दिनांक 30.11.2013 तक `13,734.47 लाख की राशि एकत्रित की गई है। वर्ष 2013–14 के दौरान दिनांक 31.12.2013 तक कुल 32,951 वाहनों के विभिन्न अपराधों के अंतर्गत चालान पेश किये गए जिनमें से `572.18 लाख की राशि वसूल की गई।

i) **हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोज़गार योजनाः–** विभाग द्वारा एक नई योजना संचालित की गई है जिसे हिम ग्रमीण परिवहन स्वरोजगार योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के अंर्तगत नई निर्मित सड़के मुख्यतः प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री पथ योजना पर 22 सीटों तक वाहनों के नए रूट परमिट दिए जा रहे हैं। बेरोज़गार युवाओं/ चालकों तथा परिचालकों की सहकारी सभा को नए रुट परमिट दिये जाऐंगे। मुख्यतः ग्रमीण क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सुविधाऐं प्रदान करने हेतु शत्–प्रतिशत ग्रमीण सड़कों को प्राथमिकता दी जाती है तथा शहरों से जुड़ने वाली सड़को में 20 प्रतिशत तक के राष्ट्रीय/राज्य मार्गो पर भी स्वीकृत किया जा सकता है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वार इस योजना के तहत जारी किये गए।

ii) **सड़क दुर्घनाओं को रोकने बारे मुख्य प्रयासः** परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए विभिन्न पग उठाए जा रहे हैं जिसमें कि वाहन चलाते समय मोबाईल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध, हल्के परिवहन वाहनों के ड्राईविंग लाईसैन्स के प्रशिक्षण की अवधि 30 से 60 दिन किये जाना, बसों के बढ़िया व सुरक्षित चालन सुनिश्चित करने हेतु स्टेज कैरिज परमिट पर अतिरिक्त शर्त लगाना, दुर्घटनाओं के विश्लेषण और कारणों के गहन अध्ययन के लिये एक योजना बनाना, ड्राईविंग स्कूलों का नियमित निरीक्षण, तीखे मोड़ व खतरनाक जगहों का निदान करना तथा बसों के असुरक्षित चालन पर परमिट को रदद करने का प्रावधान इत्यादि है।

iii) **उत्तराखण्ड राज्य से अनुबंध:** दोनों राज्यों के परिवहन साधनों को सुचारू तौर से चलाने के लिए उत्तराखण्ड सरकार से अनुबंध किया गया।

iv) **धर्मकांटा की स्थापना:** सामान ढोने वाले वाहनों के अधिक भार को नापने के लिए 8 धर्मकांटे, प्रवेश पुलों/अर्न्तराज्य सीमाओं पर लगाए गए।

v) **विभाग को कम्पयूट्रीकृत करना:** परिवहन विभाग वाहन मालिकों की बेहतर सुविधा के लिये परिवहन संबधी कार्यप्रणाली का मुख्य प्राथमिकता के आधार पर कम्पयूट्रीकरण करने जा रहा है। समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के कार्यालय तथा परिवहन बैरियरों औरं पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण को कम्पयूट्रीकृत किया जा चुका है। इन कार्यालयों और पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरणों के कार्यालयों को चरणबद्ध ढंग से ऑनलाईन किया जाऐगा।

vi) **उच्च सुरक्षा पंजीयन पटि्टकाः** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में हि.प्र. राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के पंजीकृत वाहनों की संख्या पटि्टका को उच्च स्तरीय सुरक्षित पंजीकृत पटि्टकाओं में बदलने का निर्णय लिया गया है

vii) **ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल/प्रदूषण नियंत्रण केंद्र:** वर्तमान में सरकारी, हिमाचल पथ परिवहन निगम एवं निजी क्षेत्र में 160 ड्राईविंग प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं तथा 3 हिमाचल पथ परिवहन निगम एवं 68 निजी प्रदूषण नियंत्रण केंद्र भी राज्य के विभिन्न स्थानों में कार्यरत हैं।

15- i;ZVu rFkk ukxfjd mM~M;u

15.1 हिमाचल प्रदेश में पर्यटन राज्य की आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान बनी है क्योंकि पर्यटन को भविष्य में आर्थिक विकास के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जा रहा है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (एस.जी.डी.पी.) में पर्यटन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। हिमाचल प्रदेश, भौगोलिक, सांस्कृतिक विभिन्नता, स्वच्छ एवं शांत वातावरण, मेहमानवाज लोग, पवित्र धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्मारक और महत्वपूर्ण व स्नेहिल लोगों से परिपूर्ण है।

15.2 हिमाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए समूचित संरचना का विकास किया है जिसमें जन उपयोगी सेवाऐं जैसे सड़कें, संचार साधन, हवाई अड्डे, परिवहन सुविधाएं, जलापूर्ति एवं नागरिक सुविधाओं का प्रावधान सम्मिलित हैं। वर्ष 2013–14 में पर्यटन विकास के लिए ` 2,838.71 लाख का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राज्य में 61,497 बिस्तरों की क्षमता के 2,769 होटल विभाग में पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में होम स्टे योजना के अन्तर्गत 1,350 कमरों वाली लगभग 500 इकाईयां पंजीकृत है।

15.3 राज्य में पर्यटन अधोसंरचना के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) 95 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वितीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसमें प्रथम चरण की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया जारी है। सरकार, द्वितीय चरण की परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार कर रही है। हमारा उद्देश्य बड़ी परियोजनाओं से गुणवता युक्त सुविधाएं पर्यटकों के लिए सृजित करना है। वित वर्ष 2013–14 के दौरान पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने निम्नलिखित सर्किट/गंतव्य को Prioritize किया हैः–

1. हिमाचल प्रदेश में बुद्विस्ट सर्किट का एकीकृत विकास।
2. ऊना–नादौन पर्यटक गंतव्य का एकीकृत विकास।

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने आगामी वित वर्ष के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को Prioritize किया हैः–

1. शिमला Suburbs पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास।
2. राज्य में Tourist Transit Zone को एकीकृत विकास।

इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्र स्तरीय परामर्शादाताओं (Consultants) द्वारा चिन्हित की गई परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एस.एल. पी.एम.ए.) को भी अनुमोदित किया है। अभी तक परामर्शदाता द्वारा नौ डीपीआर प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें से छह (6) डी.पी.आर. वितीय सहायता के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को भेजी गई हैं।

लीज के आधार पर पर्यटन से संबंधित

क0 सं0	विवरण	परियोजना लागत (` में)
1	शिमला में चिन्हित स्थानों पर वर्षा शालिकाओं के भू–दृश्य हेतु।	18,71,517
2	कसौली में बस स्टैंड से मन्दिर को जोड़ने के लिए वर्षा शालिका।	5,07,207
3	परिदृश्य स्थान नालदेहरा, शिमला के रास्ते के उत्थान हेतु ।	24,25,414
4	कसौली केन्ट बाजार में जन सुविधा निर्माण हेतु।	11,56,333
5	शिमला में जन सुविधा उन्नयन कार्य हेतु	21,70,537
6	शिमला में चिन्हित स्थानों पर सूचना एवम संकेतात्मक निर्देशन पट्ट के लिए।	28,20,809
7	सोलन में मोहन पार्क, जवाहर पार्क और बाल उद्यान के सौंदर्यकरण एवम परिदृशयकरण हेतु।(प्रस्तुत की जाएगी)	2,22,53,504
8	जिला सोलन के बड़ोग में नेचर टरेल के विकास एवम उन्नयन के लिए (प्रस्तुत की जाएगी) ।	2,55,30,919
9	जिला सोलन के नेचर टरेल करोल का टिबा के विकास एवम उन्नयन के लिए(प्रस्तुत की जाएगी)	5,84,28,198

15.4 विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के भिन्न–भिन्न स्थानों पर निम्नलिखित 7 रज्जू मार्ग निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से इन्हें बनाएं, चलाएं तथा स्थानान्तरित करने के आधार पर लगाने का प्रस्ताव है।

1. भून्तर से बिजली महादेव, जिला कुल्लू।
2. जिला शिमला में जाखू रज्जू मार्ग।
3. न्यूगल (पालमपुर), जिला कांगड़ा।
4. शाहतलाई से दियोटसिद्व, जिला बिलासपुर।
5. खनयारा से टरयूंड, जिला कांगड़ा।
6. टोबा से नयनादेवी जी जिला बिलासपुर।
7. गांव जिया से आदि हिमानी चामुण्डा।

इसके अतिरिक्त 6 (छह) स्थानों पर सार्वजनिक, निजी भागीदारी (पीपीपी) में गतिविधियां स्थापित करने के लिए EOI आमंत्रित करने का भी प्रस्ताव है। विभाग ने लीज का प्रारूप तैयार कर हिमाचल प्रदेश अधोसंरचना विकास बोर्ड (HPIDB) को अनुमोदन के लिए भेजा है।

क.सं.	स्थल का नाम
1.	बद्दी, जिला सोलन
2.	15 मील बड़ागांव,(मनाली) जिला कुल्लू
3.	झंटीगरी, जिला मण्डी
4.	शोजा बन्जार, जिला कुल्लू
5.	बिलासपुर, जिला बिलासपुर
6.	सुकैती, जिला सिरमौर

पर्यटन को बढ़ावा देने व पर्यटकों को आर्कषित करने के लिए वर्ष

भर प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक मिडिया में प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

15.5 पर्यटन विकास में पर्यटन सूचना का प्रसार महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री तैयार की है, जिसमें ब्राशर, पैम्फलेट, पोस्टर, ब्लोअप इत्यादि शामिल हैं।पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभाग देश व विदेश में विभिन्न पर्यटन मेलों/उत्सवों इत्यादि में भाग लेता है। पर्यटन निगम तथा निजी उद्यमियों के साथ देश में 30 से ज्यादा पर्यटन उत्सवों/मेलों में भाग लिया है।

15.6 इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्त वर्ष में विभाग ने प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समय–समय पर विज्ञापन जारी किए हैं। पर्यटन क्षेत्र में योजना गत व चिरस्थायी पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विभाग ने 20 वर्षीय दीर्घकालीन पर्यटन मास्टर प्लान तथा पर्यटन नीति 2013 और धर्मशाला Sustainable Tourism Action Plan भी तैयार किया है।

15.7 विभाग ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को ट्रैकिंग गाईड, जल–क्रीडा, स्कींग, ई.डी.पी., रीवर राफ्टिंग व वर्ड बॉचिग इत्यादि में प्रशिक्षण दे रहा है। विभाग, पर्यटन से संबधित विभिन्न प्रकार के क्रीड़ा/उत्सवों को प्रोत्साहन देता है विभाग ने वर्तमान वित्त वर्ष में विभिन्न निम्न उत्सवों/ क्रीड़ाओं में भाग लिया।

1. विश्व पर्यटन दिवस (दिनांक 27 सितम्बर,2013)
2. हिमालय उत्सव 2013 का आयोजन।
3. भारत भ्रमण उत्सव जयपुर, लखनऊ व गोवा में भाग लेना। भारतीय अन्र्तराष्ट्रीय भ्रमण प्रर्दशनी, इन्दौर, भारतीय अन्र्तराष्ट्रीय भ्रमण पुणे और पर्यटन उत्सव सिलीगुड़ी।

नागरिक उडडयन

15.8 वर्तमान में प्रदेश में शिमला, कांगड़ा व कुल्लु–मनाली तीन हवाई अड्डे है जिनकी अद्यतन स्थिति इस प्रकार से हैः

क) **षिमला हवाई अड्डाः** शिमला हवाई अड्डे के रनवे का आकार 4,100 फीट था परन्तु वास्तव में 3,800 फुट का आकार ही उपयोग किया जा रहा है। रनवे छोटा होने के कारण केवल ए.टी.आर. स्तर के विमान के लिए ही सेवा उपलब्ध है। इस हवाई अड्डे के भू–कटाव को रोकने व इसकी चौड़ाई को लेकर कदम उठाए जा रहें हैं। इसके लिए ए.ए.आई., राइट्स से परामर्शदाता के रूप में सेवाएं ली जा रही है।

ख) **कुल्लू हवाई पट्टीः** वर्तमान में कुल्लू–मनाली हवाई अड्डा की लम्बाई 1,128 मीटर एवम चौड़ाई 30.5 मीटर है यह हवाई पट्टी केवल 16–18 सीटर विमान की लैंडिग के लिए उपयुक्त हैं। बड़े विमानों के उतरने के लिए हवाई पट्टी की लंबाई को 1,000 मीटर बढ़ाने तथा चौड़ाई कम से कम 200 मीटर की आवश्यकता है।

ग) **कांगड़ा हवाई पट्टीः**इस हवाई पट्टी के रनवे का आकार 3,900 X 100 फुट था जिसे 4,500 X100 फुट तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम द्वारा ATR–72 टाईप के एयरक्राफट की उड़ाने शुरू करने के लिए सर्वेक्षण किया

गया है तथा रनवे को 418 X 250 मीटर तक बढ़ाने और अन्य कार्यों हेतु 26 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।

घ) विभाग द्वारा कण्डाघाट में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का मामला भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को भेजा है जिनके द्वारा सर्वेक्षण कर लिया गया है।

हैलीपैड

15.9 हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में प्रदेश में 63 हैलीपैड है इसके अतिरिक्त जिला सिरमौर के चूड़धार के समीप कालाबाग तथा शिमला के संजौली–ढली वाईपास के पास में हैलीपैड बनाने का भी प्रस्ताव है।

हैली–टैक्सी सेवाएं :

15.10 राज्य सरकार ने हैली टैक्सी सेवा की शुरूआत की है तथा मणिमहेश यात्रा के दौरान चंबा जिला के मणिमहेश क्षेत्र में यह सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है।

16. षिक्षा

f'k{kk

16.1 शिक्षा मानव योग्यताओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। सरकार सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्व है। सरकार के विशेष प्रयासों से ही राज्य साक्षरता में अग्रणी राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत है। राज्य में पुरूषों व स्त्रियों की साक्षरता दर में काफी अंतर है। पुरूषों की 89.53 प्रतिशत साक्षरता दर की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर 75.93 प्रतिशत है। इस अंतर को पूरा करने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

izkjfEHkd f’k{kk

16.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ही राज्य सरकार ने विद्यार्थियों की पहुंच तक शिक्षा सुविधा उपलब्ध करने का प्रयास किया है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 1984 में स्थापित हुआ था। 1.11.2005 से इसका नाम "प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय" कर दिया है। सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन जिला प्राथमिक उप शिक्षा निदेशक तथा खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा क्रमशः जिला एवं खण्ड स्तर पर किया जाता है जिसका उद्देश्यः–

- प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण लक्ष्य प्राप्त करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवता प्रदान करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा को सब तक पहुंचाना।

वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा में 10,886 अधिसूचित प्राथमिक पाठशालाएं हैं जिनमें से 10,739 क्रियाशील हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य में 2,357 माध्यमिक पाठशालाएं अधिसूचित हैं जिनमें से 2,349 क्रियाशील हैं। प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा जरूरत वाले स्कूलों में नई नियुक्तियां की जा रही हैं। सरकार विकलांग बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्व है। विकलांग बच्चों को औपचारिक स्कूलों में भर्ती करवाया जा रहा है।

16.3 स्कूलों में अधिक से अधिक उपस्थिति बढ़ाने व स्कूल छोड़ने की प्रवृति को रोकने व बढ़ौतरी की दर को बनाए रखने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां व प्रोत्साहन जैसे गरीबी छात्रवृति, छात्राओं के लिए उपस्थिति छात्रवृति, सेवारत सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के छात्रों को आई.आर.डी.पी. छात्रवृति, प्री मैट्रिक छात्रवृति अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए, लाहौल व स्पिति प्रणाली की तर्ज पर छात्रवृति तथा सेवारत सैनिक जो सीमा क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके बच्चों जोकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं को छात्रवृति दे रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में गैर जन–जातीय क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग/ आई.आर.डी.पी. के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें दी जाती

है तथा अनुसूचित जाति छात्रों को अनुसूचित जाति की उपयोजना के अंतर्गत मुफ्त पुस्तकें तथा वर्दी उपलब्ध करवाई जाती है।

जन–जातीय क्षेत्र उप–योजना के अंतर्गत भी छात्रों को मुफत पुस्तकें तथा वर्दी दी जाती है। महिला साक्षरता दर बढ़ाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी वर्ग की लड़कियों को प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त पाठ्य पुस्तकें भी दी जा रही है। सभी प्राथमिक पाठशालाओं में कक्षा एक से चार तक अंग्रेजी सहित सभी संशोधित पाठ्य पुस्तकें लागू की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रदेश के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में 1 सितम्बर,2004 से सभी छात्र–छात्राओं को प्रत्येक स्कूल दिवस पर पकाया हुआ गर्म भोजन दिया जा रहा है। प्रदेश के अति दुर्गम क्षेत्रों में 1,077 माध्यमिक पाठशालाओं में कम्पयूटर शिक्षा प्रारम्भ की गई है। सरकार द्वारा 100 चयनित पाठशालाओं में वर्ष 2008–09 से छठी कक्षा से पंजाबी एवं उर्दु भाषाओं को पढ़ाने हेतु निर्णय लिया है।

ऊपरी प्राथमिक शिक्षा स्तर

16.4 वर्ष 2013–14 में विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं:–

i) मिडल मैरिट छात्रवृति के अन्तर्गत छात्र और छात्राओं को क्रमशः `400 व `800 वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है। वर्ष के दौरान 742 छात्र लाभान्वित हुए और `4.40 लाख खर्च किए गए।

ii) आई.आर.डी.पी. परिवार से संबंधित बच्चों को `150 प्रति छात्र/ छात्रा कक्षा 1 से 5 तक तथा कक्षा 6 से 8 तक प्रति छात्र `250 एवं ` 500 प्रति छात्रा वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है। वर्ष के दौरान 77,831 छात्र लाभान्वित हुए और `257.69 लाख खर्च किए गए।

iii) अनुसूचित जाति परिवार के प्री–मैट्रिक छात्रों को (पहली से पांचवीं कक्षा तक) `150 वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है।

iv) सैनिकों के बच्चों को `150 छात्रवृति प्रति विद्यार्थी (पहली से पांचवीं) प्रतिवर्ष दी जा रही है।

सर्व षिक्षा अभियान

16.5 राज्य में सर्व शिक्षा अभियान परियोजना पूर्व गतिविधियों के साथ शुरू किया गया जिसमें मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए जोर दिया गया। जिसके अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालयों में आधारभूत ढ़ाचें को बेहतर बनाना, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों एवम् अध्यापकों की क्षमता निर्माण, विद्यालयों की मेपिंग, शिक्षा की बेहतरी के लिए लघु योजनाएं सर्वेक्षण आदि प्रमुख गतिविधियां थी। इस कार्यक्रम का उद्धेश्य आम जनता के लिए शिक्षा की पहुंच को आसान बनाना, विद्यालयों में बच्चों का नामांकन, लिंग अनुपात को समाप्त करना, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव और 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को

गुणवत्ता शिक्षा के साथ प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करवाना और विद्यालयों के प्रबन्धन में पूर्ण सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।

16.6 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा में गुणवता के सुधार में प्रयास निम्न हैं:–

- **विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों के लिए**
  हिमाचल प्रदेश में वास्तव में विद्यार्थियों की नामांकन संख्या दर 99 प्रतिशत से अधिक है जो यह दर्शाता है कि विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों की संख्या न के बराबर है। फिर भी यह प्रयास किए जा रहे हैं कि इन बच्चों को गैर–आवासीय सेतु पाठ्यक्रम केन्द्र (NRBCCs) के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा दी जाए। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल मे होना चाहिए। एक अन्य अध्ययन जो कि भारतीय बाजार अनुसंधान ब्यूरो (IMRB) और 'प्रथम' गैर–सरकारी संस्था के द्वारा करवाया गया, जिसमें ये पाया गया कि हिमाचल प्रदेश में विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों की संख्या एक प्रतिशत से भी कम है। जिला बिलासपुर और लाहौल स्पिति में कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं है। प्रदेश में यह देखा गया है कि देश के कई क्षेत्रों से पलायन करके बच्चें प्रदेश के शहरी व उप शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं जिसके कारण विद्यालयों से बाहर रह रहे बच्चों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। इन पलायन करके आने वाले बच्चों की संख्या जानने एवम् इनको विद्यालयों में नामांकन करने के लिए सभी जिलों को हर वर्ष जुलाई और दिसम्बर महीने में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम एन0आर0बी0 सी0 के तहत इन बच्चों को नामांकित करके और विशेष तौर पर तैयार किए गए अध्ययन सामग्री के बाद इन्हे इनकी आयु अनुरूप कक्षा में विद्यालयों में नामांकित करना होता है। प्रदेश में 2,414 विद्यालय से बाहर रह रहे विद्यार्थियो जिसमे 105 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल है के लिए उनकी आयु अनुरूप शिक्षा एन.आर.बी. सी के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। आयु अनुरूप कक्षा के दाखिले के लिए विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।

- **समावेषित षिक्षा**
  हिमाचल प्रदेश में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे चाहे वे किसी भी प्रकार की श्रेणी की अपंगता से ग्रसित हो, कुल 18,211 बच्चे चिन्हित किए गए हैं और उसमें से 15,700 बच्चों को विभिन्न नियमित पाठशालाओं में लिया गया है तथा 2,511 बच्चों को विभिन्न रणनीतियों के तहत शिक्षा के दायरे में लाया गया है। 6–14 वर्ष तक की आयु तथा अधिक अक्षमता से ग्रसित विशेष आवश्यकताओं वाले इन बच्चों के लिए प्रारम्भिक स्तर पर गृह आधारित शिक्षा दी जा रही है। इन बच्चों में 530 बच्चों को विभिन्न जिलों में 24 गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपनाया गया है व शेष बच्चों को सेवारत अध्यापको द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है।

- **कुषल षिक्षकों द्वारा शैक्षिक समर्थन**
  समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों का क्षमता निर्माण सर्व शिक्षा अभियान का अभिन्न अंग है। लगभग 1,332 सेवारत अध्यापकों को इस क्षेत्र में मध्यप्रदेश भोज मुक्त विद्यालय (भोपाल) द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। इन प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवाएं अति गम्भीर

विकलांगता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गृह आधारित शिक्षा कार्यक्रम के दौरान सहारा लिया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षित अध्यापक प्रत्येक माह में लगभग 5 दिन इन बच्चों को गृह आधारित शिक्षा प्रदान कर रहें है जिसमें की प्रत्येक शनिवार शामिल है। इन विशेष सुविधाओं को प्रदान करने में दैनिक जीवन के कौशल जैसेः (1) स्वंय सहायक कौशलः शौच, भोजन, स्नान आदि (2) मोटर क्रियाएंः इस के अन्तर्गत भौतिक चिकित्सक व्यवसायिक चिकित्सक के द्वारा शारीरिक, मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों को प्रशिक्षिण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्कूल से बाहर पढ़ने वाले मंदबुद्वि बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की सहायता ली जा रही है।

- **चिकित्सीय सेवायें**
  मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों की पहचान कर भौतिक चिकित्सकों, व्यावसायिक चिकित्सकों, स्पीच थैरेपिस्ट की सहायता से चिकित्सीय सेवाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई। चूंकि भौतिक चिकित्सकों की कमी के कारण प्रथम चरण में यह सर्व शिक्षा अभियान के सामने बड़ी चुनौती थी इस आधार पर कुछ जिलों में उन्हें Visiting basis पर नियुक्त किया गया हैं।
- **IEP/ITP तैयार करना**
  प्रत्येक विशेष बच्चे का व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया और तदोपरान्त प्रत्येक विशेष बच्चे के लिए त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किये गये। हल्के और मध्यम श्रेणी के विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए पहले व दूसरे चरण में क्रियात्मक शिक्षा लागू की गई। अब इस तरह के बच्चे को मुक्त स्कूलों के माध्यम से स्कूल शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल किया जा रहा है।
- **व्यवसायिक प्रषिक्षण**
  चार वर्षों के प्रयासों के उपरान्त कुछ अच्छे स्तर वाले विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए कई जिलों में व्यवसायिक प्रशिक्षण शुरू किये गये जैसेः मोमबत्ती, चॉर्ट, पेपर बैग फाइल कवर, लिफाफे बनाना इत्यादि।
- **अभिभावकों के लिए परामर्ष**
  अभिभावकों एवं पारिवारिक सदस्यों की परामर्श क्रिया पुनर्वास प्रक्रिया का महतवपूर्ण पहलू है। विशेष बच्चों के अभिभावकों के लिए परामर्श प्रक्रिया पर सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विशेष ध्यान दिया गया है व इसके परिणाम भी उत्साह जनक प्राप्त हुये है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में विशेष प्रशिक्षित अध्यापक जन गृह आधारित कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों को परामर्श देते है।
- **सामुदायिक भागीदारी**
  प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है व समुदाय का भी भरपूर समर्थन मिला है।
- **शिक्षकों के लिए ओरिएंटेषन कार्यक्रम**
  सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक और अन्य सहायक स्टाफ की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हे ओरिएंटेशन कार्यक्रम के द्वारा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को सुनिश्चित किया जा सके। प्रशिक्षत रिसोर्स अध्यापक

इस कार्यक्रम में रीसोर्स पर्सन की भूमिका अदा करते हुए सामान्य अध्यापकों को कक्षा की वास्तव स्थितियों से अवगत कराते हैं।

- **विषेष बच्चों के लिए देखभाल केन्द्र**
  जिला शिमला, मंडी और कांगड़ा में तीन देखभाल केन्द्र प्राथमिक स्कूलों में स्थापित किए गए है जिनमे लगभग 46 मानसिक व बहुविकलांग बच्चे कुशल अध्यापकों की मदद से शिक्षण/ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।
- **चिकित्सीय मूल्यांकन**
  सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान हेतु चिकित्सीय शिविर आयोजित किये जा रहे है। इन चिकित्सीय शिविरों द्वारा प्रत्येक बच्चे को आवश्यकतानुसार सहायता उपकरण जैसे व्हील चेयर, चश्मे, सी.पी. चेयर इत्यादि प्रदान की गई। उन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शल्य चिकित्सा की गई जिन्हें सामान्य शैक्षणिक व्यवस्था में लाना है तथा अपंगता का स्तर प्रमाणित करने के कार्य में तेजी लाने और अधिक कैम्प आयोजित करने के लिए उच्च स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारियों से सम्पर्क किया जा रहा है तथा इसके लिए योजना बनाने में भी सहयोग लिया जा रहा है।
- **आने–जाने के लिए यात्रा भत्ता**
  चिकित्सा शिविर में आने–जाने के लिए विशेष आश्यकता वाले बच्चों के लिए एक सहायक सहित यात्रा भत्ता दिया गया। गंभीर रूप से अक्षम श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समूह को शिविर तक लाने व ले जाने के लिए स्थानीय स्तर पर परिवहन सुविधा किराए पर लेने की स्वीकृति दी गई।

- **अच्छी व बड़े मुद्रण वाली पुस्तकें**
  शिमला के विशेष आश्यकता वाले बच्चों के स्कूल ढली में कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छे व बड़े अक्षर वाली पाठ्य पुस्तकें दी गई और हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अच्छी व बड़े मुद्रण वाली पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई।
- **बाधा रहित पहुंच**
  हिमाचल प्रदेश के कुल 2,875 विद्यालयों में जहां भवन में जगह उपलब्ध है, बाधा रहित पहुंच प्रदान की गई हैं।
- **आई.ई. क्रिया कलापों का अनुश्रवण**
  रिसार्स अध्यापकों व एन.जी.ओ. का सही अनुश्रवण के लिए राज्य परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान ने एक अनुश्रवण प्रपत्र तैयार किया है जिनमें निम्न प्रकार की शर्ते होगीं।

i) सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना किसी भी गैर–सरकारी संगठन को वित्तीय सहायता न प्रदान करना।

ii) सभी गैर–सरकारी संगठनों के पास प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों का भारतीय पुर्नवास परिषद् (RCI) से पंजीकृत होना आवश्यक है।

iii) सभी कुशल शिक्षकों को प्रतिमाह अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला के समावेशित समन्वयक व खण्ड स्त्रोत समन्वयक को जमा करवाना आवश्यक है और अन्त में सभी

जिला के परियोजना अधिकारियों द्वारा संकलित रिर्पोट राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना आवश्यक है जिसकी सर्व शिक्षा अभियान की मासिक बैठक में समीक्षा की जाती है।

शैक्षणिक व्यवस्था में सभी बच्चों को रखे रखना

16.7 राज्य में विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों व स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर बहुत कम है या न के बराबर है। राज्य सरकार स्कूल छोड़ने की प्रवृति कम करने में सफल रही है। डी.आई.एस.ई. डाटा के अनुसार एलिमैंटरी स्तर पर यह दर बहुत ही कम है। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य परियोजना कार्यालय ने सभी सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं का सर्वेक्षण करवाने पर पाया कि वर्ष 2001–02 में 98 प्रतिशत बच्चे ग्रेड–1 नामांकित थे और प्राथमिक स्नातक घोषित हुए तथा 2 प्रतिशत बच्चे ही प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर सके। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ड्राप आउट रेट चैक करने में काफी हद तक सफल रही है। परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान ने **"प्रथम"** के साथ मिलकर बच्चे की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक व्यवस्था विकसित कर रहा है।

बालिका षिक्षा

16.8 प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रदेश के चार जिलों शिमला, मण्डी, सिरमौर तथा चम्बा जिला के 8 शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों में प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) चल रहा है। (चम्बा के मेहला, पांगी, तीसा, भरमौर व सलूणी, जिला मण्डी के सराज, जिला शिमला के चौहारा व जिला सिरमौर के शिलाई ब्लॉक) में जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर से नीचे है। मॉडल कलस्टर स्कूलों में एक अतिरिक्त कमरा, लड़कियों के लिए शौचालय, बालिका–शिक्षा अनुकूल शिक्षण साम्रगी, पुस्तकालय व खेल गतिविधियां आदि की सुविधाएं दी जा रही हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम

16.9 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लड़कियों को सामान्य शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। होस्टल वार्डनों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इन विद्यालयों की मॉनिटरिंग जिला एवं राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की जाती है।

बच्चों के सीखने का स्तर

16.10 राज्य में आठवीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा पहले ही समाप्त कर दी गई है और कोई भी बच्चा प्रारम्भिक स्तर तक किसी प्रकार की औपचारिक परीक्षा नहीं देगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, धारा 29 के तहत सभी प्रारम्भिक पाठशालाओं सतत समग्र मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन जांच पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। प्रशिक्षण में आने वाली कमियों को समय–समय पर सीखने की प्रक्रिया के दौरान दूर की जाती है। आज रटना, व लिखित परीक्षा के बजाए उपचारात्मक शिक्षण पर बल दिया गया है। यह मूल्याकंन प्रणाली बच्चों के समग्र विकास का ध्यान रख रही है। बच्चों के अधिगम संवर्धन हेतु प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दो महत्वकांक्षी कार्यक्रम 'आधार' व 'संवृद्धि' चलाए गए है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को सीखने की गति को Child Tracking प्रणाली द्वारा ग्रेड दर्ज किया जाएगा। इस प्रणाली के अन्तर्गत विशेष रूप से विकसित सॉफटवेयर में छात्रों की उपलब्धियां, शैक्षिक प्रगति और अन्य प्रासंगिक जानकारी का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस अभिलेख में छात्र का कक्षावार, स्कूल, संकूल, खण्ड व जिलावार प्रगति का त्रैमासिक संकलन किया जाता हैं। इस सॉफटवेयर में प्रत्येक बच्चें की संचयी उपलब्धि को स्कूली शिक्षा पूर्ण होने तक रिकॉर्ड रखा जाएगा। प्रत्येक बच्चें को अलग पहचान संख्या दी जाएगी ताकि बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल (राज्य के अंतर्गत ही) आसानी से चिन्हित किया जा सकेगा।

विद्यालयों का मुल्याकंन

16.11 निरीक्षण, अनुश्रवण और मूल्यांकन को राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा गंभीरता पूर्वक लिया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत की जा रही विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण किया जाता है ताकि इनका कार्यान्वयन सही ढ़ंग से हो सके। इसी उद्धेश्य के दृष्टिगत राज्य मिशन प्राधिकरण, सर्व शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश ने अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट में अनुश्रवण को आवश्यक रूप से शामिल किया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक राज्य अनुश्रवण समिति बनाई गई है जिसमें पांच सदस्य मुख्यालय, एक सदस्य डाईट तथा सम्बन्धित कार्य क्षेत्र के अधिकारी शामिल है। अनुश्रवण समिति स्कूल के विकास तथा अन्य संबन्धित जानकारियां अनुश्रवण प्रपत्र पर भरती है तथा उन पर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से राज्य स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में विस्तृत चर्चा की जाती है। अब तक 67 खण्डों के 700 से अधिक विद्यालयों व सभी कस्तूरबा बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जा चुकी हैं।

क्षमता निर्माण

16.12 SIEMAT द्वारा राज्य के खण्ड स्त्रोत समन्वयकों (BRCs) की SSA, RTE व EFA सम्बन्धित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तिमाही बैठक/कार्यशाला शुरू की गई है। सभी BRCs को नियमित रूप से विभिन्न खण्ड व स्कूल स्तर पर गतिविधियों व कार्यक्रमों के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

षिक्षा की गुणवता में सुधार के प्रयास

16.13

- **पाठ्य क्रम/पाठ्य पुस्तक नवीकरण**
  कक्षा पहली से पांचवी तक पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों का NCF 2005 के अनुसार नवीकरण किया जा रहा है।
- **अध्यापक प्रषिक्षण**
  अध्यापकों का सशक्तिकरण करना सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य है। प्रतिवर्ष प्रारम्भिक अध्यापकों को "आधार" कार्यक्रम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए 20 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है ।
- **षिक्षण अधिगम सामग्री/बाल मेला**

यह आयोजन अध्यापक और बच्चों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केन्द्र है। इसमें अध्यापकों और बच्चों को एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करने तथा ज्ञान को बढ़ाने के लिए मौका मिलता है।

- **कार्यात्मक (Functional) पुस्तकालय**

राष्ट्रीय पाठयचर्या प्रारूप – 2005 इस बात पर जोर देता है कि बच्चों में पढ़ने की आदत को विकसित करें। पुस्तकालय को क्रियाशील बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां विभिन्न स्तरों पर की जा रही है :–

i) पुस्तकालय का प्रयोग प्रशिक्षण मॉडयूल का एक अभिन्न अंग है।

ii) रूम टू रीड के सहयोग से 200 स्कूलों व 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों मे पुस्तकालय स्थापित करना।

iii) बच्चों और अध्यापकों से प्राप्त रचनाओं के आधार पर अक्कड़–बक्कड़ पत्रिका का प्रकाशन।

- गुणवता को बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर पर 'आधार' कार्यक्रम प्राथमिक स्तर और सम्वृद्वि कार्यक्रम उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए चलाए जा रहे हैं । अनुपूरक सामग्री तैयार की गई तथा प्रदेश के सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में उपलब्ध करवाई गई हैं ।
- अध्यापकों की सक्रिय भागीदारी द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण मॉडूल राज्य स्तर पर तैयार किया गया।
- कम्पयूटर सहायक अधिगम (CAL) कार्यक्रम प्रदेश में 1,077 स्कूलों में 6–8 कक्षा के बच्चों के लिए शुरू की गई है। अध्यापक प्रशिक्षण मे एवरान का सहयोग लिया जा रहा है। 282 पाठशालाओं में यह कार्य एवरान एजुकेशन लिमिटिड को सौंपा गया है तथा शेष 795 पाठशालाओं में उपलब्ध अध्यापकों द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- गिरिराज साप्ताहिक के माध्यम से प्रचार–प्रसार सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी एवं उपलब्धियां हिमाचल सरकार द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र 'गिरिराज साप्ताहिक' के अन्तिम बुधवार को प्रतिमाह प्रकाशित की जा रही हैं। साप्ताहिक के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा प्रारम्भिक शिक्षा संबंधी समस्त गतिविधियों एवं उपलब्धियों को समस्त जन समुदाय/ अध्यापकों/ सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों तक पहुंचाया जा रहा है।
- राज्य स्तर पर SCERT, DIETs, SMCs मुख्य अध्यापकों, प्रशिक्षित अध्यापकों व अध्यापकों के सहयोग से प्रधान शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए 'गुणवत्ता योजना' (Quality Plan) तैयार की गई है। इस योजना को दोबारा उप–निदेशक (एस0 एस0ए0) जिला परियोजना अधिकारी (एस0एस0ए0), BPEOs (खण्ड प्राथमिक अधिकारी) खण्ड स्त्रोत समन्वयक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, SMCs/स्त्रोत समूह के सदस्यों व शिक्षकों के साथ चर्चा की गई। सभी स्कूलों में पदाधिकारियों को 'राज्य

गुणवत्ता' योजना के विभिन्न पहलुओं और प्रावधानों को स्कूली शिक्षा में लागू करने के निर्देश दिए गए है।

- शिक्षा में गुणवत्ता के लिए स्कूल प्रणाली में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान अनुसार पुर्नउत्थान किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश "बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009"के अन्तर्गत राज्य के शिक्षा का अधिकार नियम (RTE Rules) की 01–04–2010 को अधिसूचना जारी कर दी गई है।

खेल–कूद किया–कलाप

16.14 वर्ष 2013–14 में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में बच्चों की खेल–कूद किया कलाप के लिए `105.00 लाख का प्रावधान किया है। इससे बच्चों का केन्द्र स्कूलों, खण्ड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर तक के खेल आयोजन का खर्चा वहन किया जाता है।

योग षिक्षा

16.15 योग शिक्षा, इतिहास, संस्कृति और हिमांचल के युद्व बीरों के लिए विभाग द्वारा कक्षा छठी से आठवीं तक के लिए एक विशेष पुस्तक बनाई है।

प्राथमिक षिक्षा के भवनों का निमार्ण बारे

16.16 वर्ष 2013–14 के लिए सरकार ने `500.00 लाख का बजट प्रावधान किया है ताकि स्कूलों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके उसके साथ–साथ प्रदेश की जरूरतमंद पाठशालाओं में कमरों की मांग भी पूरी की जा सके । इसके अतिरिक्त `455.00 लाख का प्रावधान भवनों की मुरम्मत तथा रख–रखाव के लिए किया गया है।

उच्च /उच्चतर शिक्षा

16.17 राज्य सरकार ने शिक्षा को उच्च्तम प्राथमिकता के आधार पर लिया है जिसके फलस्वरूप शिक्षा पर होने वाला व्यय हर वर्ष बढ़ता जा रहा है उसी तरह इसके संस्थानों में भी बढ़ौतरी हो रही है। दिसम्बर,2013 तक 827 उच्च पाठशालाएं, 1,370 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं तथा 72 महाविद्यालय हैं जिसमें एस.सी.ई.आर.टी., बी.एड. तथा 05 संस्कृत महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं, राज्य में कार्यरत हैं।

छात्रवृति योजनाएं

16.18 समाज के वंचित वर्ग के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए राज्य व केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां/ वजीफे प्रदान किये जा रहे हैं। छात्रवृतियां निम्न प्रकार से हैं:–

(i) **मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजनाः** यह योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 से लागु की गई है जिसके अंतगर्त सभी वर्ग के विद्यार्थियों जिनका चयन और प्रवेश,आई.आई.टी. ,ए.आई.आई.एम.एस.

तथा आई.आई.एम. से किसी भी स्नातकोतर डिप्लोमों के लिए हुआ हो, को `75,000 की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी।

(ii) **स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के शीर्ष 2,000 मेधावी छात्रों को 10वीं की परीक्षा के परिणाम पर आधारित जमा एक व जमा दो कक्षाओं के लिए `10,000 की राशि (वार्षिक) प्रति छात्र/छात्रा छात्रवृति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2012–13 में इस योजना से 3,585 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

(iii) **ठाकुर सैन नेगी उत्कृष्ठ छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जन–जाति के 100 छात्र तथा 100 छात्राओं को (10वीं की परीक्षा में घोषित परिणाम के आधार पर) मेधावी छात्रों में से जमा एक तथा जमा दो कक्षाओं के लिए `11,000 की राशि प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्ष 2012–13 में 341 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

(iv) **महर्षि बाल्मिकी छात्रवृति योजनाः** बाल्मिकी समुदाय की सभी छात्राओं को जिनके अभिभावक स्वच्छता से संबंधित व्यवसाय करते हैं को दसवीं कक्षा से महाविद्यालय स्तर तक ` 9,000 प्रति छात्रा प्रति वर्ष छात्रवृति प्रदान की जा रही हैं जोकि राज्य में स्थित किसी सरकारी या निजी विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत हो। वर्ष 2012–13 में 45 छात्राओं को यह छात्रवृति प्रदान की गई है।

(v) **डा. अम्बेदकर मेधावी छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 1,000 और 1,000 अन्य पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों को (मैट्रिक के परीक्षा के परिणाम के आधार पर) जमा एक तथा जमा दो कक्षाओं के लिए योग्यता के आधार पर `10,000 वार्षिक प्रति छात्र छात्रवृति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2012–13 में 1,804 अनुसूचित जाति और 1,856 अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

(vi) **प्रोत्साहन छात्रवृति योजनाः** इस योजना में कक्षा 9 से 12वीं तक सभी विद्यार्थी जो सरकारी स्कूल के लिए 5 से 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं को `200 तथा 8 किलोमीटर से अधिक को `300 प्रतिमाह प्रदान किया जाता है। वर्ष 2012–13 में इस योजना के अंतर्गत 1,961 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। अब यह योजना 2013–14 में बदल दी गई है और इसके स्थान पर बच्चों को मुफ्त बस यात्रा सुविधा दी गई है।

(vii) **संस्कृत छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत 9वीं एवं दसवीं कक्षा के लिए ` 250 प्रति माह तथा जमा एक एवं जमा दो के लिए `300 प्रतिमाह की दर से उन्हें प्रदान की जाती है जिन्होंने संस्कृत विषय में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों के साथ विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।

(viii) **इन्दिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत 150 छात्र/छात्राओं को जमा दो परीक्षा के बाद महाविद्यालय स्तर तक पढ़ने या व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने पर ` 10,000 वार्षिक छात्रवृति प्रति छात्र/छात्रा बिना किसी आर्थिक आधार पर पूर्णतयः मैरिट के आधार पर प्रदान किये जातें हैं। वर्ष 2012–13 में 126 छात्रों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया।

उपरोक्त छात्रवृति योजनाओं के अलावा अन्य छात्रवृति योजनाएं प्रदेश में इस प्रकार है:–

1. **आई.आर.डी.पी.छात्रवृति योजना:**

इस योजना के अतर्गत `300 प्रतिमाह कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को, ` 800 मासिक +1 व +2 के छात्रों तथा ` 1,200 मासिक महाविद्यालय स्तर के उन विद्यार्थियों को जो छात्रावास में नहीं रहते हैं ` 2,400 मासिक जो छात्रावास में रहते हैं तथा आई.आर.डी.पी. परिवारों से संबंध रखते हैं और सरकार द्वारा संचालित या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं को प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2012–13 में 93,207 छा़त्रों को लाभान्वित किया गया ।

2. **विभिन्न युद्वों के दौरान मारे गए/अपंग हुए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के बच्चों के लिए छात्रवृति:**

इस योजना के अतर्गत `300 (छात्र) तथा ` 600 (छात्रा) प्रतिमाह कक्षा 9वीं और 10वीं तथा ` 800 मासिक +1 व +2 छात्रों तथा `1,200 मासिक महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ छात्रावास में न रहने वाले स्तर के विद्यार्थियों तथा ` 2,400 मासिक छात्रावास में रहने वाले छात्रों को प्रदान किया जा रहा है। विभिन्न संक्रियाओं/ युद्वों के दौरान मारे गए/ अंपग हुए सशक्त सेनाओं के कार्मिकों के बच्चे इस छात्रवृति के पात्र हैं।

3. **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना):**

इस छात्रवृति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति के छात्रों/ छात्राएं जिनके माता पिता की वार्षिक आय `2,50,000 से कम हो एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं जिनके माता–पिता की वार्षिक आय `1,00,000 से कम हो, वे सभी पाठयक्रमों के लिए पूरा निर्वाह भत्ता और पूरी फीस के छात्रवृति नियमानुसार पात्र होगें। यह छात्रवृति उन्हीं छात्र/छात्रों को दी जाएगी जो पात्र छात्र/छात्राएं सरकारी/ सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत हो। वर्ष 2012–13 में कुल लाभार्थी अनुसूचित जाति–20,163, अनुसूचित जन–जाति –3,606 अन्य पिछड़ा वर्ग–5,154 है।

4. **सैनिक स्कूल छात्रवृति योजना:**

यह छात्रवृति उन विद्यार्थियों को देय है जो सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में कक्षा 6 से 10+2 कक्षा तक पढ़ रहे हों तथा हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हो। वर्ष 2012–13 में कुल 520 विधार्थी लाभान्वित किए गये।

5. **पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए:**

यह छात्रवृति उन छात्र/छात्राओं को देय होगी जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ` 44,500 से अधिक न हो यह छात्रवृति सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ही मान्य होगी।

6. **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति की छात्राओं को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक षिक्षा के लिए अनुदानः**

इस योजना के अंतर्गत अनुदान राशि हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति की उन छात्राओं को देय है जिन्होंने हि0प्र0 शिक्षा बोर्ड से आंठवीं की परीक्षा उतीर्ण कर नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो उन्हें ` 3,000 की राशि अनुदान स्वरूप दी जाती है। यह राशि (शमय अवधि जमा) के रूप में दी जाती है। वर्ष 2012–13 में 5,991 लड़कियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया।

संस्कृत शिक्षा का प्रसार

16.19 संस्कृत शिक्षा के प्रसार हेतु प्रदेश सरकार के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं जिनका विवरण निम्न हैः–

(क) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृति प्रदान करना।

(ख) वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ाने वाले संस्कृत प्रवक्ताओं के वेतन के लिए अनुदान देना।

(ग) संस्कृत विद्यालयों का आधुनिकीकरण करना।

(घ) प्रदेश सरकार को संस्कृत उत्थान तथा शोध/शोध परियोजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना।

अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम

16.20 प्रदेश में सेवारत अध्यापकों को शिक्षा की नवीनतम तकनीक से परिचित करवाने के उद्देश्य से एस.सी.ई.आर.टी., सोलन, जी.सी.टी.ई. धर्मशाला, फेयरलॉन, शिमला/ एन.यू.पी.ए., नई दिल्ली/ सी.सी.आर.टी/ एन.सी.ई.आर.टी./ आर.आई.ई. अजमेर तथा चण्डीगढ़ आदि संस्थानों में विभिन्न संगोष्ठियों तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2013–14 में 1,769 अध्यापकों एवं गैर अध्यापकों को इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

यशवन्त गुरूकुल आवास योजना

16.21 प्रदेश के जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में नियुक्त अध्यापकों को समुचित आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 1999 से चलाई गई है। इसके अंतर्गत 61 पाठशालाएं चिन्हित की गई हैं।

निःशुल्क पाठय पुस्तकें

16.22 राज्य सरकार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आई.आर.डी.पी. से सम्बन्धित विद्यार्थियों को छठी से दसवीं कक्षा तक पाठयक्रम की पुस्तकें मुफ्त दी जा रही हैं। वर्ष 2013–14 में इस योजना के अंतर्गत `8.75 करोड़ व्यय किए गए जिससे 1,24,784 नवीं एवं दसवीं कक्षा के विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

O;olkf;d f'k{kk

16.23 विद्यार्थियों में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा 100 पाठशालाओं में 5 विषयों में व्यवसायिक शिक्षा आरम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत 198 वोकेशनल अध्यापकों को नियुक्त किया गया तथा 9,055 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिसमें से 4,699 सामान्य वर्ग, 2,520 अनुसूचित जाति, 616 अनुसूचित जन–जाति तथा 1,220 अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा 100 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में तीन नए पाठ्यक्रम कृषि, अतिथि एवं पर्यटन तथा इलैक्ट्रोनिक्स एवं हार्डवेयर को कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए एन.वी.ई.क्यू.एफ. के अतंर्गत आरम्भ करना विभाग की ओर से प्रस्तावित है।

fodykax cPpksa dks fu%'kqYd f'k{kk

16.24 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर तक वर्ष 2001–02 से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही हैं।

छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा

16.25 प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है जिसमें व्यवसायिक एवं
प्रौफैशनल पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है। इस योजना के अंतर्गत केवल शिक्षा शुल्क ही माफ किया जा रहा है।

lwpuk izkS|ksfxdh f'k{kk

16.26 प्रदेश के सभी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्वंय आर्थिक प्रबन्धन आधार पर वैकल्पिक विषय को चुनकर सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान की जा रही है। आई.टी. शिक्षा के लिए विभाग द्वारा ` 110 प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी फीस ली जा रही है। अनुसूचित जाति (बी.पी.एल.) परिवारों के छात्रों को 50 प्रतिशत शुल्क की छूट दी जाती है। लगभग 96,000 विद्यार्थी आई.टी. शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

राष्ट्रीय माध्यमिक षिक्षा अभियानः

16.27 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को प्रदेश में हि0प्र0. स्कूल शिक्षा सोसाईटी के माध्यम से माध्यमिक स्तर यानि 9वीं तथा 10वीं कक्षाओं को प्रभावी बनाने हेतु आरम्भ किया गया है। पी.ए.बी. द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए इस परियोजना के लिए `2,341.18 लाख की राशि की
मंजूरी दे दी है जिसमें से ` 851.80 लाख की राशि भारत सरकार द्वारा तथा `283.93 लाख की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रथम किस्त विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त कर ली गई है और इसका उपयोग सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण, छात्राओं द्वारा आत्मरक्षा तथा कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण के लिए किया जा रहा है।

आदर्श विद्यालय

16.28 माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत आदर्श विद्यालयों को खोले जाने का मुख्य उद्वेश्य शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए शिक्षा खण्डों के अंतर्गत जहां ग्रामीण महिला शिक्षा दर 46. 13 प्रतिशत से कम है और लिंग अंतर 21.59 प्रतिशत से अधिक है और कुल नामांकन दर बहुत कम है का चयन किया गया है। इन प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े खण्डों में चम्बा जिले के पांगी, तीसा, सलूनी एवं मैहला खण्ड तथा सिरमौर जिला के शिलाई खण्ड को चुना है। यह विद्यालय 2010–11 से कार्यरत है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े खण्डों में पांच आदर्श पाठशालाएं स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 के लिए 90 प्रतिशत केन्द्रीय भाग के रूप में ` 6.78 करोड़, हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन सोसाइटी –कम–सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन ओथोरिटी को प्रथम किस्त के रूप में जारी कर दिए हैं तथा ` 0.75 करोड़ (10 प्रतिशत राज्य भाग के रूप में) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिला चम्बा तथा सिरमौर में दिए गए हैं।

षिक्षा के पिछड़े खण्डों में लड़कियों को छात्रावासः

16.29 केन्द्रीय प्रायोजित यह योजना शिक्षा के पिछड़े खण्डों की माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं की छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने एवं छात्रावास सुविधा को सशक्त करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे की 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं लाभान्वित होगी। यह योजना शिक्षा के पिछड़े खण्डों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने एवं लिंग अनुपात को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेगी। केन्द्र सरकार का 90 प्रतिशत भाग जो कि `95.63 लाख की पहली किशत के स्वरूप में जारी कर दी है तथा राज्य सरकार की 10 प्रतिशत, ` 9.56 लाख की पहली किस्त भी प्रस्तावित है। जिला सिरमौर व चम्बा के पक्ष में शिलाई और साच के लिए क्रमशः `19.12 लाख और ` 6.37 लाख राज्य भाग के रूप में जारी कर दिये हैं।

lwpuk ,oa izlkj.k izks|kSfxdh

16-30 यह योजना केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 90:10 की सांझेदारी में राज्य के 628 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। वर्ष 2012–13 के अंतर्गत इस योजना के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में ` 753.60 लाख तथा ` 83.74 लाख राज्य अंश के रूप में खर्च किए गए। इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में एक आई.टी. प्रयोगशाला जिसमें 9 कम्पयूटर तथा 2 स्मार्ट रूम जिसमें एक एल.सी.डी.टी.वी. और एक में एकीकृत प्रोजेक्टर स्थापित किए गए हैं। द्वितीय फेज में प्रदेश के 618 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं, 848 उच्च पाठशालाओं तथा 5 स्मार्ट स्कूलों में यह योजना आगामी सत्र से आरम्भ कर दी जाएगी।

rduhdh f'k{kk

16.31 वर्ष 1968 में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विभाग की स्थापना की गई थी तथा जुलाई 1983 में व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भी इस विभाग के अर्न्तगत्

लाया गया। वर्तमान में विभाग का कार्य क्षेत्र तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। आज हिमाचल प्रदेश के इच्छुक विद्यार्थी प्रदेश में ही तकनीकी शिक्षा तथा फार्मेसी में स्नातक डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स स्तर की शिक्षा के लिए विभिन्न संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं। प्रदेश मे इस समय 1 राष्ट्रीय प्राद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, 1 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी स्थित कमांद, 1 जवाहर लाल नेह्ररू राजकीय इन्जीनियरिंग महाविद्यालय सुन्दरनगर, 1 अटल बिहारी बाजपेयी राजकीय अभियांत्रिकीय / प्रोद्यौगिकीय संस्थान प्रगतिनगर जिला शिमला, 1 राष्ट्रीय फैंशन टैक्नोलाजी संस्थान कांगड़ा, 17 निजी इन्जीनियरिंग कालेज, 15 सरकारी बहुतकनीकी संस्थान और 18 निजी क्षेत्र में बहुतकनीकी संस्थान, 82 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एक संस्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए, 8 महिला प्रशिक्षण संस्थान, 1 मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल ऊना में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 129 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, एक राजकीय बी–फार्मेसी महाविद्यालय, रोहड़ू, निजी क्षेत्र में 12 बी–फार्मेसी महाविद्यालय और 2 डी–फार्मेसी प्रदेश में कार्यरत हैं। इंजीनियरिंग एवं बी–फार्मेसी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की शिक्षा दी जाती है। 14 इंजीनियरिंग एवं नान–इंजीनियरिंग शाखाओं में डिप्लोमा स्तर की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान की जा रही है। आई.टी.आई. विभिन्न पाठयक्रमों द्वारा 25 इंजीनियरिंग और 22 गैर–इंजीनियरिंग शाखाओं में सर्टीफिकेट स्तर तक प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की तकनीकी शिक्षा स्तर–वार क्षमता निम्नानुसार है:–

1. डिग्री स्तर	–	7,980
2. बी फार्मेसी	–	1,000
3. डिप्लोमा स्तर	–	10,858
4. आई.टी.आई. / आई.टी.सी.	–	33,506
कुल	–	**53,344**

16.32 इसके अतिरिक्त 05 बहुतकनीकी संस्थान क्रमशः एक–एक बिलासपुर, कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर तथा लाहौल एवं स्पिति में शैक्षणिक सत्र 2013–14 में शुरू किए जा चुके हैं। जवाहर लाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सुन्दरनगर को शिक्षा गुणवता सुधार कार्यक्रम (द्वितीय चरण) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस महाविद्यालय में भौतिक बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने हेतु `12.30 करोड़ मंजूर किए गए हैं। भारत सरकार/ विश्व बैंक से कुल स्वीकृत राशि में से `4.50 करोड़ की धनराशि तथा `95.00 लाख राज्य भाग की धनराशि, 90:10 पैटर्न पर जारी कर दी गई है। वर्तमान में चल रहे 9 बहुतकनीकी संस्थानों में महिला छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु ` 1.00 करोड़ प्रत्येक संस्थान की दर से भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए हैं।

16.33 कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई स्किल डबल्पमैन्ट इन्सीएटिव स्कीम के अन्तर्गत स्कूल छोड़ चुके नौजवान, अकुशल एवं कुशल कामगार जो कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, की कुशलता का स्तर बढ़ाने हेतु इस समय विभाग में 104 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (65 सरकारी क्षेत्र और 39 निजी क्षेत्र) पंजीकृत हैं, कुल स्वीकृत राशि `825.83 लाख में से `627.87 लाख व्यय किये जा चुके

हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत 23,688 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है और 4,360 व्यक्ति विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

16.34 विभाग में 11 विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शमशी, मण्डी, चम्बा, शाहपुर, नादौन, नाहन, शिमला तथा रिकांगपीओ तथा आई.टी.आई. (महिला) मण्डी, आई.टी.आई. (महिला) शिमला तथा आईटीआई रोंगटोंग (काजा) को श्रेष्ठ केन्द्रों (Centres of Excellence) में स्तरोन्नत किए हैं तथा कुल `2,526.00 लाख की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो चुकी है। यह राशि इन संस्थानों में आधुनिक औजार एवं उपकरण, अध्यापकों को मानदेय एवं प्रशिक्षण एवं भवन निर्माण इत्यादि पर खर्च की जा रही है।

16.35 औद्योगिक क्षेत्र में प्रशिक्षणार्थियों को अधिक रोजगार प्रदान किए जाने हेतु उनकी निपुणता को निखारने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस के अतिरिक्त 33 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सार्वजनिक एवं निजी सांझेदारी प्रथा जिस बारे राज्य स्तरीय कमेटी और सी.आई.आई., पी.एच.डी. चेम्बर ऑफ कार्मस एवं हिमाचल प्रदेश में स्थापित विभिन्न औद्योगिक संगठनों में आपसी परामर्श उपरान्त स्तरोन्नत किया गया है तथा ` 82.50 करोड़ की धनराशि संबंधित संस्थानों में भारत सरकार से भी प्राप्त हो चुकी है।

17. स्वास्थ्य

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

17.1 लोगों को प्रभावी एवं सुगम इलाज के लिए सरकार ने चिकित्सा सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान की हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उपचारत्मक, प्रतिबंधक, प्रोमोटिव एवं पुर्नवास जैसी सेवाएं, 55 चिकित्सालयों, 77 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 476 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो, 11 ई.एस.आई. औषधालयों तथा 2,065 उपकेंद्रों के माध्यम से प्रदान कर रहा है। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में नवीनतम उपकरण, विशेष सुविधाएं, डाक्टर तथा पैरा मैडिकल स्टाफ को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान ढांचे को सुदृढ़ कर रही है।

17.2 वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

i) **राष्ट्रीय वैक्टर बोरन रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** वर्ष 2013–14 के दौरान (नवम्बर,2013तक) इस कार्य के अंतर्गत 4,27,667 रक्त पटिकाओं का परीक्षण किया गया जिनमें से 136 अनुकूल पाई गई और इस अवधि में कोई भी मृत्यु का मामला प्रकाश में नही आया ।

ii) **राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम:** राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचलित दर जो वर्ष 1995 में 5.14 प्रति दस हजार थी, 30.11.2013 में घटकर 0.21 प्रति